Monday, 5th July, 1971

पंचम माला, खंड 5, अंक 31 सो. 71/14 आषाढ़, 1893 (शक)

Fifth Series, Vol. V, No. 31 Monday, 5, 1971/Asadha 14, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-92
Fumigated
on 8-2-84
Parliament Library

[दूसरा सत्र
Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।
This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 31, सोमवार, 5 जुलाई, 1971/14 आषाढ़, 1893 (शक)
No. 31, Monday, July 5, 1971/Asadha 14, 1893 (Saka)

विषय	Subject	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		पृष्ठ/Pages

901. ढाका में भारतीय मिशन के कर्मचारियों को सुविधाएं	Facilities to Indian Mission Staff in Dacca	1-4
902. विद्रोही नागाओं द्वारा अपने लड़ाकू नागाओं की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए जबरन भर्ती करना	Conscription work by Naga Rebels to Replenish their Fighting Ranks	4-5
903. पूर्वी बंगाल में नर संहार के कारण पाकिस्तान के सैनिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की स्थापना	Setting up of an International Commission of Jurists for Trial of Pakistan Military Authorities for genocide in East Bengal	5-8
905. राजधानी में बहुमंजिली इमारतों के कारण मल निकासी की समस्या	Sewage Problem created due to Multi-Storeyed Buildings in the Capital	8
908. केरल में तेल के निक्षेप	Oil Deposits in Kerala	9-10
909. ढाका से राजनयिक कर्मचारियों को वापस लाने में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मांगी गई सहायता	U. N. Secretary General's Help sought by India for Repatriation of Diplomatic Personnel from Dacca	10
925. ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त से मिलने की सुविधायें	Facilities for meeting Deputy High Commissioner of India in Dacca	11-12

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
910. बंगला देश के शरणार्थियों के लिए चलता फिरता चित्तरंजन चिकित्सा एकक	Chittaranjan Mobile Medical Unit for Bangla Desh Refugees	12-13
914. सरकारी प्रेस, कोरट्टी का निर्माण-कार्य	Construction work of Government Press, Koratty	13-14
915. भारत-श्रीलंका करार में संशोधन	Amendment of Indo-Ceylon Agreement	14-15
917. तेल का पता लगाने सम्बन्धी नीति	Oil Exploration Policy	15-16
918. सेवा की शर्तों के बारे में डाक्टरों द्वारा अभ्यावेदन	Representation by Doctors regarding Service Conditions	16-17
926. दिल्ली के अस्पतालों में सेवाओं का स्तर गिर जाना	Deterioration in Standard of Service in Hospitals in Delhi	17-19
927. उड़ीसा में चिलका में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र	Naval Training Centre at Chilka in Orissa	19-20
929. भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन का भुगतान	Payment of Pensions to ex-Service Personal	20-21
930. बंगला देश के बारे में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव	Proposal for Summit Conference on Bangla Desh	21
924. बंगलादेश के बारे में राजनैतिक हल	Political Settlement with regard to Bangla Desh	21-22
अल्प-सूचना प्रश्न	SHORT-NOTICE QUESTION	
5. दिल्ली में भूमि की अवैध बिक्री	Unlawful Sale of Land in Delhi	23-25
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q Nos.		
904. विदेशों की सहायतार्थ अथवा विदेशों में प्रतिरक्षा सेनाओं को भेजने के बारे में विधान	Legislation regarding use of Defence Forces in Aid of or in Foreign Countries	26
906. रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश भेजे गये शिष्टमंडल	Delegations sent abroad by Ministry of Defence	26

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
907. बच्चों में दांतों की खराबी का रोका जाना	Eradication of Dental Decay among Children	26
912. आयातित एमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Fertilizer Plants based on Imported Ammonia	27
913. विमान अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान द्वारा शरण दिया जाना	Asylum given to Hijackers by Pakistan	27
916. नई दिल्ली में उत्तर कोरिया की प्रदर्शनी	North Korean Exhibition in New Delhi	27-28
919. पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि	Rise in the Price of Petrol	28
920. ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए विश्व बैंक की योजना	World Bank Scheme for opening Hospitals in Rural Areas	28-29
921. नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल का अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ विलय	Merger of Safdarjang Hospital with A. I. I. M. S., New Delhi	29
922. एक भारतीय के औसत भोजन में कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा	Availability of Calories and Protein in an average Indian diet	29-30
923. दिल्ली में धौला कुंआं, बापू-धाम और रेलवे कालोनी के निकट झुग्गियों का गिराया जाना	Demolition of Jhuggies near Railway Colony, Dhaula Kuan and Bapu-Dham in Delhi	30-31
928. गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस में दूसरी पारी	Second shift in Government of India Presses	31
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3845. जबलपुर में एक कृषक को छावनी क्षेत्र से निकाला जाना	Eviction of Cultivator from Cantonment Land at Jabalpur	32
3846. जबलपुर छावनी क्षेत्र से निष्कासित किसानों को क्षतिपूर्ति का भुगतान	Payment of Compensation to Cultivators evicted from Jabalpur Cantonment Area	32
3847. पेराफीन मोम का आवंटन	Allotment of Paraffin Wax	32-33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3848. सेवा निवृत्त सैनिक अधिकारियों द्वारा असैनिक सेवा में पुर्नानियुक्ति के बाद सैनिक वर्दी का पहना जाना	Wearing of Military Uniform by Retired Army Officials on Re-Employment in Civil Service	33
3849. खनिज टर्पेंटाइन ड्राईक्लीनिंग पेट्रोल का बनाया जाना	Manufacture of Mineral Turpentine Dry-Cleaning by Petrol	33-34
3850. पाकिस्तानी सेना द्वारा चटगांव के निकट कैवल्यधाम मंदिर का नष्ट किया जाना	Kaiwalyadham temple near Chittagong destroyed by Pakistan Army	34-35
3851. बिहार के सहरसा जिले में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Saharsa District of Bihar	35
3852. 1970 में दिये गये पारपत्र	Grant of Passports during 1970	36
3853. भारतीय सीमावर्ती नगर करीमगंज के निकट पाकिस्तानी सेना का जमाव	Concentration of Pak Army near Indian Border Town Karimganj	36
3854. जासूसी गतिविधियों के कारण भारतीय सैन्य अधिकारियों की कथित गिरफ्तारी	Alleged arrest of Indian Military Personnel for spying activities	36-37
3855. अगरतला नगरपालिका के चुनाव	Elections to Agartala Municipality	37
3856. रक्षा सेवा कर्मचारियों को परिवार पेंशन तथा न्यूनतम पेंशन	Family Pension and Minimum Pension to Defence Personnel	37-38
3857. भारतीय उप-महाद्वीप की स्थिति	Situation on the Indian Subcontinent	38-39
3858. पाकिस्तान को गुप्त सूचना भेजने के लिए एक रक्षा कर्मचारी का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Defence Personnel for passing secret Information to Pakistan	39
3859. सेवा निवृत्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन	Pensions to Released Emergency Commissioned Officers	39
3860. देशीय कच्चे माल पर आधारित पेलिएस्टर स्टेपल रेशे का निर्माण	Manufacture of Polyester Staple Fibre based on Indigenous raw material	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या J. S. Q. Nos.		
3861. उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	40
3862. एच० एस० 748 विमानों का विक्रय	Sale of HS-748 Aircraft	41
3863. दिल्ली प्रशासन को ऋण का वितरण	Disbursement of Loan to Delhi Administration	41
3864. पूर्वी बंगाल के बारे में एशिया एण्ड पैसिफिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement made by Chairman of Asia and Pacific Affairs Committee regarding East Bengal	42
3865. इटली के नागरिकों को भारतीय जीवन पर चित्र बनाने की अनुमति देना	Permission to Italians to make Films on Indian Life	42
3866. बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी	Return of Bangla Desh Refugees	42-43
3867. अमोनिया संयंत्रों में प्रयुक्त केटलिस्टों में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Catalysts used in Ammonia Planta	43
3868. माजगांव गोदी में मरम्मत किये गये जहाज	Ships repaired at Mazagon Dock	43-44
3869. ऋण के लिये माजगांव डाक लिमिटेड और नीदरलैंड्स के अल्जीमियर बैंक में करार	Agreement between Mazagon Dock Limited and Algemere Bank of Netherlands for Loan	44-45
3870. विदेश भेजे गये संसद सदस्य	Members af Parliament sent Abroad	45
3871. देश में हैजे की महामारी	Cholera Epidemic in the country	45-47
3872. मदरपुर खादर (दिल्ली) में उत्खनन स्थान का बन्द किया जाना	Blocking of Quarrying Point at Madanpur Khadar (Delhi)	48
3873. नेहरु संग्रहालय में जवाहर ज्योति पर खर्च	Expenditure on Jawahar Jyoti in Nehru Museum	48
3874. कानपुर में एवरों–748 विमानों का निर्माण	Manufacture of AVRO-748 Planes at Kanpur	48-49
3875. अरब देशों को समर्थन देने की नीति	Policy of Support to Arab Countries	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
3876. भारत से वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिये पाकिस्तान द्वारा चैक पोस्ट बनाना	Setting up of Check Posts by Pakistan for Refugees Returning from India	49-50
3877. साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेताओं का उत्तर कोरिया और रुमानिया का दौरा	Visit of CP (M) Leaders to North Korea and Rumania	50
3878. रक्षा कार्यों के लिये परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग	Use of Nuclear Technology for defence Purposes	50
3879. मनीपुर में सब सरकारी अस्पतालों के अन्तरंग रोगियों को आम दवाइयों की निःशुल्क सप्लाई	Free supply of common medicines to indoor patients of all Government hospitals in Manipur	51
3880. कोईरेंजर हवाई अड्डा इम्फाल का उपयोग न किया जाना	Abandoning of Koirenger Air field, Imphal	51
3881. सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिये अपेक्षित ऊंचाई में कमी	Reduction in qualifying height for recruitment to armed forces	52
3882. बर्मा में मनीपुर के निवासी	Manipuries in Burma	52-53
3883. एम० ई० एस० गैरीशन इन्जीनियर (फैक्ट्री वर्क्स) कानपुर के अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और कदाचार	Alleged corruption and malpractices of officers of MES Garrison Engineer (Factory Works) Kanpur	53
3884. कोका कोला का प्रभाव	Effect of Coca-Cola	53-54
3885. मध्य प्रदेश में आवश्यक औषधियों की कमी	Shortage of essential medicines in Madhya Pradesh	54
3886. मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Family Planning Centres in Rural Areas of Madhya Pradesh	54
3887. 'कार्डियो वास्कुलर' शल्यचिकित्सा	Cardio Vascular Surgery	55
3888. बेरोजगार डाक्टर	Unemployed Doctors	55

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.		
3889. कोयम्बटूर स्थित गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Workers of Government of India Press, Coimbatore	56
3890. भारत में बंगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में भारतीय दूतावासों द्वारा अरब देशों को तथ्य बताना	Supply of Facts by Indian Embassies to Arab Countries about Bangla Desh refugees in India	56-57
3891. भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Building Materials	57-58
3892. नौसेना कर्मचारियों के वेतन तथा उन्हें प्राप्त सुविधाएं	Salary and Amenities enjoyed by Navy Personnel	59
3893. गणतंत्र दिवस, 1971 को परेड पर खर्च	Expenditure on Republic Day Parade, 1971	59
3894. शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा	Celing on Urban Property	59-60
3895. भारत में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा प्रायोजित विज्ञापन	Advertisements sponsored by G.D.R. in India	60
3896. जर्मन संघ गणराज्य और जर्मन जनवादी गणतंत्र से दौरे पर आये व्यक्ति	Visitors from F.R.G. & G.D.R.	60
3897. रूस से आयात किये जाने वाले मिट्टी के तेल पर व्यय	Expenditure on Import of Kerosene oil from USSR	60-61
3898. गवर्नमेंट प्रेस कोराट्टो में 'मशीनमैन' की नियुक्ति	Appointment of Machineman in Government Press, Koratty	61
3899. दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकान	Houses built by Delhi Development Authority	61
3900. मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति	Appointment of a Committee of Experts to Review Working of Directorate of Psychological Research	62
3901. बंगला देश के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के प्रति उत्तर कोरिया की नीति	Policy of North Korea towards India's stand on Bangla Desh	62

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3902. काश्मीर के मामले में उत्तर कोरिया की नीति	North Korean Stand on Kashmir Issue	62
3903. उत्तर कोरिया की चान्सरी के बाहर पुलिस तैनात करना	Posting of Police outside the Chancery of North Korea	63
3904. उत्तर कोरिया के बाणिज्य दूतावास पर लगाये गये प्रतिबन्ध	Restrictions Imposed on North Korean Consulate	63
3905. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा परिवार नियोजन केन्द्र	Primary Health Centres and Family Planning Centres	63-64
3906. मध्य प्रदेश के पेय जल की सुविधाएं	Drinking Water Facilities in Madhya Pradesh	64
3907. दिल्ली में प्रशिक्षित नर्सों में बढ़ती हुई बेरोजगारी	Growing Unemployment among Trained Nurses in Delhi	64-65
3908. सैन्य-विघटित सैन्य-अधिकारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Demobilised Army Officers	65
3909. सर्पदंश के उपचार के लिये औषधि	Drug for Treatment of Snake Bite	65
3910. दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के निवासियों के संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum from Association Residents of Unauthorised Colonies in Delhi	66
3911. उत्तर प्रदेश में तेलशोधक कारखाना	Refinery in Uttar Pradesh	66
3912. किशनगंज तथा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट दिल्ली में गन्दगी	Pollution in Kishanganj and Indraprastha Estate in Delhi	66-67
3913. केरल राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र	Family Planning Centres in Kerala State	67
3914. केरल में 'इंडेन' की एजेन्सियां	Indane Agencies in Kerala	67-68
3915. केरल के लिये आवर्तक आवास निधि	Revolving Housing Funds for Kerala	68
3916. कारोनरी और हृदय रोगों का इलाज	Treatment of Coronary and Cardaic Troubles	68-69
3917. केरल सरकार के नई दिल्ली स्थित कपूरथला प्लाट का खाली किया जाना	Release of Kapurthala Plot belonging to Kerala Government at New Delhi	69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3918. चिकित्सा कालेजों में पदोन्नति	Promotion in Medical Colleges	69-70
3919. विदेश मंत्री का जर्मन जनवादी गण-राज्य का दौरा	External Affairs Minister's visit to G.D.R.	70
3920. बंगला देश की घटनाओं के बारे में घाना समाचार एजेंसी के श्री थामस ओडुरो-क्वार्टन द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by Mr. Thomas Oduro-Kwarten of Ghana News Agency Re: happenings in Bangla Desh	70-71
3921. भारत में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों द्वारा विदेशों में नौकरी प्राप्त करना	Indian Trainee Nurses securing job abroad	71
3922. अमरीका में कार्य करने वाले भारतीय डाक्टर	Indian Doctors serving in U.S.A.	71-72
3923. उत्तर प्रदेश में कीटनाशी औषधियों के निर्माण के लिये कारखानों की स्थापना	Setting up of Factories for Manufacturing Insecticides in U. P.	72
3924. औपचारिक अवसरों पर भारतीय राजनयिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा	Language used by Indian Diplomats on formal occasions	72
3925. उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना	Setting up of Chemical Fertilizer Factories in U. P.	72-73
3926. पाकिस्तान द्वारा प्रथम परमाणु शक्ति केन्द्र की स्थापना	Setting up of First Atomic Power Station by Pakistan	73-74
3927. केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास खाली करना	Vacation of Government accommodation by Retired Central Government Employees	74
3928. जुआरी एग्रोकेमिकल्स तथा सी० आई० बी० ए० प्लास्टोसाईड्ज को लाइसेंस देने से पूर्व पर्यावरण अध्ययन	Environment studies before issue of Licences to Zuari Agro Chemicals and C. I. B. A. Pesticides	74
3829. राज्यों में केन्द्र सरकार की नई बस्तियां	New Central Government Colonies in State	75

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3930. राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Government Quarters to Central Government Employees in States	75-76
3931. कोचीन स्थित नौसेना अस्पताल में सुविधाएं	Facilities in Naval Hospital, Cochin.	77
3932. केरल में वायु सेना भर्ती केन्द्र खोला जाना	Opening of Air Force Recruiting Centre in Kerala	77
3934. केरल की गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के लिए केन्द्रीय अनुदान	Central Grants for Slum Clearance in Kerala	77-78
3935. केरल में निर्माण आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये अनुदान	Grants for Works, Housing and Urban Development Programmes in Kerala	78-79
3936. केरल में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic University in Kerala	79
3937. केरल में सहकारी क्षेत्र के अधीन मिट्टी के तेल और पेट्रोल के लिए एजेंसी	Agency for Kerosene Oil and Petrol in Kerala in Co-operative Sector	79
3938. तिलपत में भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा हवाई अभ्यास	Air exercises by I. A. F. planes at Tilpat	79-80
3939. राष्ट्रीय स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली को मान्यता	Recognition of Homoeopathic system of medicine at National Level	80
3941. गोरखपुर में मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि	Rise in the price of kerosene oil in Gorakhpur	80-81
3942. रेबीज के टीकों का उत्पादन और उनकी खपत	Production and consumption of Rabies vaccine	81
3943. दिल्ली में ग्रुप आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण सहकारी समिति की भूमि का आवंटन	Allotment of Land to House Building Cooperative Societies under Group Housing Scheme in Delhi	81-82
3944. नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च-आयुक्त के कार्यालय के पंजाबी और बंगाली कर्मचारियों के बीच झगड़ा	Clash between Punjabi and Bengali Employees of Pakistan High Commissioner's Office, New Delhi	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3945. चिंगलपट (मद्रास) के केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र के भवन की जीर्ण शीर्ण स्थिति	Dilapidated condition of C. L. T. R. I. Building Chingleput (Madras)	82-83
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance	
केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बाढ़ के समाचार	Reported heavy floods in Kerala, Uttar Pradesh and Bihar	83-90
श्री बीरेन्द्रसिंह राव	Shri Birendra Singh Rao	83&85-86
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao	83-89
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	90
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Member	
श्री टी० तीर्थगिरी गौंडर	Shri T. Thirthagiri Grounder	90
रुस्तम अशोधित तेल के उपयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर में शुध्दि	Correction of Answer to S. Q. No. 313 Re. utilisation of Rostam Crude Oil	90
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	
भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद् का शासी निकाय	Governing Body of the Central Council for Research in Indian Medicines and Homoeopathy	91
लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली)	Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants)	
विधेयक—पुरः स्थापित	Bill Introduced	91-93
अनुदानों की मांगें, 1971–72	Demands for Grants, 1971-72	93-122
विदेश व्यापार मंत्रालय	Ministry of Foreign Trade	
श्री एस० आर० दामाणि	Shri S. R. Damani	93-95
श्री सी० चित्तिबाबू	Shri C. Chittibabu	95-97
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam	97-99

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री फलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	99-101
श्री पी० के० घोष	Shri P. K. Ghosh	101-102
श्री सोमचन्द सोलंकी	Shri Somchand Solanki	102-103
श्री विश्व नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	103-104
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	104-107
श्री जाम्बुवन्त धोते	Shri Jambuwant Dhote	107-108
श्री रामसहाय पांडे	Shri R. S. Pandey	108-109
डा० वी० के० आर० वर्दराज राव	Dr. V.K.R. Varadaraja Rao	109-111
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	111
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote	111-112
श्री पी० वेंकटसुब्बया	Shri P. Venkatasubbaiah	112-113
श्री वरके जार्ज	Shri Varkey George	113-116
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	116
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	116-117
श्रीमती लक्ष्मीकान्तमा	Shrimati Lakshmikanthamma	117-119
श्री लीलाधर कटकी	Shri Liladhar Kotoki	119-120
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni	120-122
श्री एल० एन मिश्र	Shri L. N. Mishra	122
आधे-घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion	
नारियल जटा के निर्यात में कमी	Decline in Coir Exports	122-126
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	122-124
श्री ए० सी० जार्ज	Shri A. C. George	124-126

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 5 जुलाई, 1971/14 आषाढ़, 1893 (शक)

Monday, July 5, 1971/Asadha 14, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ढाका में भारतीय मिशन के कर्मचारियों को सुविधाएं

+

*901. **श्री एम० सत्यनारायणराव :**
श्री एस० एम० कृष्ण:
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका में भूतपूर्व भारतीय उप-उच्चायुक्त और मिशन के कर्मचारियों को धन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण भारी परेशानी हो रही है ;

(ख) क्या कलकत्ता में भूतपूर्व पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त भारत-विरोधी गतिविधियों में संलग्न है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें इतनी अधिक स्वतंत्रता देने के क्या कारण हैं, जब कि ढाका में उनके समकक्ष हमारे अधिकारी को इस प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) यह सच है कि ढाका में भारत के भूतपूर्व उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ को, पाकिस्तान सरकार द्वारा वियना अभिसमय और राजनीतिक व्यवहार के सामान्य मापदण्डों के सर्वथा उल्लंघन में प्रतिबंध लगा दिए जाने के कारण, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की सूचना के अनुसार, उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ के पास धन अथवा अनिवार्य वस्तुओं की कमी नहीं रही है सिवाय कुछ अवसरों के जबकि इस्लामाबाद में हमारे मिशन द्वारा पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के जरिए उन्हें भेजी गयी राशि समय पर नहीं पहुंच सकी थी।

(ख) और (ग). कलकत्ता में पाकिस्तान के भूतपूर्व उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान सरकार ढाका में हमारे कर्मचारियों पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमें 5 जून, 1971 को कलकत्ता में पाकिस्तान के भूतपूर्व उप हाई कमिश्नर और उनके स्टाफ पर पारस्परिक प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : वक्तव्य से यह प्रतीत होता है कि उन्हें धन पहुंच रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ढाका के साथ टेलीफोन सम्पर्क है ? यदि नहीं तो वहां की स्थिति की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारा उप-उच्चायुक्त प्रतिदिन इस्लामाबाद को दो "टेलीफोन कॉल" कर सकता है। अतः वह वहाँ हमारे उच्चायुक्त के साथ सम्पर्क बनाये हुए है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : जब हमारी सरकार को पता चला कि हमारे उप-उच्चायुक्त पर प्रतिबंध लगा दिये गये हैं और उन्हें दूतालय से बाहर नहीं आने दिया जाता, तो सरकार द्वारा उसी समय पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त के विरूद्ध वैसी ही जवाबी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान परिस्थितियो में भी सरकार अपतुष्टि वाली अपनी नीति जारी रखेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा कि मुख्य उत्तर में कहा गया है, विलम्ब इस कारण से हुआ कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान सरकार सूझ बूझ से काम लेगी तथा हमें इस बात पर बाध्य नहीं करेगी कि हमें पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त के विरूद्ध जवाबी कार्यवाही करनी पड़े। हम स्थिति को और अधिक नहीं बिगाड़ना चाहते थे। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान सूझ बूझ से काम लेगा तथा प्रत्यावर्तन और प्रतिबन्धों को हटाने की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करेगा। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मंत्री महोदय ने मुख्य प्रश्न के भाग (ख) का, जिसमें पूछा गया है कि क्या कलकत्ता में भूतपूर्व पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त भारत-विरोधी गतिविधियों में संलग्न है, उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि क्या भूतपूर्व उप-उच्चायुक्त भारत–विरोधी प्रचार में संलग्न है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं उनका प्रश्न नहीं समझ सका ।

श्री पी० गंगादेव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेश मंत्री ने अपने हाल के विदेशों के दौरों के दौरान पाकिस्तानी सैनिक शासन के अमानवीय व्यवहार से, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के सवर्था उल्लंघन में हैं, विदेशी राष्ट्रों को अवगत कराया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जी, हाँ । ऐसा किया गया है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री के उत्तर सहित दिये गये विभिन्न उत्तरों से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत बिलकुल असहाय है तथा उप-उच्चायुक्त पर किये जा रहे अत्याचारों सहित पूर्वी बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसे मूक दर्शक की भांति देख रही है । हमें बताया गया है कि उसकी टेलीफोन लाइन भी काट दी गई है और वह लगभग नजरबंद हैं। कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण तथा कुछ अन्य देश अपने सद्भाव का प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि हमारे उप-उच्चायुक्त को कलकत्ता वापस लाया जा सके। उन प्रयासों का क्या हुआ ? क्या पाकिस्तान सरकार को कोई अन्तिम चेतावनी दी गई है कि जब तक उन्हें कलकत्ता वापस आने की अनुमति नहीं दी जाती जवाबी कार्यवाही की जाती रहेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि हमारे उप-उच्चायुक्त श्री सेन गुप्त तथा उनके कर्म-चारियों को काफी परेशानियों तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। परन्तु यह कहना सही नहीं है कि उनकी टेलीफोन लइन को काट दिया गया है । जैसा कि मैंने पहले कहा है वह हर रोज इस्लामाबाद को दो टेलीफोन काल कर सकते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : वह केवल इस्लामाबाद ही टेलीफोन कर सकते हैं। क्या वह आप से बातचीत कर सकते हैं ? क्या वह कलकत्ता टेलीफोन कर सकते हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : वह केवल इस्लामाबाद ही टेलीफोन कर सकते हैं । यही प्रतिबंध श्री मसूद पर भी लगाया गया है। वह भी केवल दिल्ली स्थित अपने उच्चायुक्त से ही बातचीत कर सकते हैं, अन्य किसी से नहीं। अतः प्रतिबन्ध पारस्परिक तथा समान है ।

जहां तक प्रत्यावर्तन का सम्बन्ध है, नवीनतम स्थिति यह है कि शीघ्र ही एक बैठक होने वाली है, जिसमें श्री मसूद तथा भारत और स्वीट्जरलैंड के प्रतिनिधि शामिल होंगे । इन तीन व्यक्तियों के समक्ष उन व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होंने अपनी निष्ठा बंगला देश के पक्ष में व्यक्त की है तथा स्वीट्जरलैंड के प्रतिनिधि द्वारा उनमें से हर व्यक्ति से प्रश्न पूछे जायेंगे ।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमें बताया गया है कि रूस भी अपने सद्भाव का प्रयोग करना चाहता है तथा कुछ अन्य देश भी ऐसा करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्यावर्तन के मामले में क्या कोई देश हमारी सहायता के लिये आगे आया है ? अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमने स्वीट्जरलैंड सरकार की सद्भावना को स्वीकार कर लिया है। वे लाभदायक कार्य कर रहे हैं। हमें आशा है कि उनकी मध्यस्थता से शीघ्र ही कोई हल निकल आयेगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय द्वारा प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर दिया गया है, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या कलकत्ता में भूतपूर्व पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त भारत-विरोधी प्रचार में संलग्न है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें कोई सूचना प्राप्त हुई है कि कलकत्ता में पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त ने पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक शासकों की सहायता करने के लिये पहले ही लगभग 8 लाख रुपये की राशि एकत्र कर ली है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी० के० दास चौधरी : प्रश्न भाग (ख) से, जो कि भारत-विरोधी गतिविधियों के संलग्न होने से सम्बन्धित है, यह प्रश्न उत्पन्न होता है।

विद्रोही नागाओं द्वारा अपने लड़ाकू नागाओं की संख्या में कमी को पूरा करने के लिए जबरन भर्ती करना

*902. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छिपे नागाओं ने अपने लड़ाकू नागाओं की संख्या में कमी को पूरा करने के लिये पुन: जबरन भर्ती करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ग्रामवासियों को बलपूर्वक भर्ती करने और अपनी क्षीण हो गई शक्ति में वृद्धि करने की भूमिगत-नागाओं की गतिविधियों से सरकार अवगत है। फिर भी, ग्रामवासियों के असहयोग और विरोध तथा राज्य सरकार, पुलिस और सुरक्षा दलों की सतर्कता के कारण उनके प्रयत्न अधिकाधिक असफल सिद्ध हो रहे हैं। मोटे तौर पर जिन लोगों ने भूमिगत नागाओं का साथ छोड़ दिया है वे अब दुबारा उनके साथ मिलने के इच्छुक नहीं हैं।

(ख) सरकार ने भूमिगत नागाओं के गिरोहों की गतिविधियों का प्रतिकार करने और ग्रामवासियों की रक्षा करने के कदम उठाये हैं। अतिरिक्त पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं और सुरक्षा दल गश्त लगा रहे हैं।

श्री एन० ई० होरो : इस बात को देखते हुए कि पूर्वी सीमा के क्षेत्रों में खतरनाक स्थिति मौजूद है, क्या सरकार भूमिगत नागाओं के नेताओं के साथ नये सिरे से बातचीत आरम्भ करेगी ताकि कोई स्थायी हल ढूंढा जा सके ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न को अनेक बार सभा में उठाया गया है तथा सरकार द्वारा अपना दृष्टिकोण बिलकुल स्पष्ट किया जा चुका है। जहां तक नागा प्रश्न का सम्बन्ध यह मामला

1960 में हल कर दिया गया था जबकि हमने नागा नेताओं के 16 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार किया था। जहां तक छोटे छोटे मामलों का सम्बन्ध है, जो समय समय पर उभरते रहते हैं, नागा लोगों को इस बात की स्वतंत्रता प्राप्त है कि वे अपनी सरकार से अनुरोध करें और उन मामलों को हल करें।

श्री एन० ई० होरो : पूर्वी सीमा के सीमावर्ती क्षेत्र में यद्यपि कुछ प्रकार से युद्ध विराम जारी है, तथापि वहां लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है, जो कि बहुत खतरनाक है। समूची स्थिति को देखते हुए क्या सरकार भूमिगत नागाओं के साथ बातचीत करके एक स्थाई हल ढूंढने के बारे में गम्भीरता से विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य का संकेत और क्या हल तलाश करने से है। नागा नेताओं से बातचीत करके हमने वर्ष 1960 में इस मामले को पूर्णतया हल कर लिया गया है। अब जहां तक नागालेंड के संबंध में समूची सामान्य स्थिति का संबंध है, वहां स्थिति सामान्य होती जा रही है तथा पूर्णतया नियंत्रणाधीन है। अतः इस बात का कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार भूमिगत नागाओं के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करे।

पूर्वी बंगाल में नरसंहार के कारण पाकिस्तान के सैनिक नेताओं पर मुकदमा चलाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की स्थापना

+
*903. **श्री बी० के० दास चौधरी** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग स्थापित किया जाये ;

(ख) ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किन-किन देशों ने इस प्रकार के सुझाव भेजे हैं अथवा इस कार का आयोग गठित करने के सम्बन्ध में अपनी सहमति व्यक्त की है ; और

(ग) क्या भारत सरकार भी इस सुझाव के पक्ष में है और यदि हां, तो इस सुझाव का प्रचार करने के लिये उसने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री सरदार स्वर्णसिंह) : (क) ब्रिटिश संसद के एक सदस्य ने इस तरह के एक आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है।

(ख) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी और देश ने भी ऐसा सुझाव दिया है और न इस बात की कि किन्हीं देशों से पूछा गया है कि क्या वे चाहते हैं कि ऐसा आयोग बनाया जाए।

(ग) यह सुझाव उन अनेक सुझावों में से एक हैं जिन पर उपयुक्त समय पर विचार किया जा सकता है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जबकि भारत सरकार द्वारा बंगला देश की स्थिति के बारे में विश्व के नेताओं को अवगत कराने के लिए विश्व की विभिन्न राजधानियों में विशेष दूत भेजे गये हैं, क्या विभिन्न सुझावों में एक यह सुझाव यह भी दिया गया है कि कम से कम उन व्यक्तियों को सजा देने के लिये जो बंगला देश में नर संहार कर रहे हैं, एक अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग गठित किया जाये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह प्रश्न हमारे विचाराधीन है तथा संयुक्त राष्ट्र के उचित मंच पर इस प्रश्न को उठाने के बारे में हमने विभिन्न सरकारों से बातचीत की है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था कि माननीय मंत्री ने भारत सरकार के विशेष दूत के रूप में विभिन्न राजधानियों का दौरा करते समय क्या इस सम्बन्ध में चर्चा करने के बारे में पहल की थी ? अब माननीय मंत्री कह रहे हैं कि इस प्रश्न को उचित समय संयुक्त राष्ट्रसंघ के मंच पर उठाया जायेगा । मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जबकि यह प्रश्न ब्रिटिश संसद (हाऊस आफ कामन) के कई माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है, भारत सरकार के लिये क्या यह सही नहीं होगा कि वह संयुक्त राष्ट्रसंघ मंच पर इसे उठाने के लिये प्रतीक्षा करने की बजाय अभी से इस पर चर्चा आरम्भ कर दें । वह उपयुक्त समय कब आयेगा ?

श्री स्वर्ण सिंह : में यह कहने का प्रयास कर रहा था कि केवल एक अथवा दो अथवा अन्य विधिवेत्ताओं के आगे आने और आयोग बनाने से यह प्रश्न हल नहीं होगा तथा उससे जनमत जागृत करने और वास्तविक तथ्यों पर पहुंचने में कोई सहायता नहीं मिलेगी । जब तक किसी उपयुक्त संयुक्त राष्ट्रसंघ मंच पर इसे नहीं उठाया जाता तब तक कोई उद्देश्यपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसके लिये यह आवश्यक है कि इसे सरकारों का समर्थन प्राप्त हो। अतः इसी कारण से हम विभिन्न सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

Shri Ram Chandra Vikal : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state the steps taken by Government for raising this matter in U. N. O. ? He has stated that unless it is raised in U. N. O. it is not likely to yield any fruitful result. So I would like to know the efforts made by Government of India in this regard ?

श्री स्वर्ण सिंह : जिस दिन सभा में बंगला देश के प्रश्न पर चर्चा की गयी थी उस दिन मैंने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ मंच पर उपयुक्त ढंग से उठाने के लिये सरकारों का समर्थन प्राप्त करने हेतु हमारी सरकार क्या क्या उपाय कर रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ब्रिटिश संसद् के सदस्यों ने, जो कि हाल ही में भारत आये हुए थे, संयुक्त राज्य अमरिका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लायी करने का विरोध किया था तथा अमेरिका की निन्दा की थी और यदि हां तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या दिल्ली स्थिति अमरीकी राजदूत द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के बाद प्रतिक्रिया में परिवर्तन हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से कैसे संगत है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : यह प्रश्न पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक शासकों द्वारा किये जा रहे नर संहार से संबंधित है। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में नर संहार किये जाने की निन्दा की थी। उन्होंने कहा है कि अमरीकी हथियारों की सप्लाई नहीं की जानी चाहिये......

अध्यक्ष महोदय : आपका आशय ब्रिटेन से है अथवा अमेरिका से ?

श्री एस० एम० बनर्जी : ब्रिटिश संसद के सदस्यों द्वारा निन्दा की गयी थी। उन्होंने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की निन्दा की थी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ब्रिटिश संसद के कुछ सदस्यों से सम्बन्धित है। मंत्री महोदय उनकी सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में कैसे जान सकते है ?

श्री एस० एम० बनर्जी : शिष्ट मण्डल के नेता मिस्टर बोटमले ने प्रधान मंत्री से तथा अन्य सबसे भेंट की थी। ब्रिटिश संसद् द्वारा एक सुझाव यह दिया गया था कि पाकिस्तान को अमरीकी हथियारों की सप्लाई को रोका जाना चाहिये। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह समाचार पढ़ा है कि अमरीकी राजदूत ने त्याग पत्र देने की धमकी दी है। इस बारे में सच्चाई क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न में इतने अधिक प्रश्न शामिल न कीजिए। प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटिश संसद् के सदस्यों ने सुझाव दिया है इत्यादि इत्यादि।

एस० एम० बनर्जी : आप जो कुछ कह रहे हैं वह मुझे मान्य है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संगत प्रश्न पूछिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटिश संसद् के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि नर संहार और मानवता के विरुद्ध अपराध करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के सैनिक अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग स्थापित किया जाये। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किन किन देशों ने इस प्रकार के सुझाव भेजे हैं। अथवा किस प्रकार का आयोग गठित करने के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त की है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या अमरीका सहित अन्य देशों ने एक अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग गठित करने का सुझाव दिया है और यदि नहीं तो क्या वे ब्रिटिश संसद् के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव को देखने के बाद अपने रवैये में परिवर्तन करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं यह पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि अमरीका के रवैये में क्या परिवर्तन हो रहा हैं। हम इस प्रश्न के सम्बन्ध में सम्पर्क बनाए हुए हैं.... . (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने इस मामले को लेकर त्याग पत्र दे दिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे इस समाचार की कोई पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है कि अमरीकी राजदूत ने त्याग पत्र देने की धमकी दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the attention of the Government has been drawn to the reported statement of the Foreign Minister of Iran to the effect that the demand of Bangla Desh is not acceptable to them and if need be, every help will be given to Pakistan by them ?

Shri Swaran Singh : Yes Sir, We have seen the Press report in this regard.

राजधानी में बहुमंजिली इमारतों के कारण मल-निकासी की समस्या

*905. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस में और बाराखम्बा रोड एवं कस्तुरबा गांधी मार्ग पर अनेक बहु-मंजिली इमारतों के अभी हाल में बन जाने के कारण राजधानी में मल निकासी की समस्या उत्पन्न हो गई है ?

(ख) क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). कनाट प्लेस में बहु-मंजिली इमारतों के बन जाने से मल निकासी की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र की मौजूदा मल निकास नालियां बहुत-सी अतिरिक्त मल निकासी की क्षमता रखती है । फिर भी हो सकता है कि मास्टर प्लान के अनुसार सारे इलाके का पूर्णरूप से पुनर्विकास हो जाने पर मौजूदा लाइन उसकी आवश्यकता को पूरा न कर सके । अत: नई दिल्ली नगर पालिका ने मल निकास लाइनों को बढ़ाने के लिये लगभग 17.5 लाख रु० की अनुमानित लागत वाली एक योजना तैयार कर दिल्ली प्रशासन की मंजूरी के लिये भेज दी है । आशा है कि यह योजना चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले पूरी हो जायेगी ।

Shri Narendra Singh Bist : Will the Hon'ble Minister throw some light on the said scheme or lay a copy thereon of the Table of the House ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा ।

Shri Narendra Singh Bist : As stated in the reply, this Rs. 17 lakhs scheme would be completed by the end of the Fourth Plan. May I know why so much time would be taken in completing such a small scheme ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : परियोजनाओं का आरम्भ किया जाना और उनका कार्यान्वयन परिकल्पित अतिरिक्त मांग पर निर्भर करता है जिसमें समय लगेगा । अत: जितना कार्य बढ़ाया गया है उसके पूरा होने में भी समय लगेगा । माननीय सदस्य के सूचनार्थ मैं यह बता सकता हूँ लगभग आठ योजनायें हैं जिनका ब्यौरा मैं सभा-पटल पर रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : 906–श्री गंगा चरण दीक्षित–अनुपस्थित ।
907–श्री कतामुतु–अनुपस्थित ।
908–श्री चन्द्रप्पन ।

केरल में तेल के निक्षेप

*908. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से यह अनुरोध किया है कि केरल में तेल निक्षेपों की कथित मौजूदगी की जांच करने के लिए वहां के समुद्री तट का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने 4 मई, 1971 को तत्कालीन पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को लिखा था और केरल के समुद्र तट से दूर तेल की विद्यमानता के बारे में और भूकम्पीय अन्वेषणों का सुझाव दिया था ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इस समय इस क्षेत्र में और अन्वेषण करने की कोई योजना नहीं है ।

श्री जी० के चन्द्रप्पन : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने कहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की इस समय तेल की मौजूदगी के बारे में अन्वेषण करने की कोई योजना नहीं है । मैं जानना चाहता हूँ कि इस उद्योग ने ऐसा निर्णय क्यों लिया है ?

श्री दलबीर सिंह : अध्ययन से पता चला है कि बेसिन के आन्तरिक भाग में तेल का स्त्रवण नहीं है और जर्मन विशेषज्ञों की राय है कि वहां तेल की कोई सम्भावना नहीं है ? अत: इस ओर ध्यान देना आयोग के लिये उपयोगी नहीं है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों ने कहा है कि कोचीन और अलेप्पी के बीच तेल के निक्षेप और कन्नानूर तट के नजदीक तट से हट कर बेधन की सम्भावना है ? क्या सरकार ने इस राय पर भी विचार किया है ?

श्री पी० सी० सेठी : हमने इस सम्बन्ध में कुछ अन्वेषण किये हैं । हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण करने से कोई लाभ नहीं होगा । जब तक तेल के मिलने की सम्भावना न हो तब तक तट से दूर बेधन करना कठिन होगा ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या इस आशय का अनुरोध अन्य राज्यों ने भी किया है ? यदि हां तो कृपया उन राज्यों के नाम बताइये ।

अध्यक्ष महोदय : यह केवल केरल के बारे में है । यदि किसी अन्य राज्य के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना प्रश्न पूछिये । दूसरे सदस्य के प्रश्न पर आप यह बात नहीं पूछ सकते ।

श्री एस० आर० दामाणी : क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर अन्वेषण करने के लिये उनके पास पर्याप्त उपकरण हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : हमारे पास बहुत से रिग हैं जो अन्वेषण कर सकते हैं। जहाँ तक भूगर्भीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है, बहुत से लोग देश के विभिन्न भागों में कार्यरत हैं।

श्री ए० के० गोपालन : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ वर्ष पूर्व रूसी विशेषज्ञों ने कहा था की केरल के तट में तेल के निक्षेप विद्यमान हैं? यदि हां तो क्या सरकार उसकी जांच करेगी और जांच से यदि वहां तेल के निक्षेपों की सम्भावना का पता चलता है तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी और अन्वेषण करायेगी?

श्री पी० सी० सेठी : प्रश्न के मुख्य भाग में उसका उत्तर दे दिया गया है। क्षेत्र के भूगर्भीय और तट से दूर प्रारम्भिक सर्वेक्षणों और वहां की कीचड़ आदि की जांच करने से पता चला है कि वहां पर तेल के निक्षेप नहीं हैं।

ढाका से राजनयिक अधिकारियों को वापस लाने में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मांगी गई सहायता

+
*909. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री निहार लास्कर :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ढाका से भारतीय राजनयिकों को मुक्त करने में संयुक्य राष्ट्र महासचिव की सहायता मांगी है ;

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार ने ढाका स्थित भारतीय राजनयिकों पर लगाये गये प्रतिबंधों में कोई छट दी है; और

(ग) इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की सहायता कहां तक फलदायक सिद्ध हुई है?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) हमने 8 जून 1971 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया था कि ढाका स्थित हमारे भूतपूर्व उप उच्चायुक्त तथा उनके कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और महासचिव से इन बातों का सुनिश्चय करने के लिए अपने प्रभाव से काम लेने का अनुरोध किया था कि उनकी सुरक्षा हो, उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए और उन्हें जल्द भारत लौटाया जाए।

(ख) जी नहीं।

(ग) चूंकि हमारी यह आशा थी कि ढाका स्थित हमारे कर्मचारियों को वापस बुलाने के प्रयास नई दिल्ली स्थित स्विस राजदूत के प्रभाव से सफल होंगे, अतः हमने यह आवश्यक नहीं समझा कि इस अवस्था में आगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को तकलीफ दी जाए।

ढाका में भारतीय उप-उच्चायुक्त से मिलने की सुविधाएं

*925. **श्री सी० चितिबाबू** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने ढाका स्थित हमारे उप-उच्चायुक्त से भेंट करने संबंधी सुविधाएं देने के भारतीय अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जैसा कि हाल ही में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्च आयुक्त ने वक्तव्य दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत को क्या सुविधाएं दी गयी हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री निहार लास्कर : मैं जानना चाहता हूँ कि ढाका स्थित हमारे राजनयिक अधिकारियों के साथ वास्तव में कैसा व्यवहार किया जा रहा है ? वहां हालात ठीक नहीं हैं और पता चला है कि हमारे उप-उच्चायुक्त ने यह वक्तव्य दिया है कि वह खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिये तैयार है। अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे इन अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है और क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सूचना मिली है और यदि हां तो यह सूचना किसने दी है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारी सूचना के अनुसार हमारे अधिकारी वहां पर सुरक्षित हैं। किन्तु वहां उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्हें बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ? यह बात हम सभा को कई बार बता चुके हैं। हम इन प्रतिबन्धों को हटवाने की और उन अधिकारियों को वापस बुलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री निहार लास्कर : समाचार मिला है कि उन्होंने वक्तव्य दिया है कि वह खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हैं। इसका क्या मतलब है ? हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि श्री सेन गुप्ता अपने आपको खराब से खराब स्थिति का सामना करने के लिये तैयार कर रहे हैं।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे उस वक्तव्य के बारे में कुछ याद नहीं यदि यह वक्तव्य दिया गया है तो उससे पता चलता है कि वह उत्तेजित है।

श्री निहार लास्कर : क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान सरकार स्विस सरकार को सभी सहायता नहीं दे रही है और यदि हां तो सरकार पाकिस्तान सरकार से यह अपेक्षा कैसे करती है कि वह हमारे लिये सहायक सिद्ध होगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, स्विस राजदूत के प्रयत्नों का यह परिणाम हुआ है कि अब यह बात मान ली गई है कि श्री मसूद और श्री हुसैनअली और उनके साथियों और भारतीय प्रतिनिधियों की एक बैठक होगी और हम आशा करते हैं कि यह समस्या हल हो जायेगी।

श्री सी० चितिबाबू : हमारे ढाका स्थित उप-उच्चायुक्त को संचार सुविधायें दिलाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। उप-उच्चायुक्त इस्लामाबाद में हमारे उच्चायुक्त से टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं।

श्री सी० चितिबाबू : क्या यह सच है कि उप-उच्चायुक्त के कार्यालय के कर्मचारियों के बच्चों को भी कमरों की चारदिवारी में बन्द कर दिया गया है और यदि हां तो उन्हे मुक्त कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : यह सच है कि उन्हें इन सभी कठिनाईयों को सहन करना पड रहा है और व अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिये हम इस समस्या को हल करने और उन्हें भारत वापस लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ?

बंगला देश के शरणार्थियों के लिए चलता फिरता चित्तरंजन चिकित्सा एकक

*910. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से आये व्यक्तियों को चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध करने के लिए पचास बिस्तर वाले किसी चलते-फिरते चित्तरंजन चिकित्सा एकक को काम में लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या निष्क्रान्त व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य करने के तरीके में कुछ परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है ; और

(घ) क्या अस्पतालों को चलाने का खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी हां।

(ख) यह बसीरहाट सब-डिविजन अस्पताल के अहाते में 24 परगना जिले के बसीरहाट सब-डिविजन में है।

(ग) जी हां।

(घ) रख-रखाव सम्बन्धी खर्चे की पूर्ति पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। 31 लाख रुपये की लागत वाला चलता-फिरता अस्पताल स्थापित करने सम्बन्धी अनावर्ती व्यय की पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई।

श्री सी० एस० सामन्त : क्या यह चित्तरंजन शताब्दी केन्द्रीय समिति का चलता-फिरता एकक है और यदि हां तो कितने अन्य एकक कार्य कर रहे हैं और क्या उनमें से किसी एकक का इस प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जायेगा ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस योजना के अन्तर्गत 17 अस्पताल 12 राज्यों में खोले गये हैं, 5 राज्यों में दो-दो और बाकी राज्यों में एक एक। इस समय पश्चिम बंगाल क्षेत्र में इस प्रयोजनार्थ कोई विशेष अस्पताल नहीं खोला गया है।

श्री सी० एस० सामन्त : प्रत्येक एकक को चलाने में कितनी लागत आती है और क्या प्रत्येक एकक पहले से ही विद्यमान स्थायी एककों का पर्यवेक्षण करेगा ?

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय प्रत्येक चलते-फिरते अस्पताल के लिये अनावर्ती व्यय लगभग 3.10 लाख रुपये है। इसके कार्य की देखभाल करने के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह एकक पहले से ही विद्यमान स्थायी एककों का पर्यवेक्षण करेगा ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : यह केन्द्र-प्रायोजित योजना है और यह इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किये गये एक विशेष अधिकारी के अधीन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether the number of hospitals is adequate to cater to the requirements of the refugees who are coming there and if not, what alternative arrangements are being made by Government to cater to their requirements of these refugees and whether state Government is also running any hospital at its own expense and if so, how many employees are working in that hospital ?

Shri Umashankar Dixit : The Hon'ble Member has not paid due attention to the question. This question pertains to the fifty-bed Chittaranjan medical unit. Various arrangements have been made for the refugees there. Please do not compose this question with the arrangements made for the refugees.

सरकारी प्रेस, कोरट्टी का निर्माण कार्य

*914. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचूर जिले में स्थित कोरट्टी में सरकारी प्रेस का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य पूरा होने में असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां। मुद्रणालय ने 23 अक्तूबर, 1966 से उत्पादन आरंभ कर दिया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ए० के० गोपालन : राज्य सरकार ने ऊंचे मूल्य पर 105 एकड़ भूमि अर्जित की थी जिसमें से 95 प्रतिशत भूमि का उपयोग नहीं किया गया है । एक मशीन में मशीनमैन ही नहीं है। क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसके क्या कारण है और क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन मशीनों का पूरा-पूरा प्रयोग किया जाये ?

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : जहां तक मशीनों का सम्बन्ध है, हमने कागज की कमी के कारण दूसरी पारी शुरू नहीं की है। कागज उपलब्ध होने पर क्षमता का उपयोग अधिक से अधिक किया जायेगा। भूमि का हम प्रयोग कर रहे हैं और अधिक विस्तार करने की व्यवस्था भी की गई है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या वहां के श्रमिक संघ ने कोई ज्ञापन भेजा है जिसमें प्रबन्ध में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और इन आरोपों को सिद्ध करने के लिये सबूत प्रस्तुत करने के लिये भी कहा गया है। यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

भारत-श्रीलंका करार में संशोधन

*915. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत-श्रीलंका करार में संशोधन करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है तथा क्या इस संबंध में श्रीलंका सरकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव की प्रमुख बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुहम्मद शरीफ : श्रीलंका सरकार जिन 300,000 लोगों को नागरिकता प्रदान करने के लिये सहमत हुई है, उनमें से अब तक करार के पैरा 3 के अनुसार कितने लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करार में संशोधन करने के बारे में था जिसका उत्तर मंत्री महोदय ने 'नहीं' में दिया है अब आप आंकड़े पूछ रहे हैं । इसके लिये आपको एक अलग पूर्वसूचना दी जानी चाहिये थी।

श्री मुहम्मद शरीफ : इसका सम्बन्ध मुख्य करार से है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन : करार की एक शर्त यह है कि श्रीलंका सरकार स्वदेश में आने वाले सभी लोगों को कुछ मुआवजा देगी । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या श्रीलंका सरकार इस शर्त को पूरा कर रही है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हां, पूरा कर रही है।

तेल का पता लगाने सम्बन्धी नीति

*917. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल का पता लगाने सम्बन्धी नई नीति का प्रारूप तैयार कर रही है जिससे कि तेल का शीघ्र पता लग सके ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसकी घोषणा कब की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : (क) से (ग). सरकार ऐसी कोई नई अन्वेषण नीति पर विचार नहीं कर रही है। तथापि वह, बम्बई हाई क्षेत्र में व्यधन के लिए की गई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् महाद्वीप (काण्टीनैन्टल शैलफ) में स्थित अन्य समृद्धशाली क्षेत्रों के भूकम्पीय सर्वेक्षणों एवं अन्वेषण में तीव्र गति लाने के उपायों एवं पद्धतियों पर विचार कर रही है ।

भूमि पर त्रिपुरा जैसे, समृद्धशाली क्षेत्रों में, जहां बड़े पैमाने पर पैट्रोलियम के संचय पूर्वानुमानित हैं, अन्वेषण का विस्तार करने के लिए उपाय अपनाये गये हैं।

गहराई पर तेल निक्षेपों का पता लगाने के लिए गहरे कुओं के व्यवधान करने का भी प्रस्ताव है। देश में तेल एवं गैस की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इसी विशेषज्ञों की सहायता से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है और सितम्बर 1971 तक उनसे रिपोर्ट के प्राप्त होने की आशा है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : त्रिपुरा और बम्बई हाई क्षेत्र के अतिरिक्त ऐसे अन्य समृद्धिशाली क्षेत्र कौन से हैं जिनका अभी तक सर्वेक्षण किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : जहां तक भूकम्पीय सर्वेक्षणों का संबंध है, ये सर्वेक्षण कावेरी घाटी, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, आसाम और गुजरात में किये जा रहे हैं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : भारत सरकार को कावेरी घाटी के संबंध में जो प्राथमिक प्रति-वेदन मिला है, वह क्या है?

श्री पी० सी० सेठी : कावेरी घाटी को कुछ समृध्दिशाली क्षेत्र बताया गया है, किन्तु विस्तृत प्रतिवेदन अभी तक नहीं मिला है। काम अभी भी जारी है ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मुझे बताया जाये कि जम्मू और काश्मीर में सर्वेक्षण कार्य की स्थिति क्या है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक जम्मू और काश्मीर का सम्बन्ध है, हम जम्मू में सरीन मस्तगर में व्यधन कर रहे हैं। यह बहुत गहरा कुआ है। हमारे पास "गहरा ड्रिलिंग रिग" एक ही है जिसे वहां लगाया गया है। काम तो जारी है किन्तु कार्य की गति संतोषजनक नहीं है।

श्री रणबहादुर सिंह : मुझे बताया जाये कि क्या मध्यप्रदेश के किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री पी० सी० सेठी : जी, नहीं ।

श्री अमृत नाहाटा : मुझे बताया जाये कि क्या जैसलमेर में गैस संबंधी व्यधन और अन्वेषण कार्य चल रहा है। सरकार को इस संबन्ध में क्या आशायें हैं ?

श्री पी० सी० सेठी : जैसलमेर क्षेत्र में गैस प्राप्त होने की सम्भावना है। कार्य जारी है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : मुझे बताया जाये कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कावेरी घाटी की तरह गोदावरी घाटी के बारे में कोई विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया है ?

श्री पी० सी० सेठी : जहां तक भूविज्ञान क्षेत्र का सम्न्बन्ध है, सर्वेक्षण करने वाले क्षेत्रीय दल आंध्र प्रदेश सहित अनेक राज्यों में सक्रियता के साथ कर रहे हैं। किन्तु जहां तक भूकम्पीय सर्वेक्षणों का सम्बन्ध है, ये सर्वेक्षण तभी किये जाते हैं जबकि भूवैज्ञानिक प्रतिवेदन संतोषजनक हो और कुछ सम्भावना हो इस तरह के भूकम्पीय सर्वेक्षण तटीय आन्ध्रप्रदेश में किये जा रहे हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : चूंकि आसाम में कुछ कार्य चल रहा है, अतः मैं जानना चाहती हूं कि क्या कछार जिले के पठारकन्डी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया है अथवा नहीं।

श्री पी० सी० सेठी : मुझे इसके बारे में सही जानकारी नहीं है, किन्तु आसाम में विभिन्न दल कार्य कर रहे हैं।

सेवा की शर्तों के बारे में डाक्टरों द्वारा अभ्यावेदन

*918. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रतिरक्षा एककों विशेषकर आयुध कारखानों में काम करने वाले डाक्टरों ने एक अभ्यावेदन में यह मांग की है कि उनकी सेवा की शर्तें रेलवे तथा अन्य विभागों में काम कर रहे डाक्टरों के समान होनी चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो उनके मामले में अवरोध को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) आयुध कारखानों में या साथ काम कर रहे डाक्टरों को छोड़ कर अन्य रक्षा स्थापनाओं में काम कर रहे डाक्टरों से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आयुध कारखानों में या साथ सेवा रत डाक्टरों ने अपने प्रतिवेदनों में पदोन्नति के ऐसे अवसरों की

मांग की है जैसे कि रेल विभाग, आर्मी मेडिकल कोर और सी० जी०एच०एस० में स्थिति है उन्होंने वेतन के संशोधन की भी मांग की है। उन्होंने एक प्रतिवेदन वेतन आयोग को भी दिया है।

(ख) आयुध कारखानों में या साथ सेवारत असैनिक डाक्टरों की पदोन्नति के लिये अवसर प्रदान किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। वेतन मान के संशोधन का प्रश्न वेतन आयोग के समक्ष है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं उनको पदोन्नति के लिये अवसर प्रदान के प्रश्न पर विचार करने के लिये मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि डाक्टरों ने वेतन आयोग के पास एक ज्ञापन भेजा है कि द्वितीय वेतन आयोग के निर्णय के कार्यान्वयन में उनके साथ जो भेदभाव किया गया है, वह समाप्त किया जाये। रेलवे के डाक्टरों के वेतन मान और पदोन्नति के लिये अवसर आयुध कारखानों की अपेक्षा बेहतर हैं। इस अनियमितता और भेदभाव को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री जगजीवनराम : प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया है कि आयुध कारखानों के डाक्टरों के लिये पदोन्नति के अवसर प्रदान करने का एक मामला है और इस मामले की जांच की जा रही है। मुझे आशा है कि इसे शीघ्र ही निपटाया जायेगा। मैं समझता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिश मिलते ही अन्य सभी अनियमिततायें संतोषजनक ढंग से हल हो जायेंगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे बताया जाये कि क्या उनके मंत्रालय के अधीन सेवारत डाक्टरों को सी० जी० एच० स्कीम के अन्तर्गत लाये जाने की संभावना है अथवा क्या ये डाक्टर रक्षा मंत्रालय में ही रहेंगे ?

श्री जगजीवनराम : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि क्या कुछ अधिकारियों को सी० जी० एच० एस० के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये। किन्तु स्वास्थ्य मंत्रालय के विचार में इस समय समूची सी० जी० एच० स्कीम पर गत तीन वर्ष के अनुभव के आधार पर विचार किया जा रहा है और इसलिये वह हमारे प्रस्ताव से सहमत नहीं है।

दिल्ली के अस्पतालों में सेवाओं का स्तर गिर जाना

*926. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के अस्पतालों में सेवा का स्तर इतना गिर गया है कि बिस्तरों की चादरें नियमित रूप से नहीं बदली जाती हैं; फर्श साफ नहीं किये जाते हैं और रोगियों की उचित सेवा नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो विलिंगडन अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में सेवा और कार्यकुशलता के पूर्व स्तर को बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्दर, चिकित्सा सेवा के उपयुक्त स्तरों को बनाये रखने के लिये हर संभव प्रयास किया जा रहा है ।

अस्पतालें प्रशासन, इंजीनियरी सेवाओं, वित्तीय प्रतिमानों तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में आवश्यक समझे जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक समिति भी गठित की गयी है ।

Shri Rajendra Prasad Yadav : May I know whether the money provided for the purpose is being utilised properly or not and hospitals are not maintained as clean as desired and whether Government would pay attention to it ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Mr. Speaker, the money is being utilised properly. Its proof is this that there is a strength of about 700 beds and agreements are being made to provide additional 100 beds *viz.*, additional 15 percent patients. So far as sanitation and other general facilities are concerned, these are being provided normally. But the committee has been entrusted with the job to assess the amount of expenditure required for additional arrangements such as for setting up a separate laundry and for increasing the number of sweepers. If it is done, the service in the hospitals would be improved. But normally the service in the hospitals is satisfactory.

Shri Rajendra Prasad Yadav : The Hon. Minister has stated about menials. But so far as doctors are concerned, I know that people are not attended to properly in Willingdon hospital. For instance I am telling about North Avenue. There are lady doctors and hundreds of patients have to wait there, × × × ×

Shri Uma Shankar Dikshit : Mr. Speaker, I have received no complaints about doctors. But their performance has been greatly praised. I have received certain complaints in regard to other facilities off and on. Even then if the honourable Member refer to any incident to me, I shall look into it.

Shri S. M. Banerjee : There are two doctors. Why people go to lady doctor ?

Mr. Speaker : It should not be recorded. I did not like it. If you have any complaint, tell that.

Shri S. M. Banerjee : The Paying Nursing Homes in the hospitals are somewhat in good condition but I would like to draw the attention of the honourable Minister to general wards where those patients are treated who can not afford to pay. I would also like to know about the steps being taken to improve their condition ?

Shri Uma Shankar Dikshit : Mr. Speaker, the Prime Minister and the then Health Minister visited that place in the month of April and after this visit they were of the opinion that there is need to pay special attention to it. At the same time a working group was formed. This group has held five-seven meetings. Its report was expected by the 21st May but due to developments in Bangla Desh the Director General and other officials were busy in other work. However it is expected to be received by the end of July. It will cover mainly two hospitals—Willingdon and Safdarjang and

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

× × Not recorded.

Chandigarh and hospital attached with institutes. I have **mentioned in the beginning** in the reply, that an early decision will have to be taken **and necessary improvements** will be made in this regard.

श्री जगन्नाथ राव : मुझे बताया जाये कि क्या यह सच है कि जो रोगी दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं, वे घर वापस नहीं लौटते हैं और यदि हां, तो क्या इसका कारण यह है कि अस्पतालों में चिकित्सीय-प्रशासन का स्तर गिरा है और अकुशलता बढ़ी है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : प्राय: स्थिति यह है कि जिन रोगियों की हालत बहुत गंभीर होती है, उनको भरती करने में अन्य अस्पताल आनाकानी करते हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में गंभीरतम अन्तिम स्थिति में भी रोगी को भरती किया जाता है । जहां तक उनके घर लौटने की बात है, यह चिकित्सीय मामले से भिन्न है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें उनसे सम्पर्क स्थापित करने के लिये भेजा जाना चाहिये ।

डा० मेलकोटे : क्या यह सच है कि शिकायतें मिलने पर इन मामलों की जांच करने के लिये गत तीन या चार वर्षों के अन्दर सरकार ने कुछ समितियां बनायी हैं; और यदि हां, तो उनके प्रतिवेदन का क्या हुआ और सरकार ने इनमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : जैसा कि मैंने बताया है कि इन पर कार्यवाही नियमित रूप से की जाती रही है । मुख्य प्रश्न यह है कि कुछ अस्पतालों में बहिरंग विभागों में और अस्पताल के वार्डों में रोगियों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है । कुछ हद तक इससे सेवा का स्तर गिरा है। किन्तु निरंतर पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

उड़ीसा में चिलका में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र

*927. **श्री देवेन्द्र सत्पथी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चिलका में नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित स्थान बदल दिया है; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने 'इन्फ्रास्ट्रक्चर' का निर्माण शुरू कर दिया है; यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग). एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

1976 के अन्त तक काम के पूरा हो जाने का कार्यक्रम है । कुल आवश्यक स्थान लगभग 1692 एकड़ है जिसमें से 1217 एकड़ जमीन उड़ीसा सरकार की है और 475 एकड़ गैर-सरकारी जमीन है । राज्य सरकार ने जमीन के हस्तान्तरण की सहमति दे दी है और हस्तान्तरण गैर-सरकारी

जमीन के अधिग्रहण के साथ लागू हो जायेगा। उड़ीसा सरकार ने प्रवेश मार्ग के लिए सड़क, पानी एवं बिजली की सप्लाई के भार को अपने ऊपर ले लिया है । प्रवेश मार्ग के लिए सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है । अन्य सुविधाओं के लिए अभी काम का आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री देवेन्द्र सत्पथी : मुझे बताया जाये कि इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लग जायेगा ?

श्री जगजीवनराम : जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इसे 1976 तक पूरा करने की योजना है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : भारत सरकार की दया से यह प्रशिक्षण केन्द्र चिलका में खोला जा रहा है । मुझे मंत्री महोदय बतायें कि क्या राज्य सरकार द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि और भूमि के मूल्य के लिये बढ़े मुआवजे की राशि के बारे में अभी तक निर्णय लिया जा चुका है और जिस सड़क का निर्माण कार्यगत वर्ष शुरु हुआ था, क्या वह कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा ?

श्री जगजीवनराम : मुझे आशंका है कि माननीय मंत्री ने विवरण नहीं पढ़ा है । इसमें बताया गया है कि सड़क का निर्माण कार्य राज्य सरकार ने शुरू किया है । जहां तक भूमि के मुआवजे का सम्बन्ध है, आरंभ में उड़ीसा सरकार ने बताया था कि मुआवजे की राशि लगभग 4 लाख रुपये होगी । अब ऐसा लगता है कि यह राशि $2\frac{1}{2}$ लाख रुपये होगी । इसकी जांच की जा रही है और अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

भूतपूर्व सैनिकों को पैंशन का भुगतान

*929. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष यह निर्णय किया गया था कि प्रतिरक्षा सेवा के भूतपूर्व कमचारियों को सेवा निवृत्ति के समय लगातार दो वर्ष तक उनके द्वारा धारण किये गये कार्यवाहक पद के आधार पर पेंशन दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस निर्णय को क्रियान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी हां, । निर्णय यह था कि सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों (जेनरल एवं उसके समकक्ष पदों के अलावा) जो 15 जून, 1968 को सेवा निवृत हो गये थे या उसके बाद सेवा निवृत होंगे, उनको पेन्शन का निर्धारण उनकी सेवा निवृत होने से पूर्व लगातार दो वर्ष तक प्राप्त रैंक के आधार पर होगा, बिना इस विचार के कि वह रैंक मौलिक थी या सवेतन कार्यकारी ।

(ख) निर्णय को लागू कर दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मैं जानना चाहता हूं कि इस निर्णय से कितने लोगों को नुक्सान हुआ है और यदि यह निर्णय वित्त मंत्रालय की सहमति से लिया गया था तो क्या कारण है कि इतना

अधिक समय बीत चुका है और पेन्शन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को देय धनराशि दो वर्ष तक नहीं मिल सकी है ?

श्री जगजीवनराम : मैं स्थिति का पता लगाऊंगा । जैसा मैंने बताया है कि यह कार्यान्वित किया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा चुका है। यदि विलम्ब हुआ है और कुछ विशेष मामलों की ओर मेरा ध्यान दिलाया जायेगा तो मैं इन मामलों की जांच करूंगा ।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मेरा प्रश्न विशेष प्रकार का है । निर्णय जनवरी, 1970 में लिया गया था और निर्णय अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है । इस निर्णय को अभी तक कार्यान्वित न करने के क्या कारण है ?

श्री जगजीवनराम : मैंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है कि यह कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि ऐसे कुछ मामलों की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाये जो कार्यान्वित नहीं किये गये हैं, तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

Shri Ramchandra Vikal : From which date this decision is being implemented ?

Shri Jagjivan Ram : I have already answered.

बंगला देश के बारे में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का प्रस्ताव

*930. **श्री एन० एन० पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के बारे में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने का कोई प्रस्ताव है ; श्रौर

(ख) यदि कोई मध्यस्थता करने वाली शक्तियां हैं, तो उनके नाम क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एन० एन० पाण्डे : क्या मंत्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा 20 तारीख को श्रीनगर में किये गये सम्वाददाता सम्मेलन की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगला देश की समस्या के बारे में बड़े देश एक सर्वोच्च बैठक बुलाने हेतु दबाव डाल रहे हैं ?

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, मुझे खेद है कि मैंने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं देखा है ।

बंगला देश के बारे में राजनैतिक हल

*924. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 12 जून, 1971 को सिल्चर में एक संवाददाता सम्मेलन में यह कहा था कि पाकिस्तान के साथ सभी सम्बन्ध विच्छेद करने की अपेक्षा विश्व के देशों के पाकिस्तान पर दबाव से बंगला देश की जनता के साथ किसी प्रकार का राजनैतिक हल निकल सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समस्या के समाधान का कोई हल नजर आ रहा है ?

विदेश मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि पूर्व बंगाल में राजनीतिक समझौता कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान पर दबाव डालेगा ।

(ख) अभी तक ऐसे किसी समझौते के कोई आसार नहीं हैं ।

Shri Bibhuti Mishra : A member of Ministry of Government if India have visited many Countries, still it is observed that Soviet Russia, U. S. A. France and Iran are supplying arms to Pakistan. None of the Middle East and African Countries is with us. I fail to understand as to how the world is going to pressurise for the solution of their problem ?

Mr. Speaker : The Hon. Member has expressed his opinion, but what is his question ?

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know as to the line of action Government propose to follow after the visit of so many Minister to the Countries of the world.

One Hon. Member : He should renounce the world.

श्री स्वर्ण सिंह : महोदय, विदेशों से हमें हमारी आशा के अनुरूप समर्थन नहीं मिल रहा है पर यह कहना ठीक नहीं होगा कि हमारे दृष्टिकोण का कोई समर्थक नहीं है । यह बात विभिन्न देशों के संसद सदस्यों के वक्तव्यों, इन सभी देशों के जनमत तथा कुछ देशों की सरकारी राय से स्पष्ट है । हमें इस दिशा में लगातार प्रयत्न करना है और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें जो कुछ भी कराना पड़ेगा उन प्रयासों में इनसे सहायता मिलेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, I am one of those soldiers who had been fighting with British regime since 1920 and are still prepared to fight at the risk of my life. They might not have been learn at that time.

I would like to know from the defence and External affairs Ministers, who are sitting here as to what strength they have in order to fight Pakistan and China. If you had the strength and you had toured the countries of the world, the world would have supported you. When the great war of Mahabharata was fought, Arjuna told the various Kingdoms about his own strength and therefore all the Kingdoms were with him. I would, therefore, like to know from the Hon. Minister in which manner you are inhibiting your strength so as to carry world countries with you ? (*Interruptions*)....

The Countries of the world would support you only when they know your own strength.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली में भूमि की अवैध बिक्री

अ०सू०प्र०5. श्री शशिभूषण : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश भूमि, जिसे अधिग्रहीत करने की सूचनायें पहले ही जारी की जा चुकी हैं, कुछ व्यक्तियों और कोलोनाइजरों द्वारा जनता को बेची जा रही हैं ;

(ख) भूमि की इस अवैध बिक्री को रोकने तथा जनता को कुछ समाज-विरोधी तत्वों के शिकंजे से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) जो भूमि अथवा क्षेत्र अधिग्रहित किये गये हैं अथवा अधिग्रहित किये जाने हैं उनके बारे में तथ्यों का प्रचार करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं जिससे जनता ऐसी भूमि न खरीदे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां । अधिसूचित भूमि के संबंध में ऐसे सौदों के बारे में कुछ शिकायतें प्रा त हुई हैं ।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(i) दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि जनता दिल्ली प्रशासन के भूमि और भवन विभाग से विक्रेता का स्वामित्व-अधिकार को मालुम किये बिना अधिसूचित/अर्जित भूमि को न खरीदें ।

(ii) पूर्वी शाहदरा क्षेत्र और उप-पंजीयक के कार्यालय में भी विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर इस सूचना के सूचना-पट लगा दिये हैं कि क्षेत्रों में भूमि अर्जित कर ली गई है तथा जनता को उसे नहीं खरीदना चाहिए ।

(iii) अर्जित भूमि पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पुलिस में की गई है तथा भूमि की अवैध बिक्री के लिये अनेक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(iv) अवैध निर्माण को रोकने के लिये पुलिस की गश्त की व्यवस्था कर दी गई है ।

(v) सामुदायिक सुविधाओं के लिये निर्धारित भूमि पर कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं तथा इस सूचना के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि भूमि अर्जित है ।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, will the Hon. Minister state as to why hundreds of new colonies have been constructed in between Tilak Nagar and Nazafgarh and around Delhi despite your publicity and why the construction thereof is still going on with the help of Delhi Administration ? Allured by the ficticious building plans of the colonizers more and more people are purchasing land and are occupying

Government land. Is it the reason for this that the land you have acquired has remained vacant and the people got an opportunity to occupy the same ? If so, why decesions are not taken expeditiously in regard to vacant land ?

I would like to ask one more question. You acquire land. The acquired land lying vacant. This land is being given to the people illegally in connivance with Delhi Administration. Thousands of acrage of land has been submerged, *e. g.*, ten thousand acres of land was submerged after the construction of Ring Road near Bagh Kale Khan and there is no remedy for draining and the water. 15 thousand people are facing difficulties on this account. They have no means to came out of it. The water is not deep. They can not swim.

Secondly, is the publicity media under the charge of Government itself or it is being made through Delhi Administration? In case it is being done through Delhi Administration, what are the reasons for its failure ? What action is being taken against them ? While corruption is rampant in Delhi Administration, you are called upon to answer the charges. What action are you taking against them ?

श्री इंद्रकुमार गुजराल : महोदय, हम इस बात से अवगत हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र में अप्राधिकृत निर्माण कार्य हुआ है। कुछ समय पहले एक नीति बनायी गई थी। इस नीति के अनुसार 1962 तक जो बस्तियां बन गई थीं उनमें से 166 बस्तियों को नियमित कर दिया गया है। 1962–67 के दौरान 101 नई बस्तियां बनी हैं। इन 101 बस्तियों में से 70 बस्तियों को नियमित करार दे दिया गया है। 31 ऐसे क्षेत्रों में हैं जिन्हें नियमित नहीं किया जा सकता है। किन्तु 1970 में अनेक नई बस्तियां खड़ी कर दी गई हैं। महोदय, दो दिन पूर्व ही हमें पता चला कि केवल शहादरा क्षेत्र में ही 2700 मकान बनाये गये हैं जो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित क्षेत्र में बनाये गये हैं। अतः कुछ मकान तोड़ने पड़े हैं। इनमें कुछ लोगों ने 'स्टे आर्डर' ले लिया है।

मैं अपने माननीय मित्र को आश्वासन दे सकता हूं कि दिल्ली विकास प्राधिकरण उन मामलों में समझौता नहीं करेगा जिनमें सरकारी या अर्जित भूमि में अप्राधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि यह भूमि बृहत् योजना में आती है।

मैं चाहता हूं कि ये बस्तियां सहकारी आधार पर बसाई जायें और यह भूमि सीधे ही मध्य और निम्न वर्ग की आय वाले लोगों को दी जाये। अतः इनको किसी भी दशा में नियमित नहीं किया जायेगा। केवल शहादरा क्षेत्र में ही दण्ड अधिनियम के अधीन 200 मामले चलाये गये हैं और 50 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है। हम उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं जो ऐसी भूमि बेच रहे हैं जो उनकी अपनी नहीं है या जो अधिसूचित है। मैं अपने मित्र को विश्वास दिलाता हूं कि हम कठोर कदम उठायेंगे।

जहां तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सम्बन्ध है, मैंने यह बात नोट कर ली है और मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

Shri Shashi Bhushan : Mr. Speaker, you have just now told that concerted efforts are being made in this direction. But at least 200 temples have been constructed on Government land in colloboration with Delhi Administration and the Municiple Corporation in Delhi and those temples are being used for selling drugs and the pandits who read palms are setting there and thus they are occupying land illegally. What action are you going to take against them ?

श्री इंद्रकुमार गुजराल : मैंने यह जानकारी नोट कर ली है और अगर किसी व्यक्ति ने भूमि का इस प्रकार दुरुपयोग किया है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Delhi has been developing rapidly for the last many years and the population has been increasing at a fast rate. This has led to the construction of a number of unauthorised houses by the people. They are getting telephones, electricity connections and Government is registering these houses. Are you prepared to deny these facilities till Government approve them ? Are Government aware that the rent of these houses, which have been constructed during the last two years, has now gone up from Rs. 300 to Rs. 500/- and if so, what special steps are being taken to check this ? The main reason for this unauthorised construction is that people have no room to live and they take houses on higher rent ?

Shri I. K. Gujral : Sir, my Hon. friend has correctly said that the people in Delhi do not get houses because of its increasing population. (*Interruptions*)...... We are therefore trying to construct as many houses and colonies as we can. The D. D. A. have done a lot on this front and their efforts continuing. As far giving water and electricity to unauthorised colonies, I think my Hon. friend should put this question to his leaders who are in Corporation and who are responsible for the provision of water and electricity. It would be better if they stop providing this facility.

Shri Hukum Chand Kachwai : My second question has not been answered. The rent of houses has gone up considerably. One who had taken a house on rent two years ago is asked by the owner to vacate the same as he can get a rent of Rs. 500/- for same houses which he had rented on Rs. 300/- two years ago. Have you taken special measure to check this ? Have you made any law in this regard ?

Shri I. K. Gujral : The rent Control act is already there to check the increase in the rent. But the fact is that people are more and the houses are less. The problem can not be solved unless more houses are constructed. We are therefore anxious to construct more and more Houses.

श्री जगन्नाथ राव : अनाधिकृत बस्तियों में जे० जे० कालोनी एक है जो कुछ वर्ष पहले बनी थी और यदि मुझे ठीक याद है तो दिल्ली प्रशासन इसे नियमित करना चाहता था । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या हुआ है ?

श्री इंद्रकुमार गुजराल : मैं समझता हूं कि मेरे मित्र जे० जे० कालोनी का उल्लेख कर रहे हैं । यहां प्रारम्भ में झुग्गी झोंपड़ी वालों को 80 वर्ग गज के भू-खण्ड अलाट किये गये थे लेकिन बाद में उन्होंने इन भू-खण्डों को अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों को दे दिया । हमने उनके विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ कर दी है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विदेशों की सहायतार्थ अथवा विदेशों में प्रतिरक्षा सेनाओं को भेजने के बारे में विधान

*904. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 (2) के अन्तर्गत तथा प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिरक्षा मामलों संबंधी अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार सरकार का विचार, प्रतिरक्षा सेनाओं के उपयोग और विशेषकर किसी अन्य देश की सहायतार्थ अथवा अन्य देश में प्रतिरक्षा सेनाओं को तैनात करने के काम को कानून द्वारा विनियमित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का विधान कब तक पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है जो माननीय सदस्य द्वारा अपेक्षित हैं ।

Delegations Sent Abroad by Ministry of Defence

*906. **Shri G.C. Dixit.** Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of delegations sent abroad by his Ministry during the last two years ending on the 30th April, 1971 and the names of Members of each of the said delegations as also the countries to which they were sent and the purpose of their visit ; and

(b) the total amount of foreign exchange spent by Government on this count ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बच्चों की दांतों की खराबी का रोका जाना

*907. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बच्चों के दाँत अब अधिक खराब होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दांतों की खराबी को रोकने के लिये कोई उपाय किये गये हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयातित एमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना

*912. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब आयातित एमोनिया पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक अनुसरण की जा रही नीतियों में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो धर्मसे खटाऊ उर्वरक परियोजना की मंजूरी किन बातों का ध्यान में रखकर दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) यह प्रायोजना दीर्घावधि से सरकार के विचाराधीन थी । पार्टी ने आयातित अमोनिया पर आधारित प्रायोजना की स्थापना के प्रारम्भिक कार्य को पर्याप्त मात्रा में पूरा कर लिया था अतः सरकार ने पार्टी को एक औद्योगिक लाइसेन्स स्वीकार करने का निर्णय किया है ।

विमान अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान द्वारा शरण दिया जाना

*913. **श्री रामकंवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स के विमान का श्रीनगर से लाहौर अपहरण करने वाले अपहरण-कर्ताओं को पाकिस्तान सरकार ने राजनैतिक शरण दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार इन दोनों सशस्त्र अपराधियों को पाकिस्तान द्वारा राजनीतिक शरण दिये जाने को अन्तर्राष्ट्रीय सिविल विमानन को नियंत्रित करने वाले सभी प्रसंविदाओं का उल्लंघन मानती है । बिना किसी पूर्व शर्त के इन लोगों को राजनीतिक शरण देने से यह ज्ञात होता है कि विमान अपहरण कांड में पाकिस्तान भी सह अपराधी है ।

नई दिल्ली में उत्तर कोरिया की प्रदर्शनी

*916. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के महावाणिज्य दूतावास को अपने उत्पादों और मशीनरी की एक प्रदर्शनी आयोजित करने की कोई अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के उत्पादों और मशीनरी को उन्होंने प्रदर्शित किया ; और

(ग) कितने स्थानों पर यह प्रदर्शनी आयोजित की गई ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कोरियाई लोक जनगणराज्य में निर्मित बहुत सी वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं, जिनमें हलकी मशीनें, मशीनों के पुर्जे, कृषि के औजार, बिजली की वस्तुएं, धातु, खनिज, रसायन, कपड़े, दस्तकारी, तैयार वस्त्र और कोरियाई शराब शामिल है।

(ग) प्रदर्शनी 11 मार्च 1971 से दस दिन के लिए केवल दिल्ली में हुई थी।

Rise in the Price of Petrol

*919. **Shri Ramvatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the petrol-pump owners raised the price of petrol throughout the country even before the Budget was passed by the Parliament ;

(b) whether taxi and scooter drivers of Delhi had staged a demonstration in front of some petrol-pumps on the 9th June, 1971 in protest of charging 3 paise per litre more by the Petrol-pumps illegally ; and

(c) if so, the action taken by Government against such petrol-pump owners ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) The revised rate of excise duty becomes effective from the mid-night of the day on which the Finance Bill is introduced in Parliament. A petrol-pump dealer was entitled therefore. to increase the price of petrol from mid-night of 29.5.71 as a result of an increase in the rate of excise duty on petrol.

(b) and (c). According to the Press reports some Taxi and Scooter drivers in Delhi demonstrated in front of some petrol pumps on 9.6.71 to protest against the levy of unauthorised "Service Charge" of 2 paise per litre on the sale of petrol by the petrol dealers.

As a result of intervention by the Government and the oil companies, the dealers in Delhi stopped the unauthorised "Service Charge" on petrol from 10.6.71.

ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए विश्व बैंक की योजना

*920. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश और मैसूर के ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं और योजना की क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश और मैसूर राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को तीव्र करने के लिए विश्व बैंक के एक पूर्व-मूल्यांकन मिशन ने एक योजना तैयार की है । इसमें अतिरिक्त प्रसूति अस्पताल खोलने और खास खास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति खण्ड शुरू करने तथा और अधिक उप-केन्द्र खोलने की बात निहित है । इस मामले में अभी बातचीत की जा रही है ।

नई दिल्ली सफदरजंग अस्पताल का अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के साथ विलय

*921. **श्री ब्रजराज सिंह–कोटा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली सफदरजंग अस्पताल का अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के साथ विलय सम्बन्धी विचाराधीन प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में निर्णय की घोषणा कब तक की जाएगी ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

एक भारतीय के औसत भोजन में कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा

*922. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पाँच वर्षों के दौरान एक भारतीय के औसत भोजन में कैलोरी तथा प्रोटीन की मात्रा में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यह मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय औसत से, विशेष रूप से अफ्रीकी एशियाई देशों के औसत से कितनी न्यूनाधिक है; और

(ग) क्या हमारे यहां उत्पन्न होने वाले ऐसे पदार्थों के निर्यात की सावधानी से जांच की जाती है जो कि हमारे देश की पोषाहार-आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है, और क्या उस निर्यात में आवश्यक कटौती की जाती है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

(ग) जी हां । सभी सम्बन्धित कारणों पर विचार किया जाता है तथा तदनुसार आयात की गयी मदों को विनियमित किया जाता है ।

विवरण

(क) इस अवधि के दौरान औसत-खुराक में कैलोरियों तथा प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

1966—70 तक भारत में कैलोरियों तथा प्रोटीनों की प्रति व्यक्ति प्रति दिन मात्रा

वर्ष	कैलोरी	प्रोटीन *
1966	1783	48.6
1967	1712	48.6
1968	1919	54.3
1969	1889	51.7
1970	19 28	53.3

* इन आंकड़ों में दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं और अण्डों से प्राप्त कैलोरियां और प्रोटीन सम्मिलित नहीं हैं चूंकि इन खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति मात्रा सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 1966 में भारत में कैलोरियों की मात्रा 2020 थी जो कि 2420 कैलोरी के अन्तर्राष्ट्रीय औसत से लगभग 400 कैलोरी तथा 2306 के अफ्रेशियाई देशों के औसत से 300 कैलोरी कम रही । भारत में उपलब्ध 51.5 ग्राम प्रोटीन की मात्रा 67 ग्राम के अन्तर्राष्ट्रीय औसत से 15.5 ग्राम तथा 64.3 ग्राम के अफ्रेशियाई औसत से 12.8 ग्राम कम रही ।

दिल्ली में धौला कुंआ, बापू-धाम और रेलवे कालोनी के निकट झुग्गियों का गिराया जाना

*923. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में धौला कुंआ, बापू-धाम और रेलवे कालोनी के निकट लगभग 1500 झुग्गियों को वहां के निवासियों को पूर्व सूचना दिये बिना पुलिस की सहायता से गिरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या उनमें से कुछ परिवार अभी भी पटरियों और सड़क के किनारे पड़े हैं और कठिनाइयां उठा रहे हैं ; और

(घ) प्रत्येक परिवार को कितनी मुआवजा दिया गया है और सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 770 नई झुग्गियों का एक स्थल (चाणक्यपुरी) साफ किया गया था ।

(ख) ये झुग्गियां जो सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत अतिक्रमण थीं कुछ ही दिनों में बन गई थीं । इससे पहले कि वे स्वयं जम पायें, इस बढ़ते हुए उत्पात को रोकने की दृष्टि से, इन झुग्गियों को साफ करने के लिए तुरंत उपाय करने पड़े ।

(ग) सड़क के किनारे अनधिकृत रूप से पुनः बनाई गई 300 झुग्गिया में से 100 के लगभग दखल में हैं तथा शेष खाली पड़ी हैं ।

(घ) चूंकि अतिक्रमण अनधिकृत थे, मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठा ।

जहां तक अनधिवासियों को पुनः बसाने का सम्बन्ध हैं, झुग्गी और झोपड़ी हटाओ योजना के नाम से एक योजना है, जिसके अनुसार जुलाई, 1960 से पहले के अनधिवासियों को अपेक्षाकृत केन्द्रीय इलाकों में वैकल्पिक वास दिया जाता है तथा जुलाई, 1960 के बाद के अनधिवासियों को शहर की परिधि के कैम्प-स्थलों में ले जाया जाता है । तथापि, योजना पुनरीक्षणाधीन है ।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस में दूसरी पारी

*928. **श्री दंडपाणि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज की भारी कमी के कारण भारत सरकार की प्रेसों में मंजूर की गई दूसरी पारी नहीं चलाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के कोन-कौन से प्रेसों में दूसरी पारियां नहीं चल रही हैं ; और

(ग) कागज की इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) कोराटी, कोयम्बटूर तथा रिंग रोड, नई दिल्ली के भारत सरकार के मुद्रणालय ।

(ग) कागज पर सरकार द्वारा बनाई गई तदर्थ समिति विशेष रूप से लिखाई तथा छपाई के कागज की बढती हुई कमी की समस्याओं पर ध्यान दे रही है । इसके अतिरिक्त, स्थिति पर काबू पाने के लिए, वर्तमान एककों के उत्पादन में वृद्धि हेतु एक क्रैश प्रोग्राम का आयोजन किया गया है । वर्तमान क्षमताओं के विस्तार के लिए लाइसेन्स भी दिए गये हैं । सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में नई क्षमताओं को अनुमोदित किया गया है । कागज उद्योग की, तदर्थ समिति भी कागज उत्पादन के पैटर्न, मूल्यों तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न कर रही है ।

Eviction of Cultivator from Cantonment Land at Jabalpur

3845. **Dr. Govind Das** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether, while setting up Jabalpur Cantonment in 1863 and 1864 a part of Gorakhpur village was included in their area without payment of compensation ;

(b) whether a collective agreement was executed with the people through the Settlement Court in 1863 and 1864 while acquiring the land on lease and vesting the right of property in the farmers ;

(c) whether at the time of second settlement in 1882, eviction notices to the farmers were not issued in view of the agreement referred to in part (b) above ;

(d) whether whenever Government needed land, it was acquired only after payment of compensation ;

(e) whether Cantonment authorities and M. E. O. Jabalpur had evicted an old cultivator from his plot No. 65, Khasara No. 1278 of 1863 and 1864 without payment of compensation ; and

(f) if so, the reasons therefor and action taken by Government in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (f). The requisite information is being collected and the same will be placed on the Table of the Sabha.

Payment of Compensation to cultivators evicted from Jabalpur Cantonment Area

3846. **Dr. Govind Das** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether a number of cultivators have been evicted from the Jabalpur Cantonment area without payment of compensation under Sections 280 and 286 of the Cantonment Act ;

(b) whether the authorities had powers to evict cultivators without payment of compensation as provided in the agreement of Settlement Court of 1863 and 1864 concluded by the authorities with the people :

(c) whether the evicted cultivators of Jabalpur Cantonment had applied for compensation as also for getting back their land in the area ; and

(d) if so, what action has been taken on their applications ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d). The requisite information is being collected and the same will be placed on the Table of the House.

पेराफीन मोम का आवंटन

3847. **श्री रौबिन ककोटी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और 1971 (मई 1971 के अन्त तक) के लिए केन्द्रीय सरकार के 'पूल' या कोटा में से, राज्यवार, जिन फर्मों या व्यक्तियों को पैराफीन मोम का कोटा दिया था, उनके नाम क्या हैं और उनको कितना कोटा दिया गया था ;

(ख) विभिन्न राज्यों, विशेषकर आसाम राज्य से कितने आवेदन-पत्र' (फर्मों के नाम क्या है और कितनी मात्रा के लिये आवेदन पत्र भेजे हैं) विचाराधीन हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि क्या उन फर्मों यां व्यक्तियों ने जिनको उपर्युक्त अवधि में पेराफीन मोम का कोटा दिया गया था, आवंटित मात्रा का उपयोग मोमबत्तियां आदि बनाने के लिये किया है अथवा मोम को चोर बाजार में बेच दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) केन्द्रीय सरकार का पेराफीन मोम (वैक्स) का कोई 'पूल' या कोटा नहीं है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत सैनिक अधिकारियों द्वारा असैनिक सेवा में पुर्ननियुक्त के बाद सैनिक वर्दी का पहना जाना

3848. **श्री पन्नालाल बारूपाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक कर्मचारी सेवा से निवृत्ति के पश्चात् असैनिक सेवा में पुर्ननियुक्त होने पर, समारोहों के अवसर छोड़ कर सैनिक वर्दी या सैनिक बैज नहीं पहन सकते हैं ; और

(ख) क्या नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड निदेशालय, दिल्ली में पुर्ननियुक्त भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी अपने सामान्य कार्य के दौरान सेना की वर्दी और रैंक के बैज पहन सकते हैं जबकि उन्हें निदेशालय द्वारा रैंक और वर्दी दिये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

खनिज टर्पेंटाइन ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल का बनाया जाना

3849. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 के चीनी अक्रमण से डिग्बोई की आसाम तेल कम्पनी ने खनिज टर्पेंटाइन ड्राई क्लीनिंग पेट्रोल बनाना बन्द कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस समय आसाम, मेघालय, मनीपुर और त्रिपुरा में ड्राई क्लीनर और 'डायर' बम्बई और कलकत्ता से वास्तविक मूल्य पर शतप्रतिशत मुनाफा देकर इस सामग्री को प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार आसाम तेल कम्पनी को खनिज टर्पेंटाइन ड्राइ क्लानिग पट्राल का पुनः बनाने के निदेश देगी जिससे पूर्वी राज्यों के ड्राई क्लीनिरों और डायरों को होने वाली कठिनाइयां कम की जा सकें ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) दिग्बोई परिष्करणशाला में खनिज तारपीन के तेल (टर्पेंटाइन आयल) का उत्पादन 1965 से निम्न कारणों से बन्द कर दिया गया है :—

1. असम क्षेत्र में इसकी आवश्यकताएं बहुत कम थीं यह आवश्यकताएं 1963 में केवल 56 मीटरी टन एवं 1964 में 68 मीटरी टन थीं। लघु मात्रा की इस आवश्यकता को कलकत्ता से सुगमता से भेजकर पूरा किया जा सकता है तथा वार्षिक आधार पर इस प्रकार की अल्प मात्राओं का एक परिष्करण शाला में उत्पादन किया जाना लाभप्रद नहीं है।

2. 1965 तक दिग्बोई परिष्करणशाला कलकत्ता मूल्य निर्धारण क्षेत्र की खनिज तारपीन के तेल (टर्पेन्टाइन आयल) की आवश्यकताओं को भी पूरा कर रही थी। इस परिष्करणशाला के लगभग 3,000 मीटरी टन उत्पादन की तुलना में असम क्षेत्र में इसकी खपत केवल 50 से 70 मीटरी टन थी। इस के अतिरिक्त असम की मिट्टी के तेल की आवश्यकताएं कलकत्ता से पूरी करनी पडती थीं। अत: दिग्बोई में खनिज तारपीन के तेल (टर्पेन्टाइन आयल) के उत्पादन को बन्द करने का निर्णय किया गया।

किन्तु दिग्बोई परिष्करणशाला द्वारा ड्राई-क्लीनिंग पेट्रोल अथवा नान-लैडेड पेट्रोल का उत्पादन जारी है तथा इसे असम क्षेत्र में बेचा भी जा रहा है।

(ख) देश की खनिज तारपीन के तेल (टर्पेन्टाइन आयल) की सम्पूर्ण आवश्यकतायें केवल बम्बई तथा कलकत्ता से पूरी की जाती हैं। अत: असम क्षेत्र के ड्राई-क्लीनर्ज, हिमाचल प्रदेश अथवा जम्मू-एवं कश्मीर या केरल के खनिज तारपीन के तेल के उपभोक्ता की तुलना में किसी प्रकार भी अलाभ-प्रद स्थिति में नहीं हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Kaiwalyadham Temple near Chittagong destroyed by Pakistan Army

3850. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether famous Kaiwalyadham temple situated near Chittagong in East Bengal was destroyed by Pakistan Army during the first week of April, 1971 and its priests were also killed ;

(b) whether Government of India and Pakistan both are committed that the religious shrines in either country will not be damaged ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to stop such action ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : We have seen reports to this effect.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). In the unsettled state of affairs in East Bengal it is difficult to ascertain the full details of this particular act of sacrilege and vandalism on the part of Pakistan army. However, we are continuing our efforts to collect fuller and more authentic information on this incident and if this report is found to be correct, we will take up this matter with the Government of Pakistan and draw their attention to this serious breach of Nehru-Liaqat agreement.

Shortage of Kerosene Oil in Saharsa District of Bihar

3851. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is an acute shortage of kerosene oil in Saharsa District of Bihar :

(b) whether in spite of the nearness of Saharsa to Barauni, kerosene oil from Barauni is sent to remote places and not to Saharsa and on the contrary kerosene oil is supplied to Saharsa from Patna or other places :

(c) whether this is also the reason for frequent shortage of kerosene oil in Saharsa ; and

(d) whether Government would make suitable arrangements to improve the situation in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) There was shortage of kerosene oil in Bihar, including the Saharsa District. during May and the first fortnight of June, 1971. Since then as a result of the implementation of the new scheme to pump kerosene from Haldia to Barauni, the position has substantially improved, as will be seen from the following figures :—

Supply during May, 71		9,200 tonnes
Supply during June, 71		14,900 tonnes
Percentage increase	......	62%

(b) Bulk of the kerosene production at Barauni refinery is required on technological considerations to be compulsorily pumped in the Barauni-Kanpur pipeline to operate the same, Unless this is done, the pipeline and the refinery cannot be operated. As such the requirements of Bihar, including Saharsa, were mostly met by rail despatches from Calcutta. From 15th June 71 onwards, however, kerosene is being directly pumped from Haldia to Barauni, Patna and beyond, and is being freely released ex-Barauni and Patna, to meet the requirements of Saharsa and other areas in Bihar.

(c) The reason for shortage of kerosene oil in Saharsa has been the difficulty in despatching the product from Calcutta by rail.

(d) Does not arise, in view of answer to part (b) of the question.

1970 में दिये गये पारपत्र

3852. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में कितने व्यक्तियों ने पारपत्रों के लिए आवेदन पत्र दिए और उनमें कितने छात्र थे;

(ख) वर्ष 1970 में कितने छात्रों को पारपत्र जारी किए गये ;

(ग) क्या जिन छात्रों को पारपत्र दिए गये वे सब उस उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए थे जिसकी सुविधाएं भारत में उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) क्या भारत सरकार इन छात्रों से यह वचन लेती है कि अध्ययन पूरा होने पर वे भारत वापस आयेंगे और एक विशिष्ट अवधि तक सरकार की सेवा करेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

भारतीय सीमावर्ती नगर करीमगंज के निकट पाकिस्तानी सेना का जमाव

3853. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की प्रेस-रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि भारतीय सीमावर्ती नगर करीमगंज के निकट पाकिस्तानी सेना बहुत संख्या में जमा हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). सरकार ने इस आशय के प्रेस में छपे समाचार देखे हैं । हमारी सीमाओं के पार पूर्वी बंगाल में पश्चिम पाकिस्तान की सेनाओं की तेनाती में हुए परिवर्तनों का सरकार निरन्तर ध्यान रखती है । हमारी सुरक्षा सेनाओं को किसी भी आकस्मिक्ता का सामना करने के लिए आदेश प्राप्त हैं ।

जासूसी गतिविधियों के कारण भारतीय सैन्य अधिकारियों की कथित गिरफ्तारी

3854. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पूर्व बंगाल के संघर्ष के दौरान जासूसी गतिविधियों के कारण अब तक कितने भारतीय सैन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके रैंक क्या हैं ; और

(ख) भविष्य में इस प्रकार के समाज विरोधी तत्वों से देश की सुरक्षा के लिए सरकार का क्या रोकथाम संबंधी उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) भारतीय वायु सेना का एक कारपोरल, राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसके कब्जे में सेना के वर्गीकृत कागजात तथा अभिलेख थे। मामले की अभी जांच चल रही है।

(ख) जासूसी कार्यों को रोकने के लिए विस्तृत सुरक्षा आदेश पहले से ही मौजूद हैं। उन्हें कठोर रूप से लागू किए जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

अगरतला नगर पालिका के चुनाव

3855. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुर प्रशासन ने अगरतला नगर पालिका को कितने वर्ष तक प्रशासन के अधीन रखा है ;

(ख) क्या न्यायआयुक्त ने एक लेख याचिका में नगर पालिका के चुनाव कराने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है ; और

(ग) अगरतला नगर पालिका के लिये चुनाव कराने की अनुमती न देने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाद्याय) : (क) 16 वर्ष।

(ख) जी, हां।

(ग) बंगाल नगर पालिका अधिनियम, 1932 जैसा कि त्रिपुरा में लागू है, के अन्तर्गत नगर पालिका आयुक्तों के चुनाव से सम्बन्धित धाराओं में संशोधन करने के अधिनियम के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। संशोधनों को अन्तिम रूप देने के बाद चुनाव गुप्त रूप से कराये जायेंगे।

रक्षा सेवा कर्मचारियों को परिवार पेन्शन तथा न्यूनतम पेन्शन

3856. **श्री ब्रजराज सिंह-कोटा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवा कर्मचारियों के लिये परिवार पेंशन योजना और उन्हें न्यूनतम पेंशन देने के बारे में किया गया निर्णय लागू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गये आदेशों के आधार पर रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के परिवारों को

पारिवारिक पेंशन के योग्य करार किया गया था, यदि सैनिक को मृत्यु सेवा काल में या सेवा निवृत्ति के उपरांत पेंशन लेते हुए, उन कारणों के फलस्वरूप हुई हो, जो न तो सेवा के परिणाम स्वरूप हुए हों या सेवा के कारण उसमें वृद्धि हुई हो। यह योजना 1-1-1964 से लागू की गई थी और उन सैनिकों के परिवारों पर लागू की गई थी जिनकी मृत्यु उस तारीख को या उसके बाद हुई हो। साथ ही साथ इसके फलस्वरूप तदर्थ वृद्धि सहित न्यूनतम पेंशन 25 रुपए प्रति माह थी । 1-3-1970 से पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा को वृद्धि रुपए 40 प्रतिमाह कर दी गई है जो इसके ध्यान किए बिना दी जाएगी कि सैनिक की मृत्यू किस तारीख को हुई। इस योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

(1) सामान्य पारिवारिक पेंशन, विधवा स्त्री/बच्चों को ग्राह्य है चाहे सैनिक की मृत्यु केवल 1 वर्ष की सेवा के बाद हो जाए। यह विधवा स्त्री को उसके जीवन काल के लिए या दुबारा विवाह तक, जो भी पहले हो, और उसकी मृत्यु के बाद बच्चों को ग्राह्य हैं। पुत्र को, जब तक वह 18 वर्ष का न हो जाता है, और अविवाहित पुत्री को, जब तक वह 21 वर्ष की न हो जाती है, यह पेंशन ग्राह्य है।

(2) यह पेंशन मृतक द्वारा अन्त में लिए गए वेतन के कुछ प्रतिशत के आधार पर उपर्युक्त न्यूनतम को ध्यान में रख कर दी जाती है ।

(3) यदि कोई व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष की सेवा के बाद मर जाता है, तो पारिवारिक पेंशन, सामान्य पेंशन से दुगनी दर पर अधिक से अधिक 7 वर्षों तक ग्राह्य होती है और उसके बाद सामान्य दर पर ।

(4) **विशेष पारिवारिक पेन्शन**— यदि किसी सैनिक को मृत्यु सेवा के फलस्वरूप या उसके कारण मृत्यु के कारणों में वृद्धि हुई हो तो पारिवारिक पेंशन विशेष दर पर ग्राह्य होती है । यह योजना काफी समय से लागू है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है पेंशन की न्यूनतम सीमा 1-1-1964 से 25 रु० प्रति माह और 1-3-1970 से 40 रु० प्रतिमाह विशेष पारिवारिक पेंशन के मामलों में भी लागू है।

भारतीय उप-महाद्वीप की स्थिति

3857. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मई, 1970 को वाशिंगटन में सीनेटर एडवर्ड कैनेडी ने चेतावनी दी है कि भारतीय उप-महाद्वीप में स्थिति बिगड़ रही है और कहा है कि समस्त उप-महाद्वीप युध्द की कगार पर खड़ा है ;

(ख) यदि हां तो चेतावनी की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने स्थिति का पूर्ण रूप से अनुमान लगा लिया है और चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैयार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सीनेटर एडवर्ड केनेडी ने 27 मई 1971 को संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री के पास एक पत्र भेजा, जो 30 मई 1971 को भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने अप्रेल को सीनेट में एक वक्तव्य भी दिया।

(ख) इन वक्तव्यों में, उन्होंने बिगड़ती हुई स्थिति की ओर संकेत किया और आग्रह किया कि प्रत्येक सरकार इस बात के लिए ठोस प्रयास करे जिनसे भारत में शरणार्थियों का आना रूके और उन लोगों को अपने घर लौटने में आसानी हो जो पहले ही अपने घर छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरीका की सरकार को चुप नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वी बंगाल की स्थिति से विशेष रूप से अमरीकियों को चिन्तित होना चाहिये क्योंकि उनके दुःख को बढ़ाने में, अमरीकी सैनिक साज-सामान काफी हद तक जिम्मेदार हैं।

(ग) पूर्वी बंगाल में वर्तमान स्थिति से उत्पन्न गम्भीर समस्याओं से सरकार अवगत है, जिनके कारण भारत में भारी संख्या में शरणार्थी आ गए हैं और उसने इसका मुकाबला करने के लिए सभी उपाय किए हैं।

पाकिस्तान को गुप्त सूचना भेजने के लिये एक रक्षा कर्मचारी का गिरफ्तार किया जाना

3858. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की गुप्त सूचना भेजने के लिये शिलांग में कुछ रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या अत्याधिक संख्या में पाकिस्तानी गुप्तचर पूर्वी सीमा पर सक्रिय हो गये हैं और उन्होंने गुप्त सूचना प्राप्त करने के लिये सेना के संवर्गों में अपने अड्डे बनाने आरम्भ कर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने गुप्तचरों को गिरफ्तार किया गया है और कितने भारतीय रक्षा कर्मचारी या गुप्तचरों से मिले हुये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम): (क) से (ग). पाकिस्तान के लिए गुप्तचरी करने के आरोप में असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में रक्षा कर्मचारियों सहित कई व्यक्ति पकड़े गये हैं। इस विषय में विस्तृत सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सेवा निवृत्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन

3859. **श्री ब्रजराज सिंह-कोटा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपात कमीशन पदों पर भर्ती गिये गये और सेना की सेवा में निवृत्त हुए कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : आपात कमीशन प्राप्त अफसर जो असैनिक जीवन से आए थे, पेन्शन के हकदार नहीं हैं। वे सात्रिक उपदान के हकदार हैं। उपदान की राशि, की गई सेवा के वर्षों पर निर्भर करती है। सेवा कर रहे जे० सी० ओ० इत्यादि जिन्हें आपात कमीशन दी गई थी, सेवा निवृत्ति पेन्शन के हकदार हैं।

देशीय कच्चे माल पर आधारित पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का निर्माण

3860. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल उद्योग विकास निगम से देशीय कच्चे माल पर आधारित पोलिएस्टर स्टेपल रेशे का निर्माण करने हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे मंजूर कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आवेदन पत्र पर अनुकूल दृष्टि से विचार नहीं किया जा सका क्योंकि पोलिएस्टर फाइबर के निर्माण के लिये और क्षमता हेतु लाइसेंस देने की कोई गुंजाइश नहीं है । चौथी योजना में पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर एवं पोलिएस्टर फिलामेंट के उत्पादन का लक्ष्य 22,000 मीटरी टन है । अनुमोदित किये जा चुके पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के कारखानों की क्षमता 30,500 मीटरी टन है और इसके अतिरिक्त, पांचवी योजना अवधि के प्रारंभिक वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 30,000 मीटरी टन पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर संयंत्र के निर्माण का भी सिध्दांत रूप से अनुमोदन कर दिया गया है ।

Production of Fertilizers

3861. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the targets of production of fertilizers have not been achieved during the past two years ;

(b) if so, the reasons thereof ;

(c) whether their prices have gone up very much as a result thereof ; and

(d) the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). The production targets could not be achieved for the following reasons :—

(1) Shortage of raw materials such as C. O, Gas for Raurkela, power supply for Nangal and deficiencies in the gypsum supplied to Sindri both in quantity and quality.

(2) Technological difficulties in various plants resulting in frequent breakdowns.

(3) Power failures and power cuts and voltage drops and unstable power supply.

(4) Labour and other local troubles.

(c) and (d). The gap between fertilizers required by the farmers and indigenous availability is made up through imports. The shortfall in indigenous production has not, therefore, led to any increase in fertilizer prices.

एच० एस०–748 विमानों का विक्रय

3862. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य-पूर्व और अफ्रीका के कुछ देशों ने कानपुर में निर्मित एच० एस०-748 विमान में अपनी रुचि दिखाई है ;

(ख) इन क्षेत्रों में इन विमानों का विक्रय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कानपुर डिवीजन की क्षमता की वृद्धि और उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) भावी क्रेताओं से सम्पर्क स्थापित किए गए हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं का पक्का संकेत मिल सके ।

(ग) वर्तमान आवश्यकताओं के लिए डिवीजन की क्षमता पर्याप्त हैं। समय समय पर इस डिवीज़न की उत्पादन कार्यकलाप का पुनः निरीक्षण किया जाता है और आवश्यक हुआ तो इसकी क्षमता में वृद्धि की जाएगी ।

दिल्ली प्रशासन को ऋण का वितरण

3863. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बजट में स्वीकृत 15 लाख रुपये के ऋण की राशि, जिसे दिल्ली प्रशासन के अधिकृत क्षेत्र में बांटा जाना है दिल्ली प्रशासन को दे दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन और केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के बीच कोई प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद इस बारे में रुकावट सिद्ध हो रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) जी, हां। यह दे दिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निधि में से व्यक्तियों को ऋण वितरण के लिये अपनाये जाने वाली पद्धति के बारे में दिल्ली प्रशासन और महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, के बीच कुछ मतभेद था। मामला अब तय हो चुका है और दिल्ली प्रशासन ऋण लेने वाले व्यक्तियों को अपेक्षित धन बांट रहा है।

पूर्वी बंगाल के बारे में एशिया एण्ड पैसिफिक अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष का वक्तव्य

3864. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1971 के 'पेट्रियट' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राज्य प्रतिनिधि सभा में संयुक्त राज्य विदेश सम्बन्ध समिति की एशिया एंड पैसिफिक अफेयर्स उपसमिति के अध्यक्ष ने कहा है कि पूर्वी बंगाल में हो रही घटनाओं से वहां एक दूसरा वियतनाम बन जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को आशा है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात का सुनिश्चय करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करेगा कि पूर्वी बंगाल की स्थिति और खराब न हो और वहां ऐसे राजनीतिक समझौते से शांति स्थापित हो जो बंगला देश के लोगों को तथा उनके द्वारा चुने गए नेताओं को मान्य हो ।

इटली के नागरिकों को भारतीय जीवन पर चित्र बनाने की अनुमति देना

3865. **श्री निहार लास्कर** :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली के नागरिक भारतीय जीवन पर चित्र बनाना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने गत अनुभव को दृष्टि में रखते हुये उन्हें यह अनुमति दे दी है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सिने चित्र बनाने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है परंतु इस शर्त पर कि भारत में सिने चित्र बनाने वाले विदेशी चित्र-निर्माता निश्चित कार्यविधि अपनाएं। इटली की प्रार्थना पर भी उसी आधार पर विचार किया जायगा ।

बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी

3866. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** :
श्री समर गुह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान रेडियो द्वारा इस दावे की ओर दिलाया गया है कि पूर्व बंगाल के सैनिक अधिकारियों ने भारत से पूर्व पाकिस्तान के महत्वपूर्ण भागों पर हाल में हुये

दंगों के दौरान भारत में चले गये व्यक्तियों को वापिस आने की सुविधा देने के लिये स्वागत शिविर स्थापित किये हैं;

(ख) क्या शरणार्थियों ने वापिस बंगला देश जाना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो भारत से कितने शरणार्थी वापिस चले गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पूर्व बंगाल के शरणार्थियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये पाकिस्तान द्वारा स्वागत शिविरों की स्थापना संबंधी रिपोर्टों का स्पष्ट उद्देश्य केवल प्रचार मात्र है क्योंकि शरणार्थी अब भी बड़ी संख्या में भारत में आ रहे हैं । 10 जून के बाद, जब कि यह घोषणा की गई थी, 8,50,383 शरणार्थी भारत आए हैं । इसके विपरीत, आमाशय-शोथ से फैली महामारी के कारण 3,109 शरणार्थी मेघालय से पूर्व बंगाल गए । किन्तु यह केवल एक अस्थाई पहलू था । शरणार्थियों के लिए पूर्व बंगाल लौटना तभी संभव हो सकता है जब कि उनके लिए विश्वसनीय आश्वासनों के अन्तर्गत सुरक्षापूर्वक लौटने के लिए परिस्थितियां पैदा की जाएं ।

अमोनिया संयंत्रों में प्रयुक्त कैटेलिस्टों में आत्मनिर्भरता

3867. **श्री पी० ए० सामिनाथन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमोनिया संयंत्रों में प्रयुक्त होने वाले कैटेलिस्ट निर्यात करता है;

(ख) यदि हां, तो इनको किस-किस देश को कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है; और

(ग) क्या हम इन कैटेलिस्टों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम ने 1969-70 में बलगेरिया को 8.7 लाख रुपये के मूल्य के कुल 82 मीटरी टन कैटेलिस्टों (उत्प्रेरकों) का निर्यात किया। मैसर्स कैटेलिस्ट्स केमिकल्स इण्डिया (पश्चिम एशिया) प्राइवेट लि० ने कुवेत को 2.5 लाख रुपये के मूल्य के 21 मीटरी टन लो टैम्परैचर कार्बन मोनोक्साइड कन्वर्शन कैटेलिस्टों का निर्यात किया।

(ग) जी नहीं। किन्तु भारतीय उर्वरक निगम लि० के आयोजन एवं विकास प्रभाग तथा मेसर्स कैटेलिस्ट्स एण्ड केमीकल्स इण्डिया (पश्चिम एशिया) प्राइवेट लि० दोनों ने मिलकर अमोनिया के उत्पादन के लिए अपेक्षित जटिल कैटेलिस्टों की एक बृहत श्रेणी का विकास एवं निर्माण किया है ।

माजगांव गोदी में मरम्मत किये गये जहाज

3868. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माजगांव गोदी में कितने जहाजों की मरम्मत की गई तथा गत तीन वर्षों में उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : 1968-69 और 1970-71 की अवधि में माजगांव डाक में मरम्मत किए जहाजों की संख्या एवं उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नलिखित है:—

वर्ष	मरम्मत किए गए जहाजों की संख्या		अर्जित विदेशी मुद्रा
	कुल संख्या	विदेशी जहाजों की संख्या	
1968—69	586	268	140 लाख रुपए
1969—70	543	222	121 लाख रुपए
1970—71	572	200	लगभग 170 लाख रुपए

ऋण के लिये 'माजगांव डाक लिमिटेड' और नीदरलैंड्स के अल्जोमियर बैंक में करार

3869. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माजगांव डाक लिमिटेड ने ऋण प्राप्त करने के लिये नीदरलैंड्स के अल्जीमियर बैंक के साथ एक करार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी ;

(ग) कितने ऋण की मांग की गई थी, उसमें से अब तक कितना ऋण ले लिया गया है; और

(घ) विदेशी ऋण लेने का क्या प्रयोजन है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां । मजगांव डाक लिमिटेड ने डज वित्तीय निर्यात ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण प्रा त करने के लिए नीदरलैन्डस् के अल्जीमीन बैंक के साथ दो करार किए हैं। इन ऋणों के लिए भारत सरकार को मंजूरी थी और सरकार ने इन ऋणों के लिए अल्जीमीन बैंक को आवश्यक गारंटी भी दी है।

(ग) इन दो ऋणों की कुल राशी और उनसे ली गई राशि निम्नलिखित है :—

ऋण संख्या	ऋण की राशि डज फ्लोरिनस	ली गई राशि डज फ्लोरिनस
पहला ऋण	2,750,000	2,554,453
दूसरा ऋण	175,000	43,480

(घ) पहला ऋण आयात की गई मशीनरी और उपकरणों के मूल्य का 90 प्रतिशत जिसका कि विदेशी बन्दरगाह पर जहाज में चढ़ाने के बाद भुगतान किया जाना था और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक ट्वीन खरीयु ट्रेलिंग सक्शन हापर ड्रेजर के निर्माण के लिए तकनीकी जानकारी एवं सहयोग के लिए मेसर्स आइ० एच० सी० हालैंड को दिये जाने के लिए था और दूसरा ऋण उक्त मशीनरी और उपस्करों के माल भाड़े के 90 प्रतिशत भुगतान के लिए था ।

Members of Parliament sent Abroad

3870. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament sent abroad by Government last year ;

(b) the purposes thereof ;

(c) the total expenditure incurred ; and

(d) the names of foreign countries visited by them ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

देश में हैजे की महामारी

3871. **श्री शशि भूषण** :
श्री अमरनाथ चावला :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी आशंका है कि देश में हैजा महामारी के रूप में फैल जायेगा और इतना घातक रूप अपना लेगा कि रोगियों की मृत्यु दर लगभग 50 प्रतिशत हो जायेगी ;

(ख) सरकार का विचार इस रोग के विस्तार को रोकने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का है ;

(ग) क्या देश के विभिन्न भागों से इस रोग के कारण कुछ व्यक्तियों के मरने के समाचार भी मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो देश के प्रत्येक भाग से कितने व्यक्तियों के मरने के समाचार मिले हैं ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : (क) बंगला देश से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आने से जिनमें से कुछ लोग हैजा की बीमारी भी साथ ले आये, बंगला देश से लगे क्षेत्रों में, अधिकांश शरणार्थियों के बीच, हैजा और जठरान्त्र शोथ की अनेक घटनाएं होने की सूचना मिली है । सम्पूर्ण देश में लगभग 20 प्रतिशत की सामान्य मृत्यु दर की तुलना में शरणार्थियों में मृत्यु दर लगभग 14 प्रतिशत है । यदि पर्याप्त उपाय न बरते जाते तो

हैजा के फैलने का भय सीमावर्ती राज्यों और देश के अन्य भागों में भी हो सकता था, खास तौर से उन इलाकों में जहां शरणार्थियों को बसाया जा रहा है।

(ख) इस रोग की रोकथाम के लिए बरते गये उपाय इस प्रकार हैं:--

(1) शरणार्थियों और स्थानीय नागरिकों का बड़े पैमाने पर हैजा से बचाव;

(2) रोगियों का तत्काल ही प्रथककरण एवं उपचार;

(3) कुओं, तालाबों आदि जैसे जलपूर्ति स्रोतों का विसंक्रमण;

(4) रोग से व्यक्तिगत बचाव के लिये लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देना ;

(5) सफाई सुविधाओं की खासतौर से शरणार्थी कैम्पों में नलकूपों और शौचालयों की व्यवस्था; और

(6) पर्याप्त चिकित्सा सामग्री का भण्डार रखना जिसमें रिहाईड्रेशन फ्ल्यूड्स, हैजा रोधी वैक्सीन, विसंक्रामक खासतौर से ब्लीचिंग पाउडर और प्रतिजीवी आदि सम्मिलित है।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जनवरी 1971 से अब तक विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हैजा से हुई मौतों के अस्थाई आंकड़ों का विवरण

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	
1. आंध्र प्रदेश	8
2. असम	70
3. बिहार	39
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	–
6. जम्मू तथा काश्मीर	–
7. केरल	–
8. मध्यप्रदेश	25

राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	
9. मद्रास	86
10. महाराष्ट्र	61
11. मैसूर	8
12. नागालैण्ड	–
13. उड़ीसा	29
14. पंजाब	–
15. राजस्थान	–
16. उत्तर प्रदेश	8
17. पश्चिम बंगाल	55
18. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	–
19. चंडीगढ़	–
20. दिल्ली	–
21. गोवा, दमन एवं दिव	–
22. हिमाचल प्रदेश	–
23. लक्ष द्वीप, मिनिकाय अमन द्वीप समूह	–
24. मणिपुर	16
25. नेफा	–
26. पाण्डिचेरी	–
27. त्रिपुरा	–
	योग – 410
बंगला देश से शरणार्थी–	4375*
	कुल योग : 4785

*इनमें 15–6–71 तक असम में 15, 11–6–71 तक मेघालय में 592, 28–6–71 तक पश्चिम बंगाल में 3,762, 28–6–71 तक मध्य प्रदेश में 5 और 28–6–71 तक त्रिपुरा में 1 मृत्यु सम्मिलित है।

मदनपुर खादर (दिल्ली) में उत्खनन स्थान का बन्द किया जाना

3872. **श्री अचल सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदनपुर खादर (दिल्ली) का बालू उत्खनन स्थान गत तीन वर्षों से बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ठेकेदार का नाम और पता क्या है तथा उसने सरकार को स्वामित्व के रूप में कितनी राशि अदा की है ; और

(ग) स्थान को लम्बी अवधि से बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) यह 6–6–1965 से बन्द है।

(ख) परमजीतसिंह नियामतुल्लाह, 2274, मास्टर शियो प्रसाद गली, तुर्कमान गेट, दिल्ली। उन्होंने ने 1,71,000 रुपये पट्टे की रकम के रूप में दिए। उन के द्वारा कोई स्वामित्व अदा नहीं किया गया।

(ग) स्थान बंद है, क्योंकि रेत के क्षेत्र के लिए, सिवाय उस गैर-सरकारी मालिकों की भूमि में से, जो अपनी भूमि के ऊपर से रेत ले जाने की अनुमति नहीं देते, कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Expenditure on Jawahar Jyoti in Nehru Museum

3873. **Shri M. C. Daga** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government spend forty thousand rupees annually on keeping the Jawahar Jyoti in the Nehru Museum burning ; and

(b) whether Government propose to curtail such a huge expenditure and utilise the same in some social works ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir. The average annual expenditure on keeping the oil-fed Jawahar Jyoti burning since 1965 comes to Rs. 29,381/- only. With effect from 11th January, 1971, however, the oil-fed Jyoti has been replaced by a more economical gas-fed Jyoti for which a provision of Rs. 1515.00 only has been made for 1971-72.

(b) The expenditure has already been curtailed to a great extent as a result of installation of gas-fed Jyoti.

Manufacture of AVRO—748 Planes at Kanpur

3874. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the target of manufacturing AVRO-748 planes at Kanpur has been raised and if so, the extent thereof ; and

(b) the number of aircraft manufactured during 1970-71 ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir. The target of production has been raised from 6 aircraft to 9 aircraft per month. The decision to raise the target was taken in 1968 and the increase was to be achieved progressively.

(b) Eight aircraft were delivered in 1970-71.

अरब देशों को समर्थन देने की नीति

3875. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी बंगाल की घटनाओं के बारे में हमारी नीति का किसी भी अरब देश ने समर्थन नहीं किया है ;

(ख) क्या अरब देशों की खामोशी का यह अर्थ है कि वह पाकिस्तान का समर्थन करते हैं ; और

(ग) क्या इन देशों के दृष्टिकोण को देखते हुए सरकार का विचार इजराईल की तुलना में इनको पूर्ण समर्थन देने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अरब देशों ने सामान्य रूप से पूर्वी बंगाल की घटनाओं से संबद्ध भारतीय दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया है। लेकिन कुछ अरब देशों ने शरणार्थियों की दुर्दशा पर सहानुभूति प्रकट की है और उन्हें सहायता देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) प्रतीत होता है कि कुछ अरब देश, पश्चिम पाकिस्तान के सैनिक शासन के विचारों का समर्थन कर रहे हैं।

(ग) अरब इजराइली प्रश्न के सम्बन्ध में अरब देशों का भारत सरकार द्वारा समर्थन देना इस आधारभूत सिद्धान्त पर आधारित है कि युद्ध द्वारा प्राप्त की गयी भूमि स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।

भारत से वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिये पाकिस्तान द्वारा चैक पोस्ट बनाना

3876. **श्री रामचंद कड़नापल्ली** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सैनिक शासन ने निष्क्रांत व्यक्तियों की छान-बीन के लिये पूर्व बंगाल भारत सीमा के साथ साथ वापस लौटने वाले शरणार्थियों के लिये कोई 'चैकपोस्ट' बनाई है ;

(ख) शरणार्थी कब वापस लौटने लगेंगे ;

(ग) क्या कुछ शरणार्थियों को पूर्व पाकिस्तान में प्रवेश करने से रोक दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ख) शरणार्थी, पूर्वी बंगाल में केवल उसी समय लौट सकेंगे जबकि उनकी सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जाय और विश्वसनीय आश्वासन दिया जाए ।

(ग) सरकार को इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेताओं का उत्तर कोरिया और रुमानिया का दौरा

3877. **श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय राजनीतिक नेताओं के विदेश दौरों का रिकार्ड रख रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल के साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के नेता श्री प्रमोद दास गुप्त और श्री ज्योति बसु ने क्रमशः उत्तर कोरिया और रुमानिया का दौरा किया था तथा किस उद्देश्य से दौरा किया था ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मंत्रालय को ऐसे दौरों की जानकारी है ।

(ख) सर्वश्री पी. सुन्दरैया, ई. एम. एस. नम्बूद्रिपाद और प्रमोद दास गुप्त ने कोरियाई कामगर पार्टी की केन्द्रीय समिति के निमंत्रण पर 16 जून से 1 जुलाई, 1970 तक कोरियाई लोक जन गणराज्य का दौरा किया था ।

रुमानिया साम्यवादी पार्टी की 50 वीं वर्षगाँठ के अवसर पर श्री ज्योति बसु ने 22 से 24 अप्रैल, 1971 तक रुमानिया का दौरा किया था ।

रक्षा कार्यों के लिये परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग

3878. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा कार्यों के लिये परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). 7 जून, 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1417 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

मनीपुर में सब सरकारी अस्पतालों के अन्तरंग रोगियों को आम दवाइयों की नि:शुल्क सप्लाई

3879. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मनीपुर राज्य के अस्पतालों में अन्तरंग रोगियों से आम दवाइयां तक खरीदने के लिये कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार अन्तरंग रोगियों को दवाइयां सप्लाई क्यों नहीं कर रही है ;

(ग) यदि स्थिति ऐसी नहीं है, तो अंतरंग रोगियों को नि:शुल्क किस प्रकार की दवाइयां सप्लाई की जाती हैं ; और

(घ) क्या सरकार मनीपुर के सब सरकारी अस्पतालों में अन्तरंग रोगियों को आम दवाइयां नि:शुल्क सप्लाई करने के बारे में विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोइरेंजर हवाई अड्डा इम्फाल का उपयोग न किया जाना

3880. **श्री एन टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्फाल के निकट कोइरेंजर हवाई अड्डे का उपयोग छोड़ दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हवाई अड्डे के लिये मांगी गई भूमि का सरकार द्वारा किन्हीं अन्य कार्यों के लिये प्रयोग किया जा रहा है अथवा उसे उसके मालिकों को वापस दिया जा रहा है ; और

(घ) दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मनीपुर में बनाई गई ऐसी कितनी हवाई पट्टियों का उपयोग को छोड़ा जा रहा है तथा उस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग). द्वितीय महायुद्ध के दौरान बनाए गए कोईरेंजर हवाई अड्डे का उपयोग भारतीय वायुसेना नहीं कर रही है। इस हवाई अड्डे की भूमि भारत सरकार की है। इस भूमि को रक्षा कार्यों के लिए रखने का निर्णय किया गया है।

(घ) द्वितीय महायुध्द के दौरान मनीपुर के पलाल में बनायी गई हवाई-पट्टी का उपयोग भारतीय वायु सेना नहीं कर रही है। इस हवाई पट्टी की भूमि को भी रक्षा कार्यों के लिए रखने का निर्णय किया गया है।

सशस्त्र सेनाओं में पर्ता के भर्ती के लिये अपेक्षित ऊंचाई में कमी

3881. **श्री एन टोम्बी सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों के लोगों के लिये सशस्त्र सेनाओं में भर्ती हेतु अपेक्षित ऊंचाई में कमी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार इस सूची में कुछ ऐसे अन्य राज्यों को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है जिनके लोग जन्म से ही छोटे कद के होते हैं और जो अन्यथा सशस्त्र सेनाओं हेतु अच्छी अर्हताएं रखते हैं ;

(घ) क्या मनीपुर वासियों तथा पूर्वी क्षेत्र के आदिवासी लोगों को भी उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) में वर्णित अपवादों वाली सूची में शामिल किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) एक जनजाति समूह से दूसरे जनजाति समूह के लिए निर्धारित ऊंचाई भिन्न है और इसका निर्धारण विभिन्न जनजाति समूह के लोगों की औसत ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा में मनीपुर के निवासी

3882. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा में मनीपुर वासियों की संख्या कितनी है तथा उनकी स्थिति कैसी है ?

(ख) क्या बर्मा में राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही किये जाने के परिणामस्वरूप रंगून स्थित भारतीय दूतावास मनीपुर वासियों के भाग्य के बारे में बर्मा सरकार से संपर्क बनाये हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो मनीपुर वासियों की उन कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है जिनकी ओर भारतीय दूतावास का ध्यान आकर्षित किया गया है ; और

(घ) भारत सरकार ने उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ). भारत मूल के लोगों की संख्या अनुमानत: 2,23,000 है, किन्तु इनके क्षेत्रवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। भारत का राज-दूतावास उन सभी भारतीय राष्ट्रिकों को सहायता दे रहा है, जो बर्मा सरकार द्वारा किए गए राष्ट्रीय-करण से प्रभावित हुए हैं, किन्तु यह सहायता किसी भी क्षेत्रीय वर्गीकरण के आधार पर नहीं दी जा रही है ।

भारत सरकार ने देश प्रत्यावर्तन की विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की है। विमान किराये के लिए आर्थिक सहायता भी दी है। आवास मंत्रालय के अधीन कुछ योजनाएं हैं जिनके द्वारा वे बर्मा से प्रत्यावर्तित लोगों को सहायता देते हैं। बर्मा से भारत मूल के लोगों के देश प्रत्यावर्तन एवं सहायता पर होने वाले कुल खर्च का वहन भारत सरकार कर रही है।

एम० ई० एस० गैरीशन इंजीनियर (फैक्ट्री वर्क्स) कानपुर के अधिकारियों के कथित भ्रष्टाचार और कदाचार

3883. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एम० ई० एस० गैरीसन इंजीनियर (फैक्ट्री वर्क्स) कानपुर के अधिकारियों पर लगाये गये भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों के बारे में कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रक्षा-मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (ग). सरकार को अप्रेल 1971 में बिना किसी पूरे पते के किसी जे० एन० मिश्रा से दो पत्र प्राप्त हुए हैं जो भण्डारों के रखने में पायी गई कमियों, भण्डारों की चोरियों, अनधिकृत निर्माण कार्यों को पूरा करने आदि कथित कदाचारों के सम्बन्ध में थे। आरोपों की जांच की जा रही है। इन कदाचारों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर जांच पूरी हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।

Effect of Coca-Cola

3884. **Shri Narendra Singh Bist :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7794 on the 3rd August, 1967 and state:

(a) whether it is proposed to ask the 'Coca-Cola' manufacturers to write on each bottle of Coca-Cola the words it contains phosphric acid by making necessary amendment in the Food Adulteration Act, 1954 or any other Act connected therewith;

(b) if so, by what date and if not, the reasons therefor;

(c) whether Government are aware that Coca-Cola causes a great harm to the teeth, stomach and heart and for this reason most of the countries in Europe have imposed ban on its sale; and

(d) if so, whether Government would conduct Laboratory test on Coca-Cola?

The Minister of State in the Ministry of Heatlh and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) No.

(b) Does not arise. It is not necessary to mention on the label that 'it contains Phosphoric Acid' because this is a permitted constituent for corbonated water as indicated under Item A. ol. ol in Appendix 'B' of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 and Coca-Cola belongs to this classification.

(c) On the basis of research conducted on rats at the National Institute of Nutrition, Hyderabad, the Institute has come to the conclusion that Coca-Cola has no injurious effects on human beings, but it may be expected that its use may prove injurious to persons suffering from peptic ulcers and gastro-entritis. Government have no information whether any ban on use of Coca-Cola has been imposed in European countries.

(d) In view of (c) above it does not appear to do necessary.

Shortage of essential medicines in Madhya Pradesh

3885. **Shri G.C. Dixit**: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is a shortage of essential medicines in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken in this regard?

The Minister of Petroleam and Chemicals (Shri P.C. Sethi): (a) No shortage of essential medicines in Madhya Pradesh has been reported to Government.

(b) Does not arise.

Setting up of Family Planning Centres in Rural Areas of Madhya Pradesh

3886. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of villages in Madhya Pradesh where Family Planning Centres have been set up;

(b) whether any survey has been conducted to assess the effect of the family planning on the people of low income group in the State; and

(c) if so, the findings thereof?

The Minister of State for Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) 441 Family Welfare Planning Centres and 3202 Sub-centres are functioning in the villages of Madhya Pradesh.

(b) and (c). No State-wise study has been made to assess the effect of family planning on the people in the low income groups in Madhya Pradesh. The Regional Director (FP&MCH), Bhopal. conducted a pilot study of 250 vasectomy cases in some of the districts selected atrandom during the second Fortnight of December, 1967. The economic status of the persons who underwent operation and the distribution of cases is as follows:—

Monthly income of the family	No. of respondents	Percentoge
(Rs)		
Below 100	167	66.8
101 to 200	60	24.0
201 to 300	15	6.0
301 to 500	4	1.6
Above 500	3	1.2
Not available	1	0.4
Total	250	100.0

'कार्डियों वास्कुलर' शल्यचिकित्सा

3887. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के समस्त मेडिकल कालेजों में हृदय खोलकर तथा कार्डियो वास्कुलर शल्यचिकित्सा करने के उपकरण हैं ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल में किसी मेडिकल कालेज अथवा अस्पताल में हृदय खोलकर अथवा कार्डियों वास्कुलर शल्य चिकित्सा करने की सुविधायें नहीं हैं जबकि वहां इस चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाद्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) भारत सरकार के पास जो सूचना है उसके मुताबिक केरल के मेडिकल कालेजों में से किसी भी कालेज का 'कार्डियो वास्कुलर' शल्यचिकित्सा का स्नातकोत्तर विभाग विवृत हृदय की व्यवस्था करने या कार्डियो वास्कुलर शल्यचिकित्सा करने का काम नहीं करता है ।

बेरोजगार डाक्टर

3888. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में 8000 डाक्टर बेरोजगार हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाद्याय) : (क) और (ख). देश में खासकर देहाती इलाकों में डाक्टरों की आम कमी है अतः बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए । दिसम्बर 1970 में 280 स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं थे और अन्य बहुत से केन्द्रों में केवल एक-एक डाक्टर है जबकि उनमें दो-दो डाक्टर होने चाहिए । जिला सब-डिविजनल और ताल्लुक/तहसील अस्पतालों में भी डाक्टरों की कमी है और खासकर जिला अस्पतालों में विशेषज्ञों की बड़ी कमी है, क्योंकि डाक्टर देहातों में काम करने के इच्छुक नहीं होते, इसलिये हो सकता है कि चिकित्सा स्नातकों को शहरों में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही हो ।

(ग) डाक्टरों को देहाती इलाकों में स्थित अस्पतालों और औषधालयों में काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए समुचित उपाय बरते जा रहे हैं। विशेष भत्ता देकर उनके कुल वेतन की रकम में वृद्धि करने, रहन-सहन तथा आवास की अच्छी सुविधाएं देने, पीने के पानी की काफी अच्छी व्यवस्था करने ; सफाई की व्यवस्था करने, और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा उपकेन्द्रों तक जाने के लिए बारहमासी सड़कें बनाने का विचार है । स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, निर्माण, आवास एवं नगर विकास के भूतपूर्व मंत्री (श्री के० के० शाह) ने भी देश के डाक्टरों से गांवों में काम करने के लिए एक अपील जारी की थी ।

कोयम्बटूर स्थित गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस के कर्मचारियों की ओर से ज्ञापन

3889. **श्री दिनेश जोरदार** :
श्री अजीत कुमार साहर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयम्बटूर स्थित गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस के कर्मचारियों की ओर से वहां के महा-प्रबंधक की मनमानी कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). भारत सरकार मुद्रणालय कर्मचारी संघ कोयम्बटूर से दिनांक 8 मई, 1971 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें संघ की आम सभा का एक संकल्प सूचित किया गया था, कि 14 मई, 1971 को शृंखलाबद्ध-अनशन आरम्भ किया जायेगा जब तक कि उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं । मांगें निम्न से संबंधित थीं--

(i) उन सभी कर्मचारियों की बहाली जिन्हें "संघ की वैध गतिविधियों" के लिये निलम्बित किया गया था ;

(ii) मुद्रणालय के प्रबन्धक के कुप्रबन्ध और कुप्रशासन की जांच ; और

(iii) मुद्रणालय के प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक प्रबन्धक (प्रशासन) का तुरन्त स्थानान्तरण ।

(ग) शिकायत (i) पर, कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान, विचार किया जायेगा । (ii) तथा (iii) के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये अभ्यावेदन में पर्याप्त कारण नहीं दिए गए हैं ।

भारत में बंगला देश से आये शरणार्थियों के बारे में भारतीय दूतावासों द्वारा अरब देशों को तथ्य बताना

3890 **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने बंगला देश से लगातार आ रहे शरणार्थियों, बजट में की गई व्यवस्था, शिविरों में हुई मृत्यु तथा भारतीय शिविरों में शरणार्थियों की कहानी के सम्बन्ध में तथ्यों का पर्याप्त प्रचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो अरब के समाचार-पत्रों की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन तथ्यों को कितने समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया है ; और

(ग) यदि हमारे दूतावासों ने यह प्रचार सामग्री नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) अरब देशों में अपने मिशनों को सभी सम्बद्ध तथ्यों से अवगत रखा गया है ताकि वे उनका प्रचार कर सकें।

(ख) अरब देशों में अखबारों की प्रतिक्रिया बहुत ही अपर्याप्त रही है। यह तथ्य जिन अखबारों में प्रकाशित हुआ, उनकी ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में वृद्धि

3891. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960–61, 1965–66 और 1970–71 में भवन निर्माण सामग्री का राज्यवार असल मूल्य क्या था ;

(ख) क्या भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में असाधारण वृद्धि से निम्न और मध्यम आय के वर्गों के परिवारों द्वारा आवासीय मकान बनाने की प्रगति धीमी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्यों को उचित स्तर तक कम करने के लिए कोई कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) राज्यवार सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि, 1960–61, 1965–66 और 1970–71 में दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों को परिशिष्ट में बताया गया है।

(ख) सभी वस्तुओं के मूल्यों में सामान्य वृद्धि की तुलना में भवन निर्माण की सामग्री के मूल्यों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है तथा इसमें अन्य वस्तुओं की सामान्य प्रवृत्ति का अनुकरण हुआ है। इससे मकानों के निर्माण की मात्रा पर प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता।

(ग) भारत सरकार आवश्यक निर्माण सामग्री की सप्लाई में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय पहले से ही कर रही है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश में एक सीमेंट प्लांट स्थापित कर दिया गया है। दो और अन्य प्लांट–एक मैसूर राज्य में और दूसरा असम में निर्माणाधीन हैं। ईंटों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ निर्माण अभिकरण ईंटों के अपने विभागीय भट्ट तथा ईंटों के यांत्रिक प्लांट आरम्भ करने का विचार कर रहे हैं।

विवरण

1960-61, 1965-66 तथा 1970-71 में दिल्ली में भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों का विवरण

क्र० सं०	सामग्री	एकक	1960-61 में औसत मूल्य रु०	1965-66 में औसत मूल्य रु०	1970-71 में में औसत मूल्य रु०
1.	**ईंटें**				
(क)	पहले दर्जे की	प्रति हजार	33.56	33.41	52.00
(ख)	दूसरे दर्जे की	—वही—	28.75	29.36	46.75
2.	**रेत**				
(क)	बदरपुर	प्रति घनमीटर	11.71	14.95	21.30
(ख)	जमुना	—वही—	2.57	2.50	5.78
3.	**ऐग्रीगेट**				
(क)	¾ इंच तक	—वही—	10.99	13.66	26.77
(ख)	1½ इंच तक	—वही—	6.12	7.00	9.56
4.	**सीमेंट**	प्रति मीटरिक टन	143.31	182.80	226.45
5.	**लोहा और इस्पात/ एम० एस० राउन्ड बार्स**	—वही—	742.50	820.52	1397.09
6.	**तख्ते (टिम्बर)**				
(क)	टीक	प्रति घन-मीटर	705.65	919.12	1165.00
(ख)	देवदार	—वही—	433.22	529.06	815.44
(ग)	साल	—वही—	521.22	604.76	585.59

सूत्र :— आर्थिक और सांख्यिकीय ब्यूरो, दिल्ली।

नौसेना कर्मचारियों के वेतन तथा उन्हे प्राप्त सुविधाएं

3892. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते क्या हैं तथा उनको अन्य क्या आर्थिक सुविधाएं प्राप्त हैं ; और

(ख) नौसेना के प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को अवकाश, मनोरंजन तथा अन्य सुविधाओं के सहित किस प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . माननीय सदस्य कृपया "सशस्त्र सेना-कार्मिकों तथा रक्षा स्थापनाओं के असैनिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर पुस्तक, 1971" के पृष्ठ 52 से 74 पर दिया गया विवरण देखें । यह पुस्तक माननीय सदस्यों को पहले ही दे दी गयी है ।

Expenditure on Republic Day Parade, 1971

3893. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total amount spent by Government in connection with the preparations for the Republic Day Parade on the 26th January, 1971;

(b) whether the expenditure incurred in this connection during the current year has exceeded the expenditure incurred last year; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to minimise the expenditure in this regard in future?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Accounts for the Republic Day Parade 1971 have not yet been finalised. A statement showing the expenditure incurred by Government of India on this year's Parade and the excess, if any, over last year's expenditure will be laid on the Table of the House after the accounts have been finalised.

(c) Efforts are made to effect as much economy as possible in organising Republic Day Parade keeping in view the importance of the occasion. There is however no proposal at present to reduce the scale of the celebrations.

शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा

3894. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री एस० सत्यनारायण राव :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में उत्पन्न कुछ शंकाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा क्या मामले उठाये गये हैं; और

(ग) क्या उनका स्पष्टीकरण कर दिया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा प्रयोजित विज्ञापन

3895. **श्री राम कंवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य द्वारा हाल ही में भारत में विभिन्न साम्यवादी और साम्यवाद का समर्थन करने वाले समाचार-पत्रों को उन विज्ञापनों में हाल ही में की गयी वृद्धि की जानकारी है जिनसे उसकी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार होता है;

(ख) जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य ने वर्ष 1970-71 में इन विज्ञापनों पर लगभग कितनी धनराशि खर्च की; और

(ग) क्या सरकार का विचार विज्ञापनों के मामले में कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जर्मन संघ गणराज्य और जर्मन जनवादी गणतंत्र से दौरे पर आये व्यक्ति

3896. **श्री राम कंवर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में जर्मन संघ गणराज्य और जर्मन जनवादी गणतन्त्र के किन-किन महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत का दौरा किया ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०** 602/71]।

Expenditure on Import of Kerosene Oil from U.S.S.R.

3897. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the price of kerosene oil imported from the Soviet Union; and

(b) the total expenditure in terms of foreign exchange and Indian currency likely to be incurred thereon?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri P. C. Sethi) : (a). It is not in the commercial interest of the Indian Oil Corporation to disclose this information.

(b) The total expenditure during the current year is expected to be around Rs. 10 crores.

गवर्नमेंट प्रेस कोराट्टी में 'मशीनमैन' की नियुक्ति

3898. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट प्रेस, कोराट्टी, त्रिचूर जिला (केरल) में अब तक कोई मशीनमैन नहीं है;

(ख) यदि हां, तो मशीनमैन की नियुक्ति न करने और इस प्रकार कीमती मशीनों की क्षमता को बेकार रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थान को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी में 14 मशीनमैन हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये मकान

3899. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जून, 1971 तक सभी श्रेणियों के दिल्ली में कितने मकान बनाए तथा व्यक्तियों को अलाट किये;

(ख) वर्ष 1971-72 में कितने मकान तैयार हो जायेंगे; और

(ग) क्या सभी श्रेणियों के मकानों के मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है और यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क)

बनाये गये	आवंटित
5,606	4,979

(ख) लगभग 9,680.

(ग) जी, हां। वृद्धि 3.3 प्र०श० और 35.3 प्र०श० के बीच है।

मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान निदेशालय के कार्यकरण का पुर्नविलोकन करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति

3900. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान निदेशालय के कार्यकरण का पुर्नविलोकन करने के लिये एक विशषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश-पद क्या हैं तथा इसके अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह समिति अपना प्रतिवेदन सरकार को कब तक पेश कर देगी ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). जी हां। किन्तु आगे विचार करने पर यह मालूम हुआ कि यह समिति वांछित उद्देश्य नहीं पूरा कर पायेगी और इसलिए उस अधिसूचना को, जिसके अन्तर्गत इस तदर्थ समिति की नियुक्ति की गई थी, रद्द कर दिया गया है। जब कभी आवश्यकता होगी उपयुक्त आंतरिक समितियाँ इस उद्देश्य के लिए संगठित की जाएंगी।

बंगला देश के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के प्रति उत्तर कोरिया की नीति

3901. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के बारे में भारतीय दृष्टिकोण के प्रत्युत्तर में उत्तर कोरिया की स्पष्ट अथवा घोषित नीति क्या है; और

(ख) बंगला देश से आने वाले शरणार्थियों के बारे में उत्तर कोरिया सरकार की स्पष्ट अथवा घोषित नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). कोरियाई लोक जनगणराज्य की सरकार ने बंगला देश से आए शरणार्थियों के विषय में सार्वजनिक रूप से कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं।

कश्मीर के मामले में उत्तर कोरिया की नीति

3902. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर के प्रश्न पर भारत के रुख के सम्बन्ध में उत्तर कोरिया की स्पष्ट अथवा घोषित नीति क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : कोरियाई लोक जन गणराज्य ने हमें सरकारी तौर पर यह सूचना दी है कि कश्मीर का प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए।

उत्तर कोरिया की चान्सरी के बाहर पुलिस तैनात करना

3903. **श्री पीलू मोदी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया की चान्सरी और उसके कर्मचारियों के निवास स्थान के बाहर एक पुलिस दल तैनात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किस लिए तथा कितने समय तक के लिए तैनात किया गया था तथा फिर किस लिए उसे हटा दिया गया ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). कोरियाई लोक जनगणराज्य के स्थानापन्न प्रधान कोंसल के अनुरोध पर वहां के प्रधान कोंसलावास को अप्रैल और मई में एक माह का पुलिस संरक्षण प्रदान किया गया था। मई में इसे वापस ले लिया गया क्योंकि इस व्यवस्था को जारी रखना अनावश्यक समझा गया।

उत्तर कोरिया के वाणिज्य दूतावास पर लगाये गये प्रतिबन्ध

3904. **श्री पीलू मोदी :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरियायी लोगों द्वारा श्रीलंका में राज्य प्रतिरोध तथा विध्वंशक गतिविधियों में भाग लिये जाने की जानकारी मिलने के पश्चात् नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के महा-वाणिज्य दूतावास पर कोई प्रतिबंध लगाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार प्रतिबन्ध लगाये गये थे ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Primary Health Centers and Family Planning Centres

3905. **Dr. Laxaminarayan Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of Primary Health Centres and Family Planning Centres in the country where transport facilities are not available;

(b) whether the said centres are situated at places which are very far from the roadways and as a result of it means of transport are not available and during the rainy season, these centres are isolated completely from the rest of the country;

(c) whether it is also a fact that work at these centres remained suspended for about six months in a year; and

(d) the remedial measures being taken by Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya): (a) There are 5092 Primary Health Centres in the country; out of these 2450 have not transport vehicles.

(b) and (c). Some of these centres are not connected with the roadways or are temporarily cut off from the surrounding areas during the rains. However, these centres continue to render services to the people who are within their reach.

(d) The Fourth Plan envisages the provision of at least one vehicle for each Primary Health Centre, and vehicles are being procured and supplied accordingly. For the specially disadvantaged and distant areas, a scheme has been sanctioned for providing facilities including approach roads for 100 Primary Health Centres.

Drinking Water Facilities in Madhya Pradesh

3906. **Dr. Laxaminarayan Pandey** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the amount given to Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan for drinking water facilities; and

(b) the amount spent by the State out of that?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D.P. Chattopadhyaya): (a) Under the National Water Supply and Sanitation Programme an assistance of Rs. 387.96 lakhs as loan for urban water supply and sanitation and Rs. 46.88 lakhs as grant-in-aid for rural water supply was given to the Government of Madhya Pradesh during the Third Five Year Plan.

(b) The entire amount was utilised by the State Government.

दिल्ली में प्रशिक्षित नर्सों से बढ़ती हुई बेरोजगारी

3907. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रशिक्षित नर्सों में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ;

(ख) क्या इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली में 3½ वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद भी उसमें कुछ नर्सों को नौकरी छोड़ने के आदेश दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाद्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) तत्काल रिक्त पदों के उपलब्ध न होने के कारण ।

(घ) उन्हें शीघ्र ही रिक्त होने वाले पदों पर रखे जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

सैन्य-विघटित सैन्य-अधिकारियों का पुनर्वास

3908. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ संघर्ष के पश्चात् सेवा युक्त किये गये सैन्य-विघटित सैन्य-अधि-कारियों के पुनर्वास के लिये और आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनमें से कितने अधिकारी अभी बेरोजगार हैं ;

(ग) क्या सैन्य-विघटित सैन्य-अधिकारियों के संघ ने सरकार को कोई ज्ञापन पेश किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) और (ख). आपात कमीशन प्राप्त अफसरों के पुनर्स्थापन के लिए की गई कार्यवाही का विवरण लोक सभा में दिनांक 29–3–1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर में संलग्न विवरण में दिया था । ऐसे 8313 अफसरों में से जिनका पुनर्स्थापन होना था, 6654 अफसरों को सेना में विकल्प कमीशन और असैनिक पदों पर जिसमें आई० ए० एस० और केन्द्रीय सेवायें शामिल हैं, ले लिया गया है । 1659 अफसरों का पुनर्स्थापन अभी बाकी है ।

(ग) और (घ). इस एसोसियेशन से हाल ही में प्राप्त एक ज्ञापन विचाराधीन है ।

Drug for Treatment of Snake Bite

3909. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state;

(a) whether a person was cured of snake bite with a wonder drug in Safdarjang Hospital, New Delhi during the last weak of May 1971;

(b) if so, the details in respect of the wonder drug; and

(c) the scheme chalked out by Government for the munufacture and popularisation of this drug?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning. (Shri D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b). A patient who had been bitten by a cobra was admitted on 27.5.1971 in Safdarjang Hospital. He did not respond to the conventional anti-snake bite treatment. He, however, responded quickly to an injection of neostigmine methylsul-phate and atropine and recovered.

(c) Neostigmine methyl sulphate injection and Atropine sulphate injection are at present being manufactured and marketed in the country. As regards popularisation of these drugs for the treatment of snake bite, the question can be considered only after the results obtained by the Safdarjang Hospital are corroborated by other hospitals in the country and it is definitely established that Neostigmine is indeed an effective remedy for treatment of snake bite.

Memorandum from Association of Residents of Unauthorised Colonies in Delhi

3910. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Association of Residents of Unauthorised Colonies in Delhi State have submitted any memorandum to Government;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I.K. Gujral): (a) and (b). Representations from the Associations of different unauthorised colonies have been received from time to time for regularisation of unauthorised construction/colonies.

(c) There are, in all, 204 unauthorised colonies as on 1st February, 1967. Of these, 157 have already been regularised. Action to regularise the remaining colonies which are not in non-conforming areas (excluding those in which few or no structures exist) is being taken by the Delhi Municipal Corporation and the Delhi Development Authority.

उत्तर प्रदेश में तेलशोधक कारखाना

3911. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कोई तेलशोधक कारखाना स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) तेलशोधक कारखाने की स्थापना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग). उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में एक नई परिष्करणशाला स्थापित करने का विचार है । परिष्करणशाला के लिये भारतीय तेल निगम द्वारा तैयार की गई संभाव्य रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

किशनगंज तथा इन्द्रप्रस्थ एस्टेट दिल्ली में गन्दगी

3912. **श्री पी० के० देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऋतु विज्ञान विभाग द्वारा 11 वें विश्व ऋतु विज्ञान दिवस के उपलक्ष में हाल ही में लगाई गई प्रदर्शनी में लगे चित्रों की जानकारी है जिनमें राजधानी में और विशेषकर किशनगंज में गन्दगी दिखाई गई है और जिसके अनुसार केवल इन्द्रप्रस्थ एस्टेट ही एक महीने में 80 टन की गन्दगी फैलाने के लिये जिम्मेदार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां। केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने प्रदर्शनी में एक चार्ट लगाया था। इस चार्ट में केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान दिल्ली द्वारा 5 नमूने लेने वाले स्टेशनों पर सल्फर डायोकसाइड, नाइट्रिक अक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओजन और निलम्बित कणमय जैसे पैरामिटरों के अल्पकालीन अध्ययन के प्रतिफलों को दिखाया गया था। तुलनात्मक दृष्टि से किशनगंज क्षेत्र में सल्फर डायोकसाइड अधिक थी। अध्ययन के अनुसार, किशनगंज में वायु दूषण रेलवे इन्जनों से निकलने वाले धूंये के कारण है

केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान का इन्द्रप्रस्थ स्टेट में कोई नमूने लेने का स्टेशन नहीं है और इन्द्रप्रस्थ स्टेट में वायु दूषण के स्तर के बारे में अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इन्द्रप्रस्थ स्टेट बिजली घर की क्षमता के जो अनुमान लगाये गये हैं उनसे पता चला है कि इस बिजली घर से प्रति दिन उत्सर्जित पदार्थ 60 टन सल्फर डायोकसाइड और 45 टन सूट के लगभग होना चाहिए।

(ख) सरकार देश के बडे नगरों में वायु दूषण की समस्या के प्रति पूरी तरह से सजग है और इस विषय पर एक कानून बनाना चाहती है।

केरल राज्य में परिवार नियोजन केन्द्र

3913. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में कितने परिवार नियोजन केन्द्र कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) चार वर्ष में सरकार द्वारा कितने नये परिवार नियोजन केन्द्र चलाये जायेंगे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केरल राज्य में 29 शहरी परिवार कल्याण नियोजन केन्द्र, 163 ग्राम परिवार नियोजन केन्द्र तथा 1591 उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1971–72 में राज्य सरकार का 120 और उप-केन्द्र खोलने का विचार है।

केरल में 'इंडेन' की एजेन्सियां

3914. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में 'इंडेन' की एजेंसियां किन-किन स्थानों पर स्थापित की जायेंगी ; और

(ख) राज्य में किन-किन स्थानों पर बेरोजगार इंजीनियरों/भूतपूर्व सैनिकों/सहकारी समितियों को एजेंसियाँ दी गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) इंडेन गैस का विक्रय इस समय कोचीन (इस में एर्णाकुलम और अल्वाय सम्मिलित हैं) और त्रिवेंद्रम में किया जा रहा है । वर्ष 1971 में, इंडेन के विक्रय का पालघाट तथा कालीकट तक विस्तार करने का विचार है ।

(ख) कोचीन में चार बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातक इंडेन के वितरक नियुक्त किये गये हैं और त्रिवेंद्रम में एक इंजीनियरिंग स्नातक इंडेन वितरक के रूप में कार्य कर रहा है ।

केरल के लिये आवर्तक आवास निधि

3915. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी योजना में केरल राज्य को भूमि अर्जन और नगरों के विकास के लिए आवर्तक निधि स्थापित करने हेतु कितनी धनराशि का ऋण/सहायता दी गई है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों की भूमि के अर्जन तथा विकासार्थ और शहरी क्षेत्रों के लिए आवर्तन निधियों की स्थापना के लिए ऋण/सहायता के रूप में दी जाने वाली किसी राशि (राशियों) का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से केरल सहित राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य क्षेत्र की समस्त योजनाओं के लिए सम्मिलित रूप से 'खण्ड ऋणों' तथा 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जाती है । वार्षिक योजना आकार तथा साधनों आदि की उपलब्धता को देखते हुए राशि प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है । केन्द्रीय खण्ड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बध्द नहीं है । राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के आधार पर अपनी योजना में सम्मिलित विभिन्न योजनाओं तथा परियोजनाओं के लिए खण्ड केन्द्रीय सहायता का नियतन करने में स्वतंत्र हैं । इसके अतिरिक्त, भारत के जीवन बीमा निगम से राज्य सरकारों को प्रतिवर्ष ऋण उपलब्ध किये जाते हैं जिसको भूमि के अधिग्रहण तथा विकास तथा शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है ।

कोरोनरी और हृदय रोगों का इलाज

3916. **श्री सी० जनार्दनन : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हृदय रोगों के बारे में अमरीका में नियुक्त राष्ट्रीय आयोग ने यह पाया है कि कोरोनरी और हृदय के सभी रोगों में तुरन्त पूरी देखभाल न की जाये तो वे बहुत खतरनाक सिध्द हो सकते हैं ;

(ख) क्या उक्त आयोग ने यह सुझाव दिया है कि उक्त मामलों की तुरन्त चिकित्सा करने के लिये दल प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिये ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आयोग की सिफारिशों तथा इन मामलों में उचित और तुरन्त उपचार करने के बारे में अमरीका में की गई कार्यवाही का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल सरकार के नई दिल्ली स्थित कपूरथला प्लाट का खाली किया जाना

3917. **श्री सी० जनार्दनन** :
श्री सी० एम० स्टीफन :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है की वह नई दिल्ली स्थित केरल सरकार के कपूरथला प्लाट को, जो इस समय केन्द्रीय सरकार के कब्जे में है, खाली कर दें; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां ।

(ख) प्लाट का एक भाग केरल सरकार की इच्छानुसार केरल एजूकेशन सोसाइटी को पहले ही दे दिया गया है । शेष भाग दिल्ली पुलिस के दखल में है । ज्योंहि यह उन द्वारा खाली किया जायगा, यह भाग भी राज्य सरकार के हवाले कर दिया जायगा ।

चिकित्सा कालेजों में पदोन्नति

3918. **श्री के० बालतन्डा युतय** : क्या **स्वास्थ और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा कालेजों में प्रति वर्ष अनेक अध्यापन कर्मचारियों की सुपर ग्रेड I में पदोन्नति होती है;

(ख) क्या उक्त ग्रेड में पदोन्नत चिकित्सा अध्यापकों को अध्यापन व्यवसाय जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है; और

(ग) क्या उपर्युक्त नीति के परिणाम स्वरूप चिकित्सा कालेजों में अनुभवी अध्यापकों की बहुत कमी हो जाती है ?

स्वास्थ और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) जी नहीं । सुपरटाइस ग्रेड II के जिन अधिकारियों ने, (इस श्रेणी में चिकित्सा कालेजों के वे प्राध्यापक

भी सम्मिलित हैं जो अपना शैक्षिक स्टाफ केन्द्रीय स्वास्थ सेवा से लेते हैं) इस श्रेणी में कम से कम ६ वर्ष की सेवा कर ली हो, उन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइस ग्रेड I में पदोन्नति देने के लिए विभागीय पदोन्नति समिती द्वारा समय-समय पर विचार किया जाता है ।

(ख) सुपरटाइस ग्रेड II के अधिकारी चाहे वे चिकित्सा के शिक्षक हों अथवा नहीं और जिनको केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइस ग्रेड I में पदोन्नति के लिए अनुमोदित कर लिया गया हो उन्हें उक्त ग्रेड के उपलब्ध रिक्त पदों पर तैनात कर दिया जाता है बशर्ते कि उन पदों पर नियुक्ति के लिए वें उपयुक्त हों अर्थात उनके पास अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हता हो और वे अनुभव प्राप्त हों । जहां तक संभव हो शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग शैक्षिक संस्थाओं में ही किया जाता है।

(ग) जी नहीं। तथापि चिकित्सा का लोगों में खासतौर पर नान-क्लिनिकल पदों और विशष विशिष्टताओं के मामले में शिक्षकों की आम कमी है ।

विदेश मंत्री का जर्मन जनवादी गणराज्य का दौरा

3919 **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणराज्य जैसा मित्र देश उनके यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या केवल समाचार पाने की और प्रबल इच्छा के कारण ही उन्होंने जर्मन जनवादी गणराज्य को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल नहीं किया था?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) जून 1971 में विदेश मंत्री के यात्रा कार्यक्रम में जर्मन जनवादी गणतंत्र शामिल नहीं था।

(ख) विदेश मंत्री के लिए सभी मित्र देशों की यात्रा करना संभव नहीं था । लेकिन, पर्यटन एवं नागरिक विमानन मंत्री, डा० कर्ण सिंह ने हाल ही में जर्मन जनवादी गणतंत्र का दौरा किया था।

बंगला देश की घटनाओं के बारे में घाना समाचार एजेंसी श्री थामस आडुरो क्वार्टेन द्वारा दिया गया वक्तव्य

3920. **श्री० एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान घाना समाचार एजेंसी के श्री थामस आडुरो क्वार्टेन द्वार जून के आरम्भ में कलकत्ता से दिये गये इस आशय के कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बंगला देश की घटनाओं तथा भारी संख्या में शरणार्थियों के भारत में आने संबंधी तथ्यों को अफ्रीकी प्रेस तथा अन्य व्यापक प्रचार माध्यमों की जानकारी में प्रभावपूर्ण रूप से नहीं लाया गया है;

(ख) क्या उन्होंने उक्त वक्तव्य में अस्पष्ट रूप से वर्णित हमारी संबंधित राजनयिक एजेंसियो की सफलता के बारे में जांच की है; और

(ग) क्या इस संबंध में अफ्रिका स्थित हमारे राजनायिक मिशिनों ने कोई कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (क) जी हां । लेकिन सरकार इस विचार से सहमत नहीं है क्योंकि सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार अफ्रीका के समाचार पत्रों ने पूर्व बंगाल की घटनाओं का यथेष्ट एवं कुल मिलाकर सहानूभूतिपूर्वक विवरण प्रकाशित किया है । इस संबंध में अफ्रीका स्थित हमारे मिशन मामग्री का खूब उपयोग कर रहे है । इसके अतिरिक्त अफ्रीकी समाचार पत्र अंतर्राष्ट्रीय तार सेवाओं मे उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर रहे हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

भारत में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों द्वारा विदेशों में नौकरी प्राप्त करना

3921. **श्री कमल मिश्र मधुकर**: क्या **स्वाथ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत में प्रशिक्षण प्राप्त नर्सों ने विदेशों में नौकरी प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी 1970-71 में देशवार संख्या कितनी थी; और

(ग) देश में प्रशिक्षित नर्सों की कमी को देखते हुए नर्सों के देश बाहर जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वाथ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अमरीका में कार्य करने वाले भारतीय डाक्टर

3922. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय डाक्टर चिकित्सा सम्बन्धी प्रवीणता प्राप्त करने के लिये अमरीका में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों की संख्या कितनी है; और

(ग) भारत में प्रति वर्ष चिकित्सा क्षेत्र में कितने विद्यार्थी पास होते हैं और उनमें से कितने विद्यार्थी प्रति वर्ष विदेशों में जाते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय): (क) अपना भविष्य उज्ज्वल करने के लिए कतिपय भारतीय डाक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका चले गये । कई उच्च अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए विदेश जाते हैं और उनसे वापिस आने की अपेक्षा की जाती है ।

(ख) अमेरिकन मेडिकल एसोसियेशन, शिकागो से हाल में प्राप्त सूचना के अनुसार 3,900 भारतीय डाक्टर संयुक्त राज्य अमेरिका में या तो प्रैक्टिस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे है ।

(ग) 1969 में 9,315 चिकित्सा के विद्यार्थियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कितने चिकित्सा स्नातक विदेश जा रहे हैं, इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जारी किए गये पारपत्रों के आधार पर 1967 के दौरान 2215 मेडिकल डाक्टर विदेश गये।

उत्तर प्रदेश में कीटनाशी औषधियों के निर्माण के लिये कारखानों की स्थापना

3923. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा बागवानी के लिये प्रयोग में आने वाली कीटनाशी औषधियों का उत्तर प्रदेश में निर्माण होता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार राज्य में उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक कीटनाशी औषधियों के कारखाने स्थापित करने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी हां। उत्तर प्रदेश के कुछ कारखानों में कीटनाशक औषधियों–तकनीकी सामग्री एवं सूत्रयोगों का निर्माण होता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औपचारिक अवसरों पर भारतीय राजनयिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा

3924. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन देशों में हमारे राजनयिक नियुक्त हैं, वहां औपचारिक अवसरों पर भाषण देते समय वे किस भाषा का प्रयोग करते हैं?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : विदेशों में हमारे राजनयज्ञ औपचारिक अवसरों पर हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उस देश विशेष की भाषा का प्रयोग करते हैं जहां वे नियुक्त हों।

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना

3925. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने और किस किस्म के रसायनिक उर्वरक तैयार किये जाते हैं ;

(ख) देश के अन्य भागों से अथवा विदेशों से कितने और किस किस्म के उर्वरकों का आयात किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त राज्य में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित करने हेतु कार्यवाही करेगी जिससे राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) वर्ष 1970-71 में उत्तर प्रदेश के कारखानों में उर्वरक का उत्पादन निम्नप्रकार था :—

उर्वरक का नाम	मात्रा मीटरी टनों में
1. यूरिया	3,81,000
2. अमोनियम क्लोराइड	25,000
3. सुपरफास्फेट	13,000

(ख) वर्ष 1970-71 में उत्तर प्रदेश में आयातित उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राओं का वितरण किया गया था :—

उवर्रक का नाम	मात्रा मीटरी टनों में
1. अमोनियम सलफेट	27,957
2. यूरिया	31,191
3. कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट	84,060
4. डाई–अमोनियम फास्फेट	19,669
5. एन० पी० के० (सम्मिश्र उर्वरक)	29,889
6. अमोनियम नाइट्रो-फास्फेट	500

राज्य से बाहर स्थित कारखानों द्वारा उत्तर प्रदेश में वितरित किये गये उर्वरकों से संबंधित् सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार की नीति क्षेत्र-वार आधार पर उर्वरकों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की है । इस उद्देश्य के लिये, उर्वरकों के उत्पादन हेतु नये कारखाने स्थापित करने अथवा वर्तमान कारखानों में विस्तार करके अतिरिक्त क्षमता बनाई जा रही है । ऐसा करते समय सम्बन्धित राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ।

Setting up of First Atomic Power Station by Pakistan

3926. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan is going to set up her first atomic power station costing Rs. 60 crores in the near future near Karachi; and

(b) whether the spokesman of Pakistani Atomic Energy Commission, Mr. Usmani, has labelled this scheme as a counter to India's atomic power potential ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) It is customary for Pakistani spokesman to try to justify their own schemes for setting up nuclear installation by referring to India's alleged atomic power potential.

केन्द्र सरकार के सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास खाली करना

3927. **श्री सी० चित्तीबाबू** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में ऐसे सेवा निवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने सरकारी क्वार्टर खाली नहीं किये हैं ; और

(ख) सरकारी क्वार्टर खाली न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) 213.

(ख) सरकारी परिसरों को खाली करवाने की कार्यवाही पब्लिक प्रिमिसिज (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) एक्ट, 1958 के उपबन्धों के अन्तर्गत की जा सकती थी। संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत अमान्य होने के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय से यह अधिनियम को निष्प्रभावित किया गया क्योंकि यह उसके अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था । सम्पूर्ण अधिनियम का पुन: बनाने का काम प्रगति पर है । जब अधिनियम पुन: बन जायगा, तो अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की आगे की आवश्यक कार्यवाही करनी सम्भव होगी ।

जुआरी एग्रो-केमिकल्स तथा सी०आई०बी०ए० पेस्टीसाईड़ज को लाइसेन्स देने से पूर्व पर्यावरण अध्ययन

3928. **श्री इराज्यु सेकैरा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुआरी एग्रो–कैमिकल्स से मार्मागोवा के तटों पर अथवा सी० आई० बी० ए० पेस्टीसाइड्स से मन्डोवी नदी के तटों पर इन संस्थानों को औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने से पूर्व पर्यावरण अध्ययन करने के लिये कहा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों से समुद्र तथा नदी में कितना मल निस्त्राव बहाने की अनुमति दी गई थी; तथा प्रत्येक संयंत्र से कितनी मात्रा में तथा कितनी शक्ति का मल निस्त्राव बहाया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों में केन्द्र सरकार की नई बस्तियां

3929. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बेहतर सुविधायें देने और उनकी सहायतार्थ विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार की कितनी बस्तियां स्थापित की गई हैं ; और

(ख) सरकार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कहां तक सफल हुई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) पिछले 10 वर्षों या इसके आस-पास सारे देश में लगभग 38 नई कालोनियां बसाई गई हैं ।

(ख) विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में परितुष्टि की कुल प्रतिशतता नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	परितुष्टि की प्रतिशतता
1—**दिल्ली**	41.3
2—**पश्चिम बंगाल**	
(कलकत्ता)	7.56
3—**महाराष्ट्र**	
(i) बम्बई	10.64
(ii) नागपुर	34.00
4—**हिमाचल प्रदेश**	
(शिमला)	17.8
5—**हरियाणा**	
(फरीदाबाद)	86.33
6—**तमिलनाडु**	
(मद्रास)	2.1
7—**चण्डीगढ़**	6.3

राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन

3930. **श्री वयालार रवि** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आवंटन किया जाता है और विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों में कितने कितने क्वार्टरों का आवंटन किया गया है; और

(ख) कर्मचारियों की बढ़ती हुई क्वार्टरों की मांग को पूरा करने के बारे में क्या प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) राज्यों के नाम तथा सामान्य पूल में रिहायशी एककों की संख्या, जो कि विभिन्न टाइपों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवंटित हैं, का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उपलब्ध साधनों के भीतर विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल में यथा संभव अधिक से अधिक रिहायशी एककों की व्यवस्था करने का हर प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है । चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र, मैसूर, तामिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में विभिन्न टाइपों में 4,495 रिहायशी एककों का निर्माण करना प्रस्तावित है ।

विवरण

राज्यों के नाम तथा अधिकारियों की संख्या जिन्हें विभिन्न टाइपों में सामान्य पूल वास उपलब्ध किया गया है, का विवरण जैसा कि 1-1-1971 को था

क्रम सं०	राज्य का नाम	सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिन्हें इन टाइपों में वास उपलब्ध किया गया है							कुल
		VII	VI	V	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**पश्चिम बंगाल**								
	(कलकत्ता)	2	83	140	122	506	419	158	1,430
2.	**महाराष्ट्र**								
	(1) बम्बई	7	60	116	404	332	1192	366	2,477
	(2) नागपुर	1	18	28	101	165	426	158	897
									3,374
3.	**हिमाचल प्रदेश**								
	(शिमला)	—	11	22	35	54	172	302	596
4.	**हरियाणा**								
	(फरीदाबाद)	—	16	52	140	200	664	330	1,402
5.	**तामिलनाडु**								
	(मद्रास)	—	12	30	—	168	—	—	210

कोचीन स्थित नौसेना अस्पताल में सुविधाएं

3931. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन स्थित नौसेना अस्पताल में सुविधाओं की कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अस्पताल में सुविधाओं में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वे सुविधायें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में वायु सेना भर्ती केन्द्र खोला जाना

3932. **श्री वयालार रवि** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि केरल के अभ्यार्थियों को वायु सेना में भर्ती के लिये बंगलौर आना पड़ता है तथा वित्तीय हानि तथा अन्य कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं सरकार केरल में ही एक वायु सेना भर्ती केन्द्र खोलेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : केरल में वायु सेना भर्ती केन्द्र के खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है । वायु सेना के भर्ती कार्यालय क्षेत्रीय आधार पर स्थापित हैं। केरल राज्य, बंगलौर स्थित वायु सेना भर्ती कार्यालय के अन्तर्गत आता है । बंगलौर में एयर मैंनों को भर्ती के अतिरिक्त बंगलौर स्थित वायु सेना का भर्ती अफसर अपने क्षेत्र में जिसमें केरल राज्य भी शामिल है, दौरा भी करता है और अनेक जगहों पर स्थानीय रूप से भर्ती भी करता है । दौरे के कार्यक्रमों का विस्तृत प्रचार किया जाता है । वर्तमान पद्धति सन्तोषजनक रूप से काम कर रही है ।

केरल को गन्दी बस्तीयों के हटाये जाने के लिए केन्द्रीय अनुदान

3934. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 में केरल सरकार को गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कितनी राशि के अनुदान देने का विचार है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) 1 अप्रैल, 1969 से यह योजना राज्य क्षेत्र में है। राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों (गंदी बस्ती सफाई सहित) के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता 'खण्ड ऋणों' और 'खण्ड अनुदानों' के रूप में दी जा रही है। राज्य सरकारें उन द्वारा निश्चित की गई प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए निधियां नियत करने में स्वतंत्र हैं। इस को देखते हुए 1971-72 के चालू वित्तीय वर्ष के लिए गंदी बस्ती सफाई के लिए अनुदान के लिए कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में निर्माण आवास और नगरीय विकास का क्रम के लिए अनुदान

3935. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार को वर्ष 1968 से 1971 तक वर्षवार निर्माण, आवास और नगरीय विकास कार्यक्रम के लिये कितनी राशि के अनुदानों की मंजूरी दी गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त राज्य को कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आइ० के० गुजराल) : (क) और (ख). निर्माण और आवास मंत्रालय की विभिन्न सामाजिक आवास तथा नगरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार द्वारा 1968–69 के वर्ष के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता ली गई थी :—

ऋण	अनुदान	जोड़
12.35 लाख रु०	16.00 लाख रु०	28.35 लाख रु०

1969–70 से, अर्थात्, चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के आरम्भ से, निर्माण और आवास मंत्रालय की सभी सामाजिक आवास योजनाएं, सिवाय बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना के, राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं। राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए (आवास और नगर विकास सहित) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता "खण्ड ऋणों" और "खण्ड अनुदानों" के रूप में दी जा रही है। राज्य की वार्षिक योजना के आकार तथा साधनों आदि की उपलब्धता को ध्यान में रख कर निधि का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। केन्द्रीय खण्ड सहायता की कोई राशि किसी विशिष्ट योजना अथवा शीर्ष से सम्बन्ध नहीं होती तथा राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार उसे विभिन्न योजनाओं के लिए नियत करने में स्वतंत्र है।

2. बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना को 1970–71 के वर्ष से केन्द्रीय क्षेत्र में हस्तांतरित किया गया था। तथापि, 1970–71 के दौरान केरल सरकार को

इस योजना के अन्तर्गत कोई सहायता नहीं दी गई क्योंकि राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु किसी निधि के लिए नहीं कहा।

केरल में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय

3936. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है कि राज्य में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तुरन्त स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग). भारत सरकार को हाल ही में केरल सरकार से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने राज्य में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने के लिये वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है । चूँकि "शिक्षा" जिसमें विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का काम भी शामिल है राज्य का विषय है, इस लिये यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।

केरल में सहकारी क्षेत्र के अधीन मिट्टी के तेल और पेट्रोल के लिए एजेंसी

3937. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में मिट्टी के तेल और पेट्रोल की बिक्री के लिये सहकारी क्षेत्र में कोई एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त एजेंसी कब तक स्थापित की जायेगी और इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

AIR Exercises by I.A.F. Planes at Tilpat

3938. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Indian Air Force planes had carried out air-exercise at Tilpat in the month of April, 1971; and

(b) If so, the impressions it has left on the Indian people?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). A fire power demonstration was held at Tilpat Range on the 4th April 1971 as a part of Air Force anniversary celebrations. The display received very favourable comments in the press.

Recognition of Homoeopathic System of Medicine at National Level

3939. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Homoeopathic system of medicine has not been given recognition at the National level;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government to the aforesaid system of medicine to accord recognition at National level?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Shri D. P. Chattopadhyaya): (a) to (c). In order to give impetus to the development of Homoeopathy, the Government of India also give grants to selected Homoeopathic Medical Colleges in the country. Grants are also given for research activities in Homoeopathy through the Central Council of Research in Indian Medicine and Homoeopathy under which a separate Central Researeh Institute in Homoeopathy has been established. Besides this the Government of India is also considering the constitution of a separate Central Council for Homoeopathy to regulate education and Central Registration.

2. The Government of India have also taken a decision that the Union and State Governments should decide that modern scientific medicine (Allopathic) and Ayurvedic, Unani and Homoeopathic System of Medicine should contribute towards the development of the National Services in Country.

As 'Health' is a State subject, all the State Governments and Union Territory Administrations have been requested to take suitable action. They have also been asked to utilise the services of Homoeopaths in various activities of Family Planning programmes including involvement of qualified lady Homoeopaths in I.U.C.D. programmes.

गोरखपुर में मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि

3941. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, विशेषकर गोरखपुर जिले में, मिट्टी का तेल परचून में एक रुपया प्रति बोतल के हिसाब से बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). मईऔर जून के आरम्भ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों, विशेष रूप से गोरखपुर जिले में एक रुपया प्रति बोतल के फुटकर मूल्य पर मिट्टी के तेल के विक्रय की राज्य सरकार मे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है किन्तु रेल

परिवहन में कठिनाइयों के कारण कलकत्ता से पूर्वी उत्तर प्रदेश को मिट्टी के तेल की पूर्ण सप्लाई को बनाये रखने में कठिनाइयां अनुभव की गई थीं। राज्य सरकार को यथावत् सचेत कर दिया गया था तथा उन्हें मिट्टी के तेल की उपलब्ध मात्राओं का साम्य वितरण करने और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रण को भी लागू करने के लिए अनुरोध किया गया था। जून, ७१ के मध्य से हल्दिया से बरौनी एवं कानपुर तक मिट्टी के तेल के पम्प करने की योजना के प्रचलन के परिणामस्वरूप, सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है और आगामी कुछ दिनों में स्थिति के सामान्य हो जाने की आशा है।

रेबीज के टीकों का उत्पादन और उनकी खपत

3942. **श्री बी० एन० मूर्ति** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिबर्ष कुल कितने टीकों का निर्माण किया जाता है और कितने उपयोग में लाये जाते हैं;

(ख) आवश्यकता के समय रेबीज टीकों की सप्लाई में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) जिला स्तर के मुख्य अस्पतालों ने रेबीज के टीकों को जमा रखने की सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारत में प्रतिवर्ष लगभग 250 लाख मि० ली० आलर्क-निरोधी वेक्सीन तैयार किये जाते हैं और उपयोग में लाये जाते हैं।

(ख) वेक्सीन तैयार करने वाले संस्थानों द्वारा आलर्क-निरोधी नियमित केन्द्रों को वेक्सीन सप्लाई करने में कोई देरी नहीं की जाती है।

(ग) वेक्सीन को साधारण रेफ्रिजिरेटर में केवल 4° सेंटीग्रेड–10° सेंटीग्रेड तापमान में रखना होता है। सामान्यतया यह सुविधा सभी जिला अस्पतालों में उपलब्ध है।

दिल्ली में ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण सहकारी समिति को भूमि का आवंटन

3943. **श्री निहार लास्कर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में ग्रुप आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत किसी गृह निर्माण समिति को अब तक भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इन समितियों को भूमि का आवंटन करने में लगभग कितना समय लगेगा;

(ग) दिल्ली में वर्ष 1962 से पूर्व उन पंजीकृत मकान निर्माण सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक भूमि आवंटन की जानी है; और

(घ) ग्रुप आवास योजना के अधीन दिल्ली में पंजीकृत गृह निर्माण समितियों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) 33.

(घ) 47. सूची संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०**–603/71]

नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयुक्त के कार्यालय के पंजाबी और बंगाली कर्मचारियों के बीच झगड़ा

3944. **श्री पी० के० देव** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जनवरी, 1971 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें 18 जून, 1971 को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयुक्त के पंजाबी और बंगाली कर्मचारियों के बीच हुए गम्भीर झगड़े का ब्यौरा दिया गया था;

(ख) क्या पंजाबी राजनयिकों ने कुछ बंगालियों को बुरी तरह से पीटा था; और

(ग) क्या उच्च आयुक्त के कार्यालय में भी इस प्रकार की अव्यवस्था की कार्यवाही करने की अनुमति है और यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने इन झगड़ों की ओर कोई ध्यान दिया है ?

विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है ।

(ग) क्योंकि यह विदेशी राजनयिक मिशन में घटी घटनाएं हैं, इसलिये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर हैं ।

चिंगलपट (मद्रास) के केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र के भवन की जीर्ण-शीर्ण स्थिति

3945. **श्री सी० चित्ति बाब** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चिंगलपट के केन्द्रीय कुष्ठ निवारण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र के अस्पताल वार्डों के भवनों और क्वार्टरों में रोगियों और कर्मचारियों का रहना बहुत खतरनाक है;

(ख) यदि हां, तो क्या अस्पताल के भवनों और क्वार्टरों की मरम्मत करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या महंगाई भत्ते का वेतन में विलय होने के कारण कर्मचारियों को इन खतरनाक क्वार्टरों का अधिक किराया देना पड़ रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० देबी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख). भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस काम के लिए संस्थान को 1969–70 और 1970–71 के दौरान अनुदान दिये गये। 1971–72 के बजट में भी इस काम के लिए व्यवस्था कर दी गई है।

(ग) किराया सम्बन्धित नियमों के अनुसार लिया जा रहा है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बाढ़ के समाचार

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : श्रीमान्, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार में कथित भारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति।"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री के० एल० राव) : दक्षिण-पश्चिमी मानसून केरल में 27 मई को आरम्भ हो गई थी और 23 जून तक वहां वृष्टि सामान्य रही। 30 जून को समाप्त होने वाले सप्ताह में लगभग सारे राज्य में असाधारण रूप से भारी वर्षा हुई। इस सप्ताह के दौरान 31 सेंटीमीटर वर्षा हुई जबकि सामान्यतः यह 15 सेंटीमीटर हुआ करती थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य की लगभग सभी नदियों में भारी बाढ़ें आ गई जिससे बहुत विशाल क्षेत्र प्रभावित हुआ। समुद्र तट के साथ साथ बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव भी हुआ जिसका असर बहुत सारे मछुओं पर पड़ा। राज्य सरकार द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार लगभग 24,000 हैक्टेयर में धान की फसल पर असर पड़ा। नारियल, केला और रबड़ जैसी नकदी फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। 25,000 से भी अधिक मकान अंशतः या पूर्वतः क्षतिग्रस्त हुए। 12 मनुष्यों की जानें गईं। लगभग 6 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। सड़कों में दरार आ जाने से सड़क यातायात में बाधा पड़ी। त्रिवेन्द्रम, कोजिकोड और कन्ननोर जिलों में भु-स्खलन हुए। सिंचाई सड़कों और नियंत्रण कार्यों को भी क्षति पहुंची। राज्य सरकार ने बचाव और राहत के लिए उपाय किए। 25,000 पीड़ित परिवारों को राहत केंद्रों में पहुंचा दिया गया। भोजन केन्द्र खोले गए। अन्य पीड़ित लोगों को एक एक सप्ताह के लिए मुफ्त राशन दिया गया। बाढ़ों के उतर जाने के बाद राज्य सरकार हानियों का आगे और मूल्यांकन करेगी।

बिहार में जून के दौरान वृष्टि सामान्य से अधिक रही। जून के अन्तिम सप्ताह में राज्य के कुछ भागों में भारी वृष्टि हुई। जून के महीने में कमला बालान, बूढ़ी गंडक और गंगा में साधारण

बाढ़ें आई जिनसे नदी की असुरक्षित पहुंचों में कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए। कोसी में भी बाढ़ आई किन्तु बाढ़ का पानी तटबन्धों के बीच ही रहा । महानन्द और इसकी सहायक नदियों तथा गंगा में आई बाढ़ों द्वारा पुर्णिया ज़िले के कुछ भाग प्रभावित हुए । गंगा द्वारा किए गए कटाव से आजयपुर शंकर तटबंध में दरार आ गई । टूटे हुए हिस्से में तटबंध को पीछे हटाकर बनाने का कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिया गया । राज्य सरकार ने बचाव और राहत संबंधी कार्य यथावश्यक किए । किसी भी मनुष्य अथवा पशु की जान नहीं गई। राज्य सरकार हानि का अनुमान लगा रही है ।

उत्तर प्रदेश में जून के दौरान वृष्टि सामान्य से अधिक थी। पहाड़ी इलाकों में, कुल 41 सेंटीमीटर वृष्टि हुई जबकी सामान्यत: 17 सेंटीमीटर वृष्टि होती है । जून के दूसरे सप्ताह में भारी वृष्टि के कारण चमोली जिले में अलकनन्दा और मन्दाकिनी नदियों में बाढ़ें आ गई । भु-स्खलन भी हुए । इसके परिणामस्वरूप सड़क और दूर संचार-व्यवस्था में बाधा पड़ गई। ऋषिकेश-जोशीमठ सड़क, विशेषत: सोनली और जोशीमठ के बीच, क्षति ग्रस्त हो गई । नन्दप्रयाग घाट कई जगहों पर बह गया । सात पुल भी बह गए। नन्दप्रयाग और बदरीनाथ के बीच 3,000 तीर्थयात्री फंस गए । 7 मनुष्य और 460 पशु मारे गए, 161 मकान क्षतिग्रस्त हुए अथवा नष्ट हो गए । जून के दुसरे सप्ताह के दौरान पिथौरागढ़ जिले में भारी वर्षा हुई जिसके परिणामस्वरूप धारचुला के निकट नालों में बहुत अधिक पानी आ गया और भु-स्खलन हुए । धारचूला के निकट गालमीटी पुल तथा अन्य पुलों के बह जाने के कारण सड़क यातायात भंग हो गया । धारचुला नगर में सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचा। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ।

अनुमान लगाया गया है कि चमेली जिले में कुल 10 लाख रुपये और पिथौरागढ़ में 1 लाख रुपये की हानि हुई है। फंसे हुए तीर्थयात्रियों को निकाल कर अन्य स्थानों को ले जाने तथा लोगों कों सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक प्रबंध किए । नंदप्रयाग तथा अन्य स्थानों के रहने वालों को, जिन्हें भू-स्खलनों का खतरा था, सलाह दी गई कि वे सुरक्षित स्थानों को चले जाएं ।

जून के अन्तिम सप्ताह में घाघरा नदी में साधारण बाढ़ें आई । राज्य सरकार ने अभी तक इन राज्यों में हुई क्षति के बारे में सूचित नहीं किया है।

गंडक नदी के दाएं तट पर खड्डा और छितौनी रेलवे स्टेशनों के बीच 3 जुलाई को रेलवे तटबंध में एक दरार पड गई जिसका असर कुछ क्षेत्रों पर पड़ा । राज्य सरकार से अभी ब्यौरे आने हैं । स्थिति का मुल्यांकन करने के लिए राज्य का मुख्य अभियन्ता स्थल के लिये रवाना हो गया है ।

बाढ़ ऋतु लगभग अक्तुम्बर के मध्य तक रहती है। बाढ़ स्थिति पर निरन्तर ध्यान दिया जा रहा है। संसद के स्थगित होने से पहले अगस्त में एक और वक्तव्य दिया जाएगा जिसमें उस समय तक की स्थिति का ब्यौरा दिया जाएगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं सभा की प्रक्रिया तथा नामों के बैलट के बारे में भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

प्रथमत: यह सूचना कई दिन पहले दी गई थी और यह आपकी कृपा है कि आपने मंत्री महोदय से कहा कि यह एक बहुत महत्व का विषय है। इसका निर्णय केवल प्रधान मंत्री ही कर सकते हैं। प्रभारी मंत्री केवल यही कह सकते हैं कि वे इस पर विचार करेंगे तथा इसकी प्रधान मंत्री को सिफारिश करेंगे। चूंकि सहायता प्रधान मंत्री के सहायता कोष से प्राप्त होगी और प्रधान मंत्री यहाँ नहीं हैं अत: सभा को इस विषय पर संतोषप्रद उत्तर नहीं मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल तथा ध्यान आकर्षण सूचनाओं के दौरान व्यवस्था के प्रश्न उठाने की अनुमति देने की प्रथा नहीं है। साथ ही यह व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : सामान्यतया पाँच सदस्यों का बैलेट होता है। हममें से बहुत सदस्यो ने सूचनाएं दी हैं। यदि उनमें एक सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उन सदस्यों को अवसर दिया जाना चाहिए जिनका बैलट हुआ है और जो बैलट में हार गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये नियम सभा द्वारा बनाये गये हैं और इनमें सभा ही परिवर्तन कर सकती है। किन्तु नियमों से बाहर जाने की मेरी क्षमता नहीं है।

श्री जी० विश्वनाथन : हम एक प्रतीक्षा-सूची बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य की कठिनाई को समझता हूं। मैंने यह पहले ही कहा है कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रत्येक सदस्य का ध्यान गया है और हमें इस पर वाद-विवाद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मैंने मंत्री महोदय को इस वाद-विवाद के लिए समय निकालने के लिए कहा है

श्री एस० एम० बनर्जी : सदस्यों की एक प्रतिक्षा-सूची बनायी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : कभी कभी ऐसा होता है कि वे सज्जन ठीक अन्तिम मिनट पहुंच जाते हैं।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : Mr. Speaker, Sir, I also want to raise a point of order. My point of order is in regarding to your balloting procedure. The notice of calling attention was also given by us who belong to Uttar Pradesh. If only five names were to be taken, the name of the Member from Uttar Pradesh should also have been there in the context of floods in Uttar Pradesh. Why this disparity has been shown to our state? The balloting procedure is not correct. We may also please be included in the debate on this.

Mr. Speaker : Members are five and States are 18. How could five be distributed among all these states? It will be debated.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इस देश में पिछले गत कुछ दशकों से निरन्तर बाढ़ें आ रही हैं। मंत्री महोदय ने बाढ़ से जो हानि हुई हैं तथा जो सहायता उपाय किये जा रहे हैं उनके बारे में केवल राज्यों द्वारा भेजी गयी जानकारी ही दी है। ध्यान आकर्षण सूचना का यह अभिप्राय नहीं था। प्रत्येक वर्ष सरकार का ध्यान इस पर आकर्षित किया जाता है और सरकार द्वारा वही कहानी, अर्थात् हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हुई, करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हुई, रेलवे सम्पत्ति को हानि पहुंची, सड़कों

और अन्य वस्तुओं को क्षति पहुंची आदि, बार बार दुहराई जाती हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि इस बार बार आने वाली विपत्ति को रोकने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है और इनके किये जाने में कितना समय लगेगा। जैसा कि सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में वर्षों से कार्यवाही कर रही है हम यह भलि भांति कह सकते हैं कि भारत में यह प्राकृतिक विपत्ति नहीं रही, यह मनुष्य-कृत है क्योंकि वे नदियों को रोक कर रक्षात्मक तटबंध बना सकते थे और भारत में इस संकट को रोकने के लिए यदि आवश्यकता हुई तो करोड़ों रुपये भी व्यय किये जा सकते थे।

मंत्री महोदय से हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल, इन तीन राज्यों के लोगों को बचाने के लिए क्या विस्तृत योजनाएं हैं। जो सूचना उन्होंने दी है वह अपूर्ण है। मेरे विचार से प्रैस ने सरकार से अधिक सूचना दी है। केरल में लोगों की जानें गई हैं। वहाँ के मुख्य मंत्री ने प्रधानमंत्री को तार भेजा है। किन्तु वक्तव्य में जनहानि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी जन-हानि हुई किन्तु इसका भी वक्तव्य में कोई उल्लेख नहीं है।

मंत्री महोदय को सभा को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे वास्तव में कुछ उपायों के बारे में गम्भीर रूप से सोच रहे हैं। वे बतायें कि इस दुख को रोकने के लिए कितने धन की आवश्यकता है। जैसा कि अनेक सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस विषय पर पूरा वाद-विवाद होना चाहिए जिससे सरकार इस समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त धन-राशि का आवंटन करे और देश को इस हानि से बचाये।

डा के० एन० राव : बाढ़ मनुष्य कृत नहीं है। जब बाढ़ आती है तो हमें बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुई हानि उठानी पड़ती है। बाढ़ का कारण नदियों में पानी का स्तर बढ़ना है। विश्व के सभी भागों में जहां नदियाँ हैं सामान्यतया यही होता है। हमें यह ध्यान देना है कि हानि कम हो। बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर हमने लगभग 200 करोड़ रुपया व्यय किया है। चौथी योजना में 148 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। जितना अधिक बाढ़ नियंत्रण कार्य किया जायेगा उतनी ही कम हानि होगी। यहाँ प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये की हानि होती है और जैसे ही हम बाढ़ नियंत्रण योजनाएं कार्यान्वित करते जायेंगे हानि उतरोत्तर कम होती जायेगी।

सम्बद्ध राज्यों से जो सूचना-प्राप्त हुई है वह मैंने सभा को दी है। समाचार पत्रों में कई बातें प्रकाशित होती हैं। किन्तु हम सभा को वही जानकारी दे सकते हैं जो सही हो।

केरल के मुख्य मंत्री ने हमें लिखा है उन्होंने 2 करोड़ रुपये के लिए कहा है। इसके संबंध में एक नियमित प्रक्रिया है। योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की एक समिति गठित की गई है जो हानि का मूल्यांकन करती है और फिर किये जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय देती है। इसमें कोई अपूर्व बात नहीं है। अभी बाढ़ का मौसम केवल आरम्भ ही हुआ है। स्वयं सरकार भी हानि का पूरा मूल्याँकन नहीं कर पायी है। अभी हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। उक्त समिति बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में जायेगी और हानि का पूरा तथा उचित मूल्यांकन करेगी। फिलहाल राज्य-सहायता के उपायों पर यथा आवश्यक धनराशि व्यय करने के लिए अधिकृत हैं। यह धनराशि उन्हें बाद में वापस दी जायेगी। यही हमेशा की प्रतिक्रिया है।

श्री ए० के० गोपालन : उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में ही बाढ़ नहीं आई है किन्तु राजस्थान आदि देश के भागों में भी बाढ़ आई है। यह हर साल की बात हो गई है। केरल समुद्र से भूमि का कटाव हुआ है। केरल सरकार के अनुसार इस वर्ष बाढ़ पिछले वर्षों से भी अधिक आई है। जन धन की गम्भीर रूप से क्षति हुई है। लगभग 5-6 लाख आदमी बाढ़ से पीड़ित हुए हैं और लगभग 30–40 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा अन्य क्षति के साथ साथ चार-पांच स्कूलों की इमारतें भी गिरी हैं।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हर साल बाढ़ आती है और लोगों को एक सप्ताह तक भोजन दिया जाता है। सरकार बाढ़ तथा समुद्र के कटाव के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार नहीं करती है और राष्ट्रीय विपत्ति के रूप में इसका समाधान नहीं किया जाता है। यह केन्द्र का उत्तरदायित्व है। वह यह सुनिश्चित करे कि बाढ़ पर नियंत्रण किया जायेगा।

अत: मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक वक्त कुछ सहायता देने की बजाय सरकार को एक योजना बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाये कि यह थोड़े ही समय में नियंत्रित हो जायेगा।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने केरल में समुद्र से भूमि के कटाव के बारे कहा है। यह सही है कि भूमि के कटाव पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। प्रत्येक वर्ष क्षति बढ़ती जायेगी। समुद्र से भूमि के कटाव पर हम जो धनराशि व्यय कर रहे हैं वह स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमने विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया है और केरल में समुद्र से भूमि-कटाव से रक्षा के लिए पूरी योजना बनायी है। प्रतिवर्ष 4 करोड़ रुपये के हिसाब से 10 वर्ष की अवधि के लिए 40 करोड़ रुपये की रकम की आवश्यकता है। यह धन राशि मिल जाये तो समस्या का समाधान हो सकता है।

जैसा कि मैंने कई अवसरों पर कहा है कि लोक लेखा समिति, बाढ़ नियंत्रण संगठनों, राज्य-मंत्रियों के सम्मेलन आदि विभिन्न संगठनों की राय है कि इसे राष्ट्रीय समस्या माना जाये क्योंकि इस समस्या का समाधान राज्यों की शक्ति से बाहर है किन्तु पिछले योजना आयोग ने यह स्वीकार नहीं किया। यह फिर से समीक्षा करने का विषय है कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वित्त व्यवस्था कैसे हो। राज्य प्रतिवर्ष 45 से 50 करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं और वे अधिक व्यय नहीं कर सकते हैं।

श्री सी० जनार्दनन (त्रिचूर) : मुझे खेद है कि डा० राव ने केरल की घटनाओं के बारे में अधूरा वक्तव्य दिया है।

समाचार पत्रों के अनुसार तथा हमें राज्य से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इससे 12 लाख लोग पीड़ित हैं। लगभग 1 लाख मछली पकड़ने वाले न केवल समुद्र से भूमि-कटाव के कारण पीड़ित हुए हैं किन्तु केरल के समस्त समुद्र तट पर मछली पकड़ने वालों की झोपड़ियां बाढ़ से नष्ट हुई हैं। लगभग 5,000 मछली पकड़ने की देशी नावें और लगभग 3,000 यंत्र चालित मछली पकड़ने की नावें बेकार हैं। मछली वाले समुद्र में नहीं जा सकते हैं। वे भूखे मर रहे हैं। एक सप्ताह का मुफ्त राशन

उनके लिए काफी नहीं है । सरकार को चाहिए कि वह इन घटनाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त करे और तुरन्त सहायता दे । केरल के लोग इस सम्बन्ध में प्रक्रिया की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। केरल के राजस्व मंत्री ने अग्रिम अथवा अन्तरिम सहायता के रूप में 2 करोड़ रुपये मांगे हैं । अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ की हानि हुई है। केले नारियल सुपारी के बागान नष्ट हुए हैं और जब बाढ़ घट जायेगी तो क्षति का अनुमान 12 करोड़ रुपये तक का हो सकता है ।

सहायता दिये जाने के अतिरिक्त इस समस्या का मूल रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

इस समस्या का दो प्रकार से समाधान किया जाना चाहिए । भू-संरक्षण, आदि के लिए एक व्यापक योजना होनी चाहिए। इस समस्या का तभी समाधान हो सकता है जब तक इसके सम्बन्ध में बड़े पैमाने पर कार्यवाही न की जाय ।

दूसरे सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्यों में नहरों का कार्य शीघ्र किया जाना चाहिए । मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार केरल के लोगों को शीघ्र सहायता देगी तथा क्या सरकार भू-संरक्षण के लिए व्यापक योजना बनायेगी– और उसे क्रियान्वित करेगी और क्या सरकार अपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तत्काल सहायता देगी । त्रिचूर जिला सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है और त्रिचूर जिले की सहायता हेतु क्या सरकार चिमिनी भुपली परियोजना के लिए सहायता देगी ? मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या केरल को तत्काल सहायता दी जायेगी ।

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने बहुत सुझाव दिये हैं और उनके बारे में मैं केरल सरकार से मालूम करूंगा कि क्या यह योजना के अन्तर्गत हो सकता है । यह सब जानकारी, जिसका उन्होंने उल्लेख किया है, केरल सरकार से प्राप्त हुई है इसके अलावा अन्य कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है ।

सिंचाई के लिए नहरों आदि के सम्बन्ध में हम उन पर बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं । उन्हें मैं केरल सरकार को भेज दूंगा ।

श्री सी० जनार्दनन : विशेषज्ञों के एक दल को केरल भेजने के बारे में जो कहा गया था उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाये ।

डा० के० एल० राव : इसमें कोई तकनीकी कठिनाई नहीं है किन्तु वित्त की कठिनाई है ।

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : Sir, in northern Bihar, particularly the districts of Darbhanga Saharsa and Muzzaffarpur have always been the scene of natural calamity. Kosi, Kamala, Balan, Gailvinwa. Bhuthi, Kareh and Bagmati rivers in this region are flooded every year and do much damage to the crops. This year this has been.... ..happening from the very beginning. With the result that crops in lakhs of acres have been damaged and thousands of families have sustained loss of life and property. Epidemics also break out after the floods. I want to draw the attention of Government to the miserable condition of the huge population affected by the giving way of a portion Kosi embankment.

Moreover due to floods in Kamla, Balan, Bhootahi, Kaveli and Bagamati, Biraul, and Kusheshwar block of Sadar and Samastipur have turned into Sea. 80 percent crops had already been damaged by the untimely rain and now the floods have damaged crops in thousands of acres of land Sidhiya, Vishant, Hasanpur, Rasera, Warisnagar. Kalyanpur, Hayaghat and Kusheshwar blocks are the worst affected. Immediate relief is absolutely necessary and arrangements should be made for. Takavi loans to the farmers. I would like to know the details of the relief measures being undertaken by Government.

डा० के० एल० राव : उत्तरी बिहार, उत्तरी बंगाल और आसाम, इन तीन राज्यों में हर साल बाढ़ आती है। आसाम में अभी इतनी बाढ़ नहीं आई है। उत्तरी बिहार में भारी वर्षा हुई और बूढ़ी गंडक, कमला, बालान, कोसी आदि नदियों में जैसा कि सदस्य महोदय ने कहा है बाढ़ आई हुई है। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में हानि आदि के बारे में हमें अभी प्रतिवेदन नहीं भेजा है। प्रतिवेदन के आने पर अथवा हमें सम्पर्क किये जाने पर हम यथा आवश्यक सहायता देने का प्रयत्न करेंगे।

Shri Chandrika Prasad (Ballia) : The Hon'ble Minister has not said anything about eastern districts of Uttar Pradesh and Western Bihar.

Shri Tul Mohan Ram (Araria) : Champaran district is also affected by the floods every year. This time about one lakh people have been rendered homeless.

Shri N. N. Pandey (Gorakhpur) : I want to draw the attention of the Hon'ble Minister to the situation that three lakh people have been marooned by the floods in Buri Gandak, the Railway line between Khadda and Chhitauni has given way.

Mr. Speaker : There is no time for to a debate on this.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Sir, I want that there should be discussion on this. Nothing has been said about Rejasthan in the statement made by the Hon'ble Minister. There has been unusual heavy rain in some districts of Rajasthan, *viz*, Jaipur, Seekar, Magaur, Sawai Madhopur, etc. About 70-80 thousands people have been rendered homeless and lot of damage has been done to the life and property. Central Government should give assistance so that the people there get relief.

श्री पी० के० देव : महोदय मेरा निवेदन है कि आज सुबह खबर थी कि रूस भी अमेरिका के साथ पाकिस्तान को अस्त्र, शस्त्र सप्लाई करने में प्रातियोगिता कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे मेरी आज्ञा के बिना कहते रहेंगे तो कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री पी० के० देव : महोदय आपका निर्णय शिरोधार्य है किन्तु मेरा निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर फिर से विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वे मेरी आज्ञा के बिना कहते हैं यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

श्री पी० के० देव : × ×

सभा पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

राज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1971–72 के दौरान केन्द्रीय सरकार बाजार ऋण के परिणाम का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखना चाहता हूं । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० –600/71]**

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र
RESIGNATION OF MEMBER

(श्री टी० तीर्थगिरि गोंडर)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि तमिलनाडु के कृष्ण गिरि निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री टी० तीर्थगिरि गोंडर ने 2 जुलाई, 1971 से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है ।

रुस्तम अशोधित तेल के उपयोग के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर में शुध्दि
CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 313 *RE*: UTILISATION OF ROSTAM CRUDE OIL

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या 313 पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर शुद्ध करने के लिए मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

विवरण

तारांकित प्रश्न संख्या 313 पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए श्री डी० डी० देसाई द्वारा पूछे गये इस अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में, कि क्या सरकार कांडला में तेल साफ करने का एक नया कारखाना स्थापित करने पर विचार नहीं करेगी, मैंने अन्य बातों के साथ साथ यह कहा था कि जहां तक उत्तर-पश्चिम में कारखाने के स्थान का सम्बन्ध है, यह एक तकनीकी समिति को दिया गया है जिसका प्रतिवेदन प्राप्त होने वाला है । किन्तु सही स्थिति यह है कि आई० ओ० सी० को उत्तर-पश्चिम में तेल साफ करने के कारखाने तथा प्रस्तावित स्थानों में से प्रत्येक के लाभ अथवा हानि के बारे में एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था । व्यवहार्यता प्रतिवेदन मेरे मंत्रालय में 1 जून, 1971 को प्राप्त हुआ और उसकी जांच की जा रही है।

× × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
× × Not recorded.

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद का शासी निकाय

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं:

"कि भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसन्धान केन्द्रीय परिषद के नियमों, विनिमयों और उपविधियों के नियम 24 (2) के साथ पठित नियम 20 (10और 11) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसन्धान केन्द्रीय परिषद के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसन्धान केन्द्रीय परिषद के नियमों, विनियमों और उप-विधियों के नियम 24 (2) के साथ पठित नियम 20 (10 और 11) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, भारतीय चिकित्सा और होमियोपैथी अनुसन्धान केन्द्रीय परिषद के शासी निकाय के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक—पुर:स्थापित
PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) BILL—*Introduced*

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्रकुमार गुजराल) : मैं श्री उमा शंकर दीक्षित की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि लोक.परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स०मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि इस विधेयक को इसलिए पेश किया जा रहा है क्योंकि 1959 के पंजाब लोक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम को इस आधार पर संविधान की शक्तियों से बाहर घोषित किया है कि यह कार्यवाही भेद-भाव पूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के

निर्णय में भी इसको संविधान की शक्तियों से बाहर ठहराया गया है। 1968 के लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम को भी दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था और अब सरकार इस संशोधन के द्वारा यह कहती है कि "उन व्यक्तियों से जो लोक परिसर पर अप्राधिकृत रूप में कब्जा किये हुए हैं तथा ऐसे व्यक्तियों से किराया अथवा हानि की बकाया राशि की वसूली के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय को इस बारे में किसी भी मुकदमें या कार्यवाही को सुनने से रोका गया है।"

मैं इस विधेयक का खंड 20 सभा की सूचनार्थ पढ़ता हूँ। यह इस प्रकार है :

"किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, लोक परिसर (अप्राधिकृत-अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1958 के अधीन (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में 1958 का अधिनियम कहा गया है) की गई या की गई तात्पर्यित कोई बात या कार्यवाई (जिसके अन्तर्गत, बनाये गये नियम या आदेश, जारी की गई सूचनाएं, आदिष्ट या प्रभावी की गई बेदखलियां, निर्धारित नुकसानी, वसूल किये गये किराये या नुकसानी या खर्च और प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां भी हैं) उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानो ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के, जो धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन 1958 के सितम्बर के 16 वें दिन प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई हो।"

उसके बाद उच्च न्यायालय का निर्णय है कि सरकार को भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी विधान पारित नहीं करना चाहिये, किन्तु इस विधेयक को 1958 से भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है। मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि इस विधेयक को पेश करने के पश्चात् समस्त राजनीतिक दलों से समुचित परामर्श किया जायेगा और इसको भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जायेगा और दिल्ली और अन्य झुग्गी झौपड़ियों को नियमत किया जायेगा।

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : मूल विधेयक को कुछ तकनीकी आधारों पर उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए विधेयक का तद्नुसार प्रारुपण किया गया है। जब ऐसी आयेगी तो हम विधेयक के लिये खण्डवार समर्थन प्राप्त कर सकेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय ने जो आपत्तियां उठाई हैं उनका समाधान करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

झुग्गी झोपड़ियों के बारे में हमारी एक नीति है और हमने इस सम्बन्ध में लोगों को वचन दे रखा है। मैं आश्वासन देता हूं कि लोगों को दिये गये वचनों से मुकरने के लिए इस विधेयक अथवा किसी अन्य विधेयक का आश्रय नहीं लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लोक परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री इन्द्रकुमार गुजराल : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुदानों की मांगें, 1971-72–जारी

DEMANDS FOR GRANTS, 1971-72–*Contd.*

विदेश व्यापार मंत्रालय–जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम विदेश व्यापार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा आरम्भ करते हैं । श्री एस० आर० दामाणी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : निर्यात के बारे में मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इंजीनियरी सामान, आदि जैसे अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात में 40 प्रतिशत अर्थात् 600 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । परन्तु एक बात है कि गत कई वर्षों से हमारा पटसन का निर्यात व्यापार घटता जा रहा है । सरकार को पटसन से बने माल के निर्यात को बढाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये और पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाने के लिए इस सम्बन्ध में पूरा अध्ययन करना चाहिये ताकि कठिनाइयों को दूर किया जा सके और पटसन का निर्यात बढ़ाया जा सके ।

ब्रिटेन की सरकार के रवैये के बारे में माननीय मंत्री द्वारा व्यक्त किये विचारों से मैं सहमत हूँ । ब्रिटेन की सरकार ने हमारे कपड़े पर 15 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने का निश्चय किया है । मंत्री महोदय ने कुछ उपाय सुझाये हैं परन्तु उनपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । उन्होंने छः महीने का नोटीस दिया है । इस प्रकार ब्रिटेन की सरकार ने एक पक्षीय कदम उठाया है । उस सरकार की इस कार्यवाही से हमारे निर्यात को हानि पहुंचेगी । अतः मंत्री जी ने जो कठोर कार्यवाही की है वह बिल्कुल सही है और मैं उसका समर्थन करता हूँ ।

भारत–नेपाल व्यापार समझौते के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है और हमारा कर्त्तव्य है कि जहां तक सम्भव हो हमें उसकी सहायता करनी चाहिये । परन्तु यह भली-भांति विदित है कि नेपाल से हमारे देश में कई वस्तुओं की तस्करी होती है । यह अवांछनीय है और इसका हमारे उत्पादन तथा उद्योग पर कुप्रभाव पड़ता है । कुछ लोगों ने इस लाभ-दायक व्यापार से फायदा उठाया है । अतः मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में जो रवैया अपनाया है वह न्यायोचित ही है जहां तक तस्करी का सम्बन्ध है उनको इस सम्बन्ध में बहुत कठोर होना चाहिये और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उटाने चाहिये कि चीन में निर्मित तथा अन्य वस्तुएं हमारे देश में न आने पायें यह हमारे उद्योग पर बुरा प्रभाव डालते हैं ।

सूती वस्त्र उद्योग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस उद्योग ने भी हमारा निर्यात बढ़ाने में योगदान किया है । कपड़े के सामान के निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । सूत की कमी तथा इस की ऊँची कीमत के कारण हमारे वस्त्र उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है । सरकार ने 1964–65 तक रूई के उत्पादन का लक्ष्य 72 लाख गांठें रखा था परन्तु

वास्तविक उत्पादन 55–58 लाख गांठें ही थी। इस वर्ष यह कम होकर केवल 52–53 लाख गांठे ही रह गया है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार को 80 से 90 करोड़ रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा खर्च करके लगभग 9 लाख गांठे आयात करनी पड़ती हैं। इसकी बजाय, यदि हम देशी उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करें तो हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत कर सकते हैं। यह सिद्ध हो चुका है कि यदि उचित प्रयास किये जायें तो हमारी उपज कम से कम 50 प्रतिशत प्रति एकड़ बढ़ सकती है। प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए किसानों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिये। सरकार के पास कपड़ा आयुक्त तथा अन्य प्रकार की व्यवस्था है। जब कभी वे अनुभव करें कि कोई मिल कठिनाई में है तो उन्हें तत्काल उसे अपने हाथ में ले लेना चाहिये बजाय इसके कि वे उसके बन्द होने के $1\frac{1}{2}$ अथवा 2 वर्ष तक इस बात के लिए प्रतीक्षा करते रहें। इससे श्रमिक बेरोजगार नहीं होंगे और हमारे उत्पादन पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि 2 वर्ष तक बन्द पड़ी किसी मिल को पुनः चालू किया जाये तो उसमें अतिरिक्त व्यय होगा। यदि मिल को तुरन्त अपने हाथों में लिया जाता है तो इस सब व्यय की बचत होगी। मैं माननीय मंत्री से मामले की जांच करने का अनुरोध करूंगा।

ऋण योजना के अन्तर्गत कपड़े और रुई पर लाभ-सीमा 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई है। इससे मिलों का धन रुक गया है जबकि कपड़े और धागे की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। यह लाभ-सीमा 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहनी चाहिये।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम एक बहुत बड़ा संगठन है। यह लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का निर्यात करता है। इसका निर्यात 91 करोड़ रुपये का और आयात 55 करोड़ रुपये का है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। हमारे निर्यात का 80 प्रतिशत निर्यात जापान को किया जा रहा है। यूरोपियन देशों में और भी कई परम्परागत बाजार हैं। लौह अयस्क का निर्यात बढ़ाने की हमारी काफी क्षमता है और हमें इन परम्परागत बाजारों को अपने हाथों से निकलने नहीं देना चाहिये।

जबसे खनिज तथा धातु निगम ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात का कार्य सम्भाला है तबसे इसका निर्यात 14 या 15 करोड़ रुपये से घटकर 10 करोड़ रुपये हो गया है। उनका कहना है कि इसकी मांग नहीं है। प्रतियोगिता काफी अधिक है। इसके परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की कई खानें बन्द हो गई हैं तथा हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। जापान तथा अन्य देशों को हमारे माल के निर्यात बढ़ाने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कठोर परिश्रम करना चाहिये।

हाल में हमने सिंगापुर को कोयले का निर्यात आरम्भ किया है। परन्तु वास्तव में वह कोयला पाकिस्तान जा रहा है। सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिये।

राज्य व्यापार निगम के बारे में मुझे यह कहना है कि यह एक अच्छी संस्था है। परन्तु इस निगम ने भी अपना ध्यान केवल आयात पर ही केन्द्रित कर रखा है। यह बहुत सरल व्यापार है। निर्यात में इस निगम का क्या योगदान है? उनका योगदान बहुत ही कम है। यह देश के कुल निर्यात

का केवल 3 प्रतिशत है। उन्हें अधिक परिश्रम करना चाहिये। उनके पास व्यापक संसाधन तथा अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं और वे निर्यात को बढ़ा सकते हैं।

जहां तक हस्तशिल्प हथकर्घा निर्यात निगम का सम्बन्ध है, इसने देश के 48 करोड़ रुपये के निर्यात में से 2 करोड़ रुपये का निर्यात किया है। इसने न्यूयार्क, बोस्टन और पैरिस में अपने कार्यालय स्थापित किये हैं। स्थापना सम्बन्धी व्यय 66 लाख रुपये है। इतना अधिक धन व्यय करने के बाद भी उसकी सफलता नगण्य के बराबर है। इसने 10,000 रुपये का लाभ कमाया है। अन्त में यह कहूंगा कि सरकार को इस बारे में समुचित जांच करनी चाहिये ताकि व्यर्थ के खर्च को रोका जा सके और हमारे निर्यात में वृद्धि की जा सके।

†**श्री सी० चित्तिबाबू** (चिंगलपट): अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि जहाँ तक हमारे आयात और निर्यात व्यापार का सम्बन्ध है, इस मंत्रालय का कार्य आशानुकुल नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि यह मंत्रालय घिसी-पिटी नीतियों का पालन करता रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद भी हमारा देश विकासशील देशों में विशिष्ट स्थान प्राप्त नहीं कर सका है।

मेरा यह दृढ़ विचार है कि जब तक लाइसेंस देने की शक्ति पूर्ण रूप से केन्द्र के हाथ में रहेगी तब तक हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं होगी। यदि लाइसेंस देने की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है और राज्य सरकारों को भी ये शक्तियां प्रदान की जाती हैं तो नये उद्योगों की स्थापना के लिए रास्ता खुल जायेगा, जिसके परिणामस्वरूप देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद निर्यात के लिए अधिक माल का उत्पादन किया जा सकेगा।

मैं अपने विचारों की पुष्टि के लिए हथकर्घा माल का उदाहरण देता हूं। बलीडिंग मद्रास की पश्चिमी देशों के फैशनपरस्त जगत में अत्याधिक मांग थी तथा रेशमी कपड़ा तो वहां के धनी वर्ग का अंग बन गया था। परन्तु अब इनकी मांग बहुत कम हो गई है। इसका कारण यह है कि कुछ व्यक्तियों ने जिनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफाखोरी या सस्ती तथा घटिया किस्म की इन कपड़ों की नकल भेजकर देश को बदनाम कर दिया है। अवांछनीय कार्यवाही को प्रभावी ढंग से रोकने का केवल एकमात्र तरीका यही है कि आयात तथा निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाये। हम इस बारे में सजग हैं कि हमारी सीमायें हैं तथा हम समूचे व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। परन्तु चाय तथा रबड़ के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके हमें इस दिशा में पहला कदम उठाना चाहिये। रबड़ उद्योग के बारे में हम बड़ी अस्थिर स्थिति में हैं क्योंकि रबड़ का समूचा आयात केवल छः अथवा सात एकाधिकारी उद्योगपतियों के लाभ के लिये किया जा रहा है। रबड़, चाय और पटसन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये और इससे विदेशी मुद्रा की आय को, जिसे निर्यातक समाप्त कर रहे हैं, राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था सुधारने के लिए बचाया जा सकेगा।

†तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

† Sumarized translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

तमिलनाडु में 25 लाख परिवार हथकर्घा उद्योग से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हथकर्घा के माल पर लगाये गये उत्पादन शुल्क से उनका निर्यात कम हो गया है। सरकार को हथकर्घा के माल पर से उत्पादन शुल्क पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिये। इस बीच सरकार को 60 काउन्ट के सूत के लिए उत्पादन शुल्क में छूट की घोषणा करनी चाहिये। हथकर्घा के माल का भारी स्टाक जमा हो गया है जिसका उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जब तक कठिन परिस्थितयों में कार्य कर रहे लोगों से बहुत दूर दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग उनको निदेश दे रहे हैं, तब तक इस बात में संदेह है कि विदेशी बाजारों में इस माल की मांग हो सके। इसी कारण मैं चाहता हूं कि राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से हमारी विदेश व्यापार नीति को तुरन्त नया रूप दिया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मुझे सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना है कि वर्तमान में अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में है। मुझे इस बात में सन्देह है कि बम्बई में स्थित यह संस्था तामिलनाडु में हथकरघा उद्योग की कुछ सहायता कर पायेगा। मेरा सुझाव है कि इस कार्यालय को मद्रास ले जाना चाहिये ताकि तामिलनाडु के लोग इस उद्योग की समस्याओं से भली-भाँति परिचित रहें। इस बोर्ड में एक तकनीकी विभाग भी खोला जाना चाहिये, जो कपड़े के नमूनों, रंगों और बनावट पर विचार करें ताकि ह्रासोन्मुख हथकरघा उद्योग का उद्धार किया जा सके।

जब भारतीय जवाहरात का निर्यात बढ़ रहा था तब सरकार ने पीढ़ियों से चले आ रहे हजारों स्वर्णकारों को अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण स्वर्ण नियंन्त्रण आदेश लाकर भीख मांगने के लिए विवष कर दिया है यदि सरकार इन स्वर्णकारों और हथकरघा उद्योग में लगे बुनकरों की हालत को सुधारने के लिए उपाय नहीं करती तो हमारा विदेश व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय पगडंडियों में भटक कर रह जायेगा क्योंकि देश में इन निराश्रित लोगों की समस्या मुंह बाये खड़ी है।

बंगला देश के बारे में हमने जो नीति अपनाई है, उससे विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा है। हमारी अप्रभावकारी विदेश नीति के कारण ही यह दयनीय स्थिति उत्पन्न हुई है। इसलिए अपने विदेश व्यापार को सुधारने के लिए हमारी विदेश नीति का पुनर्मुल्यांकन किया जाना चाहिये तभी हमारे माल के लिए विदेशों में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है।

तामिलनाडु में नीलगिरी में चाय की खेती करने वाले छोटे-छोटे बहुत से किसान हैं। सरकार इन लोगों से 13 लाख रुपया उत्पादन-शुल्क के रूप में वसूल करती है, परन्तु इन छोटे चाय बागानों के विकास पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाता। चूंकि चाय बोर्ड का कार्यालय कलकत्ता में है अतः वह नीलगिरी में चाय की खेती करने वालों की समस्याओं से परिचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि कम से कम इस की शाखा मद्रास में खोली जानी चाहिये। मैं माननीय मंत्री से अपील करूँगा कि चाय की खेती करने वाले छोटे किसानों को उत्पादन शुल्क से मुक्त किया जाना चाहिये।

तामिलनाडु में प्याज और मिर्च की खेती करने वाले छोटे-छोटे किसानों का अभी तक श्रीलंका के साथ अच्छा व्यापार चल रहा था, किन्तु श्रीलंका के साथ व्यापार में कमी होने के कारण इन लोगों को भारी कठिनाई हो रही है। इस संकट के समय में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने उपयुक्त उपाय नहीं किये हैं। मंत्री महोदय को तामिलनाडु के प्याज और मिर्च उत्पादक गरीब लोगों की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिये और उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

सिले-सिलाये वस्त्रों के उत्पादन में तामिलनाडु का विशेष स्थान है और उनके निर्यात की काफी गुंजाइश है। मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि उसे सिले-सिलाये वस्त्रों के लिए नये बाजार ढूंढने के लिए भी भरसक प्रयत्न करना चाहिये। इसी तरह तामिलनाडु में पैदा होने वाले फलों और फूलों के निर्यात की भी भारी गुंजाइश है। प्रस्तावित समुद्री उत्पाद निर्यात निगम मद्रास पतन के निकटवर्ती किसी स्थान में स्थापित किया जाना चाहिये।

राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई और केन्द्र को भेजी गई योजनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। केन्द्र कभी भी हमारी अर्थ-व्यवस्था में तेजी नहीं ला सकेगा। विदेश व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए कई निगम और कम्पनियां बनाने के बजाय यदि सरकार राज्य सरकारों को काम कराने के लिए अपनी एजन्सियां समझे और उन्हें पर्याप्त शक्तियां दे तो स्वभावतः वे हमारा निर्यात बढ़ाने में अधिक रुची लेंगी। इस समय आयोजन इस प्रकार केन्द्रीकृत है कि राज्य अपनी सही मांगों को भी पूरा नहीं करवा पाते। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में एक ज्ञापन भेजा है। मुझे आशा है कि सरकार उसपर ध्यानपूर्वक विचार करेगी और राज्यों की उचित मांगों को स्वीकार करेगी। इससे हमारे विदेश व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

श्री एम० सुदर्शनम् (नरसारावपेट) : विदेश व्यापार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं श्री एल० एन० मिश्र तथा उसके अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा 1970-71 के दौरान किये कार्य के लिए बधाई देता हूं। यह मंत्रालय बहुत सराहनीय कार्य करता आ रहा है तथा इसने आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये हैं। निर्यात बढ़कर 1531 करोड़ रुपये हो गया है। चालू वर्ष में स्थिति और भी अच्छी हो जायेगी। निर्यात बढ़कर 1970 करोड़ रुपये हो जायेगा अर्थात् लक्ष्य के अनुसार 9.1 प्रतिशत की वृद्धि होगी। मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की हैं, जो अभूतपुर्व हैं।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

प्रतिवेदन के अध्याय सात में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति के विभिन्न मामलों का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है। अधिमानों की साधारणीकृत प्रणाली प्रगतिशील अन्तर्राष्टीय व्यापार नीति के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण उपाय है, जो 1 जुलाई से यूरोपीय आर्थिक समुदाय में लागू की गई है। यह निर्णय अंकटाड–II के नई दिल्ली में मार्च, 1968 में हुए अधिवेशन में पारित संकल्प के अनुसरण में किया गया था। हमारे निर्मित एवं अर्ध-निर्मित माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए किये गये प्रयत्नों की अधिकतर सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अपने उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिए किस प्रकार अपने आप को सक्रिय एवं गतिशील बनाते हैं। यह सर्वविदित है कि विश्व निर्यात में भारत का भाग काफी कम होता जा रहा है अब इस समय यह केवल 0.7 प्रतिशत रह गया है। अतः सरकार को अतिरिक्त क्षमता बनाने तथा उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावशाली नीति अपनानी चाहिये।

विकासशील देशों में आपस में सहयोग होना चाहिये। इकाफे के तत्वावधान में एशियाई व्यापार के संवर्धन के लिए सहयोग के सिद्धान्त बनाये गये हैं। क्षेत्रीय व्यापार तथा वित्तीय सहयोग के कार्यक्रमों को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिये।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते को समाप्त करने का नोटिस देने के ब्रिटेन के निर्णय से दोनों देशों के व्यापार सम्बन्धों में अमूल परिवर्तन होंगे। हमारी सरकार ने सूती कपड़ा मिलों के भारतीय व्यापार के हितों की रक्षा करने के लिए अत्याधिक प्रयास किये हैं, परन्तु दुःख की बात है कि ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार ने प्रशुल्क लगाये जाने को एक अथवा दो वर्षों तक भी स्थगित करने के युक्तिसंगत प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है। जबकि भारत अपने रवैये में परिवर्तन नहीं कर सकता, बेहतर यही होगा कि तम्बाकू, खली और मई अन्य उत्पादों के हमारे निर्यात को संरक्षण देने के व्यापक हित की दृष्टि से, हमें समुचित संरक्षणों के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिये। हर प्रकार से हमें कपड़ा व्यापार को हुई हानि के लिए मुआवजा मांगना चाहिये।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय कोटे के अनुसार सूती कपड़े के लिए अधिमानों की साधारणीकृत प्रणाली के अन्तर्गत शुल्क रहित प्रवेश के लिए सहमत हो गया है। हमें पूरी सुविधाएं मिलें, इसके लिए हमें ब्रिटेन को सहमत करना होगा। नई बातचीत पूर्ण होने तक ब्रिटिश सरकार को समझौते की समाप्ति के नोटिस को स्थगित रखना चाहिये। इस मामले को प्रशुल्क एवं व्यापार सम्बन्धी सामान्य समझौते "गाट" के माध्यम से भी निपटाया जाना चाहिये।

सूती कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में श्री दामाणी ने स्थिति स्पष्ट कर दी है परन्तु कुछ शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। इस उद्योग में अव्यवस्था फैली हुई है, विशेषकर कताई कारखानों में बहुत हानि हो रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि कपास उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं होती। कृषि क्षेत्र में कपास उत्पादन में हरित क्राँति आना अत्यन्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। कपास उद्योग केवल तभी जीवित रह सकता है। यह श्रम-प्रधान उद्योग है और अन्य उद्योगों का आधार है।

प्रशुल्क आयोग को चाहिए कि वे सरकार को अपना प्रतिवेदन पहले की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक प्रस्तुत करे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में इतना अधिक समय नहीं लगना चाहिए जितना कि अब लगता है। कृत्रिम रेशमी कपड़े, संश्लिष्ट कपड़े, पटसन, वनस्पति आदि पर प्राप्त हुए प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए।

अब प्रशुल्क आयोग और औद्योगिक लागत तथा मूल्य विभाग के परस्पर व्यापी कार्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि मूल्य तथा प्रशुल्क की केवल एक ही सँस्था स्थापित की जा सके।

25 जुलाई, 1970 को घोषित की गई न्यूनतम निर्यात दायित्व सम्बन्धी नीति पर फिर से विचार करना चाहिए। अपने उत्पादन का 50 प्रतिशत भाग से अधिक निर्यात करने वाले निर्यात घरों को उन्मुक्त विदेशी मुद्रा संसाधनों से अपने आयात आपूर्ति का माल प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। राज्य व्यापार अभिकरणों और निर्यात गृहों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता बढ़नी चाहिए। निर्यातकों को निर्यात गृहों अथवा राज्य व्यापार निगम द्वारा सारणीबद्ध वस्तुओं को आयात करने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों को आयात आवश्यकताओं, कुशलतापूर्वक वसूली तथा वितरण और जमा करने के सम्बन्ध में प्रभारी आयोजन के लिए सक्रिय उपाय करने चाहिए। सारणीबद्ध वस्तुओं में संभावित मांग का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों के बावजूद भी, समय-समय पर होने वाले आधिक्य और कमी से नहीं बचा जा सका। इस सम्बन्ध में स्थिति पर समय-समय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मैं कुछ शब्द वाणिज्यिक संस्थाओं के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। हमारे यहां भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल महासंघ, अखिल भारतीय निर्माता संस्था, संयुक्त वाणिज्यिक मण्डल और अनेक व्यापारीय और औद्योगिक संस्थाएं हैं। इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिए सरकार को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। संभवतः पश्चिमी जर्मनी का ढांचा हमारे लिए काफी लाभदायक और सहायक सिद्ध होगा।

रुपये में व्यापार करने के समझौतों के सम्बन्ध में यह बात उल्लेखनीय है कि संयुक्त अरब गणराज्य तथा युगोस्लाविया जैसे देश भारत से आयात किये गये माल का निर्यात करते हैं। जापान और चीन से भी कई प्रकार का सामान नेपाल के माध्यम से भारत में आता है। इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इसे रोका जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से तम्बाकू पर से निर्यात शुल्क हटाने का अनुरोध करूंगा क्योंकि इससे हमारे तम्बाकू के निर्यात की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम होती है।

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना करने का आश्वासन दिया गया था परन्तु ऐसा अभी तक नहीं किया गया। मंत्री महोदय को इस विषय पर स्वयं ध्यान देकर तम्बाकू उपजाने वाले क्षेत्र में इस बोर्ड की स्थापना शीघ्र करवानी चाहिए नहीं तो तम्बाकू उपजाने वालों को भारी हानि होगी।

जैसाकि मंत्री महोदय ने इस सभा को बताया था कि वह पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों में कुछ आधुनिक पटसन मिलें स्थापित करने के लिए लाईसेंस दे सकते हैं, अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कि वह सभी बाधाओं को दूर कर आन्ध्रप्रदेश तथा अन्य पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों में मिलें स्थापित करने के लिए शीघ्र लाईसेंस जारी करवाएं।

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : I oppose the demand for grants of the Ministry of external trade. Foreign trade is the backbone of our economy. Our exports have been declining due to wrong policies by the Government. The export of cotton textiles, tea, jute, leather and leather goods etc. has been losing ground in the world markets. Our exports have declined by Rs. 33.3 crores in 1970. Government should pay serious attention to it. Country's economy can improve only when effective steps are taken to step up our exports.

The policy of issuing licence required to be changed. We should have a policy which could prevent black marketing and give us more foreign exchange. Import licences should be granted to the applicants but they should be made to pay an import duty at the rate of 170 per cent. This would check black marketing and also enable every one to get the licence.

The Jute industry in West Bengal presents a very gloomy picture and there is short fall in the exports also. The exports diclined by 15.4 per cent in 1970. While Indian exports to the World Market have fallen by 29 per cent, Pakistan has increased its exports by 30 per cent. This is a distressing feature because jute is one of the most important industries of our country and any decline in its trade affected our whole economy. The Government must pay whole hearted attention to this industry in West Bengal.

It has been mentioned in the report published by the Ministry that exports of cotton textiles had slightly increased in 1970. But we find that the cities like Bombay, Ahmedabad, Ujjain and Kanpur, the textile industry is facing great difficulty and many mills are clossing down. Cotton textile industry earns the maximum foreign exchange and if we neglect this industry, we shall suffer a lot. The mills worthy of being taken over should be takenover and those which needed help should be given help to same them from being closed down.

In regard to the British proposal to impose a 15 per cent levy on our cotton exports and to terminate the 1939 Agreement, we should adopt a tit-for-tat policy. We should declare that if they break the Agreement, we shall abondon trade relations with them and leave the Commonwealth. Simultaneously we should explore other markets for our exports. The British decision to impose 15 per cent levy at this critical juncture when we are facing the problem of Bangla Desh, is to support Pakistani indirectly. We should be prepared to face this threat of British Government.

If we analyse the figures contained in the report, we shall find that the industry is also losing and our country has been relegated to 5th or 6th position in the matter of exports. The Ministry should enlighten us about the concrete steps he proposes to take to improve the position.

Our handloom products have brilliant products of export. They are in great demand abroad but it is a pity that we are not able to meet this demand. In Expo-70 Exhibition held in Japan our products were very much appreciated by the foreigners. Some steps must be taken to step up the production and increase our exports.

Tobacco industry is a good foreign exchange earner, but due to wrong policy of stocking tobacco, this industry has also suffered a lot. The Ministry should pay attention to this and held the tobacco producing states. It should solve the problems of Tobacco growers.

I would also request the minister to tell us the reasons for decline in the exports of hides and skins. This industry employs a large number of people belonging to backward section and it is not put on proper footing. These poor people will suffer a lot.

Our fitness are popular abroad and in the countries like Ethiopia, Somalia and Nairobi these are sold in black market. Thus depriving us of foreign exchange.

I could request the Government either to take over this industry or take effective steps to check this black marketing.

It should be ensured that the H.M.T. watches are supplied abroad according the samples supplied. Something must be done to check the smuggling of watches at Bombay port.

We enjoy monopoly in the World Market in the matter of cardamon. I would request the Minister to tell us the foreign exchange we are likely to earn from this industry during the current year.

I am greatful to the Deputy Speaker for giving me an opportunity to express my views. I would request the Minister to consider my suggestion.

श्री पी० के० घोष (रांची) : अपने मित्र से यह सुनकर कि हमारा निर्यात कम हुआ है, मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ है। वास्तव में हमारे निर्यात में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसके लिए मंत्री महोदय तथा उनका मंत्रालय बधाई के पात्र हैं। 70 प्रतिशत आयात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है कि धीरे-धीरे सरकार समूचे उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का प्रयत्न करेगी।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राजकीय व्यापार निगम को व्यापारियों की भांति व्यापार करना चाहिए। सभी आयातित वस्तुएं वितरकों के माध्यम से बेची जाती हैं। वे इन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेच कर काफी लाभ कमाते हैं और इस प्रकार उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि राज्य व्यापार निगम को आयातित माल स्थायी वितरकों के माध्यम से बेचने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके नीलाम करना चाहिए।

कच्चे माल का आयात उपभोक्ताओं को कम मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है। चूंकि इस आयातित कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए ये वस्तुएं बहुत अधिक मूल्यों पर बेची जाती हैं। सरकार को कच्चे माल का आयात करके कम मूल्यों पर नहीं देना चाहिए अपितु नीलामी के द्वारा यह माल उस व्यक्ति को देना चाहिए जो इसके लिए सर्वाधिक मूल्य दे।

राज्य व्यापार निगम में काफी भ्रष्टाचार व्याप्त है। मेरा सुझाव है कि इस निगम के माध्यम से आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए जो इस संस्था के माध्यम से आयात किए जाने वाले कच्चे माल, अन्य वस्तुओं और मशीनों के वितरण पर निगरानी रखे। संसद भी इस समिति से सम्बद्ध होने चाहिए। एक समय जब मैं भी इस समिति का एक सदस्य था, मैंने देखा कि राज्य व्यापार निगम हमारे सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं देता अपितु मनमाने निर्णय लेता है।

मैं भी निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में हूं, किन्तु ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस कार्य के लिए हमारे पास एक अच्छी कार्यकुशल संस्था हो।

जहां हम निर्यात व्यापार को गैर-सरकारी लोगों के हाथों में रखने के पक्ष में हैं, वहां हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या वे कोई बीजक भी बनाते हैं। हमें इसकी प्रभावी ढंग से जांच करनी चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा खर्च की जा रही भारी राशि का दुरुपयोग न होने पाए। तस्कर व्यापार को रोकने के लिए हमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : Deputy Speaker, Sir, there is no question in the house.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० के० घोष कुछ समय के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। सदन में गणपूर्ति नहीं है। घण्टी बजाई जा रही है—

अब गणपूर्ति है। श्री पी० के० घोष अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी० के० घोष : सरकार को विदेशों में रहने वाले भारतीयों को सरकार के माध्यम से भारत में अपना पैसा भेजने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि विदेशी मुद्रा तस्तक व्यापारियों की बजाय सरकार को प्राप्त हो।

श्री के० एन० तिवारी : इसका संबंध वित्त मंत्रालय से है।

श्री पी० के० घोष : कुछ भी हो इस मामले पर विचार तो सरकार को ही करना है।

अन्त में मैं ब्रिटेन द्वारा 1939 के व्यापार समझौते को समाप्त करने के संबंध में कुछ शब्द कहूँगा। यह मामला अत्यन्त गंभीर है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि ब्रिटिश सरकार इस पर पुनः विचार करे और समझौते की समाप्ति का नोटिस वापस ले।

श्री सोमचन्द सोलंकी (गांधीनगर) : समय बहुत कम है, इसलिए में कुछ एक पहलुओं पर विचार रखुंगा। अपने आर्थिक ढांचे सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाने के लिए ऐसे उपाय करने चाहिए ताकि निर्यात बाजार में हमारे माल की मांग बढ़ती रहे। अतः हमें अपनी विदेश व्यापार नीति में आवश्यक संशोधन करना चाहिए।

हम देखते हैं कि अप्रेल-अगस्त, 1969 की तुलना में अप्रेल-अगस्त 1970 में चाय, खाल, मूंग-फली, कहवा तथा रुई के निर्यात में 40.4 करोड़ रुपए की कमी हुई है दूसरी ओर आयात व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है। इससे पता लगता है कि दोनों ओर विदेश व्यापार में हमें हानि ही हुई है। हमारा माल इतना बढ़िया नहीं है कि इससे हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिले।

बहुत सी कपड़ा मिलें संकटग्रस्त हैं और कई मिलें किसी न किसी कारणवश बंद हो चुकी हैं। इस समय अहमदाबाद में बहुत सी कपड़ा मिलें संकटग्रस्त हैं और राष्ट्रीय कपड़ा निगम इनमें से केवल 7 मिलों को चला रहा है। नौ महीने पहले जहांगीर मिल्स को भी मामूली से कारण पर बन्द कर दिया गया था। इस तरह तो बेरोजगारी बढ़ेगी। इस मिल को चालू करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किए गए थे परन्तु वे सब निष्फल रहे।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका समय 10 मिनट है जो कि लगभग पूरा हो चुका है इन उपक्रमों के संबंध में आप अपना विवरण मंत्री महोदय को दे सकते हैं और वह इस पर विचार करेंगे।

श्री सोमचन्द सोलंकी : वकील-जहांगीर मिल के संबंध में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को इस मिल को तुरन्त अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका कोई हल नहीं हैं।

जुपीटर मिल भी बन्द पड़ा है । लोगों का विश्वास है कि लगभग चार मिलें और बन्द हो जाएंगी। वे कहते हैं कि यदि जुपीटर मिल जैसी अच्छी मिल बन्द हो सकती है तो अन्य 5 मिलें जहां स्थिति संतोषजनक नहीं है, अवश्य बन्द हो जाएंगी। अतः श्रमिकों तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को बिना किसी हिचकचाहट के यह कहना चाहिए कि यह मिल शीघ्र ही राष्ट्रीय कपड़ा निगम को सौंप दी जाएगी। ऐसा करने से ही बाधाओं को दूर किया जा सकता है ।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर): विचाराधीन अवधि के दौरान हमारे निर्यात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसपर हमें गर्व है । विश्व व्यापार में भारत को उचित स्थान दिलाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

मेरे विचार में विदेश व्यापार भी हमारी विदेश, आर्थिक तथा औद्योगिक नीति का ही एक अंग हैं । विदेशों में भेजा गया हमारा माल केवल विदेशी मुद्रा ही नहीं अपितु हमारे देश के प्रति सद्-भाव भी अर्जित करता है । अतः विदेश नीति बनाते समय इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिये नौ निगमों का गठन किया है । किन्तु इन निगमों में तथा मन्त्रालयों में भी परस्पर समन्वय बनाये रखने के लिये कोई समुचित योजना नहीं है । उदाहरण के लिये पटसन विदेशी मुद्रा कमाने वाली वस्तु है और विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा इसके विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न चरणों के अन्तर्गत इसकी देखभाल की जानी अपेक्षित है । यह कार्य ठीक ढंग से किया जा रहा है । अतः सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों को इस सम्बन्ध में एक समुचित नीति बनानी चाहिये ।

पटसन और चाय दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जिससे हमारा देश काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाता है, किन्तु इस मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों के अनुसार पाकिस्तान के हमारे प्रतिस्पर्धा होने के कारण तथा इसी प्रकार की अन्य कृत्रिम वस्तुओं के बढ़ते हुए प्रयोग से भारतीय पटसन का निर्यात विश्व में अपना स्थान खो रहा है । वर्ष 1969 में तुलना में निर्यात 216 करोड़ रुपये से घटकर इस वर्ष 182.7 करोड़ रुपये रह गया है इस प्रकार निर्यात 33.3 करोड़ रुपये अर्थात 15.4 प्रतिशत घटा है। यह अच्छी बात नहीं है। अतः मैं यह सुझाव दूंगा कि इस मन्त्रालय को अन्य क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने का प्रयत्न करना चाहिये और वर्तमान बाजारों पर ही आश्रित न रह कर अन्य की बाजारों में भी खोज करनी चाहिये।

प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि अमरीका विशेषकर दरियों में प्रयोग होने वाले कपड़े का क्रय अब कर रहा है, जहां एक ओर अमरीका में भारतीय निर्यात कम हो रहा है पाकिस्तान का अधिक हो रहा है अतः जहां भारत खो रहा है वहां पाकिस्तान को लाभ हो रहा है । अतः पटसन का निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्रालय को ध्यान देना चाहिये ।

जहां तक चाय का संबंध है स्थिति और खराब है । "अक्तूबर 1970 तक भारत से 106.3 करोड़ के मूल्य की चाय का निर्यात किया गया जबकि जनवरी–अक्तूबर, 1969 में 102.2 करोड़ रुपये चाय का निर्यात हुआ था।" किंतु इन आंकड़ो से सही तस्वीर सामने नहीं आती किंतु इसके अगले पेरे में कहा गया है कि भारत से चाय का निर्यात घट रहा है । जहां भारत में चाय का निर्यात घट रहा है उधर श्री लंका से चाय का निर्यात बढ़ रहा है । अतः यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत को चाय का

विदेशों में उतना ही निर्यात हो जितना कि 5 या 10 साल पहले होता था, और अधिक दिया जाना चाहिये ।

चाय का उत्पादन अधिकतर पूर्वी क्षेत्रों में हो रहा है और कलकत्ता में उसकी निलामी होती है लगभग 90 प्रतिशत चाय विदेशी कम्पनियों के हाथ में है किंतु यह उचित नहीं है । मैं अभी चाय उद्योग को राष्ट्रीयकरण का सुझाव नहीं दे रहा हूं किंतु इस पर सरकार को नियंत्रण करने के लिये कुछ उपाय निकालने चाहिये । अन्यथा स्थिति गम्भीर हो जायेगी और इससे विदेशी मुद्रा पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा लाखों लोगों के रोजगार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह चाय पर उत्पादन शुल्क कम करें । प्रति किलोग्राम 70 पैसे की रियायत इस समय तीन ऊपरी आसाम जिलों को ही मिल रही है, इस रियायत की अवधि 30 जून को समाप्त हो गयी है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस रियायत की अवधि को और बढ़ा दे, ताकि आसाम की चाय को अच्छा बाजार मिल सके ।

इस समय कुछ प्रोत्साहन दो तरह की रेशम अर्थात शहतूत और टसर को ही दिया जा रहा है । यह प्रोत्साहन मूंगा और अंडी को नहीं दिया गया हैं । मैं मन्त्री महोदय से अपील करता हूं कि मूंगा और अंडी के लिये भी ये सुविधायें दी जायें ।

जहां तक कपड़ा उद्योग का सम्बन्ध है यद्यपि इसे निर्यात-उद्योग कहा जाता है किन्तु ऐसा नहीं क्योंकि हमें काफी मात्रा में कपास का आयात करना पड़ता है । यदि हम वास्तव में कपड़ा उद्योग को निर्यात व्यापार उद्योग बनाना चाहते हैं, तो हमें देश में रुई उत्पादन के लिये अधिकाधिक प्रोत्साहन देना चाहिये, ताकि अधिक उत्पादन और कपड़ा-निर्यात के लिये अधिक कपड़ा मिलें स्थापित की जा सकें ।

मैं मंत्री महोदय से अपील करता हूं कि वह राजकीय व्यापार निगम के हाथ मजबूत करें, ताकि यह अधिकाधिक आयात और निर्यात व्यापार संभाल सके ।

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): दो घन्टे की इस बहस में सदस्यों ने बहुत रुचि ली है । मैं श्री शास्त्री जी की बात से सहमत हूं कि विदेश व्यापार हमारी विदेश नीति, आर्थिक नीति तथा औद्योगिक नीति का मिश्रण होता है ।

विरोधी पक्ष के सदस्यों ने भारत के पिछले साल के विदेश व्यापार की आलोचनात्मक समीक्षा है और वह इस तथ्य पर प्रसन्नता प्रकट की है कि हमारे विदेश व्यापार मे वृद्धि हुई है ।

हमारे विदेश व्यापार मन्त्रालय का प्रमुख कार्य यही है कि यह देश के व्यापार तथा निर्यात को बढ़ाये ।

माननीय सदस्य श्री एम० के० कृष्णन ने अनेक अच्छे सुझाव प्रस्तुत किये हैं तथा केरल से निर्यात होने योग्य वस्तुओं की समस्या को भी उन्होंने उठाया है । मैं नारियल और काजू उद्योग के बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता को समझता हूं ।

माननीय सदस्य श्री सी० जनार्दन ने भी काजू, रबड़ तथा नारियल उद्योगों की ओर सरकार को अधिक ध्यान देने के लिये कहा है।

13 मई को केरल का एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री से मिला था और काजू उद्योग में जो संकट उत्पन्न हो गया है उसका हल निकालने के लिये प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता व्यक्त की थी और इस मामले में रुचि प्रदर्शित की थी। 14 मई को मैं स्वयं केरल गया था। वहां एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और सम्मेलन की समाप्ति पर उद्योगपतियों ने भारत सरकार के दृष्टिकोण और केरल सरकार के दृष्टिकोण और सरकार की कठिनाईयों को अनुभव किया। वे सहमत हुए और उन्होंने एक पक्षीय वक्तव्य जारी किया कि काजू उद्योग को चालू करेंगे।

मेरी धारणा यह है कि उस राज्य में इस तरह की भावना व्याप्त है कि कम से कम कुछ अन्य काजू उद्योग खोले जाने चाहिये ताकि कम से कम कुछ और निर्धन महिलाओं को काम मिल सके

1970-71 में काफी का उत्पादन लग भग 1,10,000 मीटरी टन हुआ है जोकि पिछले उत्पादन से बहुत अधिक है। चालू वर्ष में निर्यात 439000 मीटरी टन हो जाने की आशा है। इनमें से ऐसे देशों को जो अंतर्राष्ट्रीय काफी करार के सदस्य हैं निर्यात 42,395 मीटरी टन होगा और शेष 18605 मीटरी टन अथवा इसके प्रायः बराबर निर्यात कोटा न दिये जाने वाले देशों, ईराक, कुवैत, मसकत सोमालिया और इसी तरह के अन्य देशों को किया जायेगा।

जहां तक प्राकृतिक रबड़ का संबंध है, मैं रबड़ के लिये कोई आयात लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं यह बता दूं कि भविष्य में यदि उत्पादन की गति ऐसी ही बनी रही तो हम भविष्य में भी प्राकृतिक रबड़ के लिये कोई आयात लाइसेंस नहीं देंगे। कच्चे माल का अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने से तथा उत्पादन कारखानों द्वारा आशानुसार उत्पादन न किये जाने के कारण बाजार में मंदी आ गई है। सरकार ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है तथा छोटे उत्पादकों को अधिक से अधिक राहत देने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया हैं। सितम्बर 1970 में राजकीय व्यापार निगम ने बाजार में पदार्पण किया था उस समय और इन महीनों में जो रबड़ उपलब्ध था उसका अधिकांश भाग खरीदा गया था किंतु बहुत से उत्पादन कारखानों में आया प्रतिरोध हमारे अधिकांश प्रयत्नों में रुकावट बन गया है।

राजकीय व्यापार निगम छोटे उत्पादकों की सहकारी समितियों से प्राकृतिक रबड़ खरीद रहा है तथा जहां स्थायी तौर पर उपभोग से अधिक उत्पादन हो गया है ऐसी स्थिति में मूल्यों में स्थायीत्व लाने का प्रयत्न किया गया है।

मुझे आशा है कि रबड़ का समूचा उत्पादन रबड़ के माल का उत्पादन करने वाले उद्योग प्रयोग में ला सकेंगे। मुझे यह भी कहना है कि चल रही मन्दी को समाप्त करने के लिये सरकार सम्बन्धित विभागों और उत्पादन यूनिटों के प्रतिनिधियों का एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का 12 तारीख को आयोजन कर रही है। मुझे आशा है कि इस सम्मेलन में छोटे उत्पादकों को लाभ पहुँचाने के लिये कोई न कोई समाधान ढूंढ लिया जायेगा।

चाय, रबड़ तथा कहवा के उत्पादन में वृद्धि मुख्यतः इन उद्योगों से सम्बन्धित विदेश व्यापार मन्त्रालय के अन्तर्गत इन तीन सांविधिक नियमों द्वारा प्रारंभ किये विकास कार्यों के कारण हुई है।

हमने तो पुनरारोपण, सिंचाई सुविधाओं, उर्वरकों आदि को उपलब्ध कराने सम्बन्धी योजनायों को कार्यान्वियन के लिये अपेक्षित धनराशि दी है। उत्पादन बढ़ाने तथा पौधे रोपण के लिये अच्छी किसम के माल का प्रचार लगातार किया जा रहा है । इन बोर्डों की अनुसंधान सम्बन्धी कार्यवाहियों से काफी अच्छे परिणाम निकले हैं । वास्तव में इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

माननीय सदस्य चाय उद्योग की समस्याएं और महत्व से भी परिचित हैं । 1970 में चाय का उत्पादन पिछली अवधि के उत्पादन से बहुत अधिक हुआ है । यह 4210 लाख किलोग्राम था व चाय का उत्पादन जो घट रहा था अब 1970 में उसे पूरा कर लिया गया है । 1969 में 1980 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया जबकि 1970 में यही बढ़कर 2080 लाख किलोग्राम हो गया है । विदेशी मुद्रा भी हमने अब अधिक अर्जित की है । चाय बगान वित्त योजना के अन्तर्गत जो 1962 से लागू है चालू वर्ष के बजट से चाय बागानों को दीर्घकालीन ऋण देने के लिये 28 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त 72.39 लाख रुपये की राशि किराया-खरीद योजनाओं के लिये उपकरण खरीदने के लिये भी दिये गये हैं। किराया-खरीद के आधार पर उपकरणों के सम्भरण के लिये 72.39 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । पुनरारोपण सहायता योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान के लिये भी लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके द्वारा बहुत पुराने पौधों को बदलने की व्यवस्था की गई है । हम पुनः पुनरारोपण की गति को तेज करने के लिये अब कुछ उपायों का विचार कर रहे है ।

पिछले वर्ष काजू उद्योग की स्थिति भी गम्भीर हो गई थी उसका निर्यात भी कम हो गया था किन्तु अब इस सन्बन्ध में स्थिति सुधर रही है। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग सभी काजू की मिलें खुल गई हैं तथा सरकार ने जो आश्वासन काजू उद्योग की समस्याओं के समाधान संबंधी दिये हैं उन्हें पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा । एक उच्च-स्तरीय दल सरकार ने केरल में भेजा था अब उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । सरकार ने उस प्रतिवेदन में प्रस्तुत सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया है उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे अधिक मसाला यहीं से निर्यात किया जाता है। देश और विदेश में मसाले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये इसका उत्पादन बढ़ाना चाहिये ।

नारियल जटा सहकारी समितियों को, जो धन की सहायता की कमी के कारण कमजोर होती जा रही है पुनःजीवित करने के लिये विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आशा है कि ठोस सहायता के उपाय करना सम्भव होगा । केरल सरकार ने एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है, जिसमें 15.99 करोड़ रुपया खर्च हो सकता है । योजना आयोग के अध्ययन दल ने इस पर विचार किया और इसकी पूरी जांच की है और उसने काफी तर्क प्रस्तुत किये हैं कि आखिरकार समूची योजना को लगभग 7 करोड़ रुपये से पूरा किया जा सकता है । विदेश व्यापार मन्त्रालय इस सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन बुला रहा है ।

मैं अनुभव करता हूँ कि इस सम्मेलन के पश्चात हम कुछ ऐसी प्रभावकारी सहायक योजनाएं तैयार कर सकेंगे जिनसे केरल में नारियल जटा उद्योग में कार्य करने वाले लाखों कर्मचारियों की कठिनाईयों को कम किया जा सके ।

मछली पकड़ने के क्षेत्रों में मछलियों का अधिकाधिक पता लगाने और मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों का विद्युतीकरण करने और मछलियों को सुखाकर विदेशों को भजने की सुविधाओं का विकास करने के बारे में उचित उपाय करने के लिये समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित करने का भी विचार है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के काम को प्रोत्साहन देकर तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये आवश्यक नौकाओं और उपकरणों के आयात की अनुमति देकर इस बात पर बल दिया जायेगा कि अधिकाधिक मात्रा में मछलियां पकड़ी जायें।

समुद्री उत्पाद उद्योग को भी एक ऐसा उद्योग मान लिया गया है जिसमें विदेशी सहयोग की अनुमति दी जा सकती है।

रेशम का उद्योग ऐसा है जिसमें रोजगार सम्बन्धी सम्भावनायें बहुत हैं जहाँ तक प्राकृतिक रेशम का सम्बन्ध है हम उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ताकि बढ़ते हुए निर्यात के लिये उसे उपलब्ध किया जा सके। 1971 से रेशम के उत्पादन में वृद्धि होने तथा साथ-साथ निर्यात में कमी होने के कारण रेशमी फोंमों और कच्ची रेशम के मूल्य में काफी मंदी आ गई है। सरकार इस समस्या के प्रति सजग है तथा इस बारे में उद्योग के लिये एक कच्चा माल बेंक बनाने की योजना पर विचार कर रही है।

जहाँ तक टसर रेशम का सम्बन्ध है सरकार इस सम्बन्ध में बढ़िया किस्म के टसर धागे के उत्पादन के लिये निश्चित प्रयत्न करेगी।

अभ्रक के खनन, निर्यात तथा अभ्रक उत्पादकों को बढ़ावा देने के हेतु उपाय सुझाने के लिये सरकार द्वारा गत वर्ष एक अभ्रक सलाहकार समिति गठित की गई थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है, जिसमें अभ्रक के निर्यात, विशेषतया निर्माण उद्योग स्थापित करने, न्यूनतम मूल्यों तथा निर्यात शुल्क का पुनरीक्षण करने के बारे में अनेक सिफारिशें की गई हैं। इन सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय की सलाह से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा हमें आशा है कि हम शीघ्र ही कोई सन्तोषजनक व्यवस्था कर सकेंगे।

इस ससय खालों तथा कुरम चमड़े का निर्यात लगभग 65 करोड़ रुपये का होता है। हमारा प्रयास यह है कि तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल के निर्यात को बढ़ाया जाये तथा इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चमड़ा रंगने की सामग्री तथा रसायनों का आयात करने के लिये उदारतापूर्वक लाईसेंस दिये जा रहे हैं। तथा चमड़े के तैयार माल के निर्यात में भी सहायता दी जा रही है।

भारत सरकार ने तीसरे एशियाई मेले को, जो कि वर्ष 1972 के अन्त में होगा, भारत में करने की अनुमति दे दी है। इस परियोजना के लिये कुल 2,785 करोड़ रुपये की राशि मन्जूर की गई है।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : The import of agricultural products such as food grains, oilseeds and cotton has increased and as a result of it, our agricultural economy is being adversely affected. The increase in the import of the agricultural commodities is the outcome of a conspiracy between the dealers, capitalists, and Government officials.

The import of cotton has affected adversely the cotton growers of Vidarbha. They are in a deplorable position. The cotton growers are not given fair prices.

When the cotton is brought to the market at the season time, the prices of cotton are reduced. Thus causing loss to them. The Government should take over the responsibility of purchase of cotton on themselves and the prices thereof should be fixed.

P. L. 480 Agreement under which we import cotton from U. S. A. It is only in the interest of the capitalists there. This Agreement is against the interests of this country.

The condition of the handloom weavers is pitiable. The Central Government have issued instructions to the Government of Maharashtra that Coloured dhotis should be manufactured only in the handloom Sector. But in spite of these instructions, coloured dhotis are being manufactured by Power looms. The handloom weavers are Facing difficulties as a result thereof. Government should pay attention to this matter.

Price of cotton should be fixed. The Government had appointed Dr. Ghatge Committee which had recommended that Govt. should take over cotton trade particularly the purchase of cotton. Moreover the cost involved would not be very high. In Maharashtra alone cotton trade involves 200 to 250 crores of rupees and this business requires 40 to 50 crores of rupees in cash. The trader obtains money from the Bank and invests it in some other business instead of using it for purchasing cotton from the agriculturist and as a result the agriculturist suffers while cotton is imported from U. S. A. under P. L. 480.

The condition of agriculturist particularly in Vidharbha who grows cotton in the country. We should spend something on him also. Capital invested in other crops gives remuneration only after 5 to 10 years whereas Capital invested in agriculture adds to our national production within a year or two.

The condition of handloom workers should also be taken into consideration. They do not have any business. The Asoka Mehta Committee had been appointed to look into this matter. The Committee had recommended that coloured Sarees should be prepared only on handlooms and the Central Government accordingly instructed the State Governments in this regard. But the situation has remained unchanged.

Shri Ram Sahai Pandey (Rajnandgaon) : I support the demands for grants of the Ministry of Foreign Trade. Mr. Mishra is handling this Ministry very well and the turnover in this trade has increased by 144 crores of rupees.

{ श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए }
{ Shri K. N. Tiwari *in the Chair* }

We would be unable to compete with the world if only traditional goods are exported. We can learn a lot from Japan who has made tremendous progress. We should import raw materials and their export in the processed form can be a good source of foreign exchange. Cotton is one of such raw materials and we should give considerable attention to it. And then the cost of production has a vital role to play in the matter of export. The cost of production should be minimized. Secondly export price should be lesser than the internal price.

Moreover, there should be proper Co-ordination in the Ministry of finance. Although entitlement is a good incentive for export, yet the payment procedure is not faultless. The concerned man does not get payment in time.

Another regrettable aspect of the matter is the sick mills. These mills are taken-over by the Government under the Industrial Regulations and Development Act. The Mill-owners cheat the Government in a very clever manner. They would devour all the money and then skeleton is handed over to Government who in turn invest huge funds and the mill when it becomes profitable is again entrusted to the original mill owner. It was so in the case of United India Mills. Then again the same mill starts running in loss. During the Fourth Five Year Plan, 17 crores of rupees have been provided for sick mills. But this thing encourages these black marketers to befool the Government. The Government should take over these mills not for a periord of 15 years but the object should be to run them efficiently. The tax payer's money should be spent for the betterment of workers and for the moderenisation of mills.

Now I come to the anciliary industry. This industry is run on small scale basis and is very popular in Ludhiana and Bombay. These types of industries cater to the needs of the poor. Worn out clothes from affluent countries provide raw material for this industry and thirty thousand workers are provided with employment by it. The Textile Commissioner has recommended that three crore and twenty five lakhs of rupees should be provided to this industry for importing the raw material. This recommendation should be accepted and efforts should be made to make it an export oriented industry so that it may help in earning the foreign exchange.

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव (बेल्लारी) : मैं कुछ आर्थिक विषयों पर बोलना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं विदेश मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात से संतोष है कि यह मंत्रालय अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है। अभी कुछ समय पहले तक हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि की दर 4.1 प्रतिशत थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में वृद्धि की दर बढ़ कर 22 प्रतिशत हो गई और चौथी योजना के अन्त में यह दर 21 प्रतिशत हुई जबकि पिछले वर्ष 1970-71 के दौरान यह दर 8.3 प्रतिशत रही। हमारे लिए यह नितान्त आवश्यक है कि निर्यात व्यापार में वृद्धि की दर न केवल 8 से 9 प्रतिशत तक बनी रहे बल्कि यदि संम्भव हो तो इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं योजना आयोग के इस विचार से सहमत नहीं की 1980-81 तक वे 3020 करोड़ रुपये का निर्यात कर सकेंगे क्योंकि 1968-69 में ऋण के रूप में ली गई राशि के लिए 277 करोड़ दिये जाने थे। 1980-81 में तो यह राशि 650 करोड़ रुपये हो जायेगी।

मैंने शीघ्रता से कुछ आंकड़े निकाले हैं और मेरा विचार है कि 1980-81 तक 580 करोड़ रुपये की राशि अतिरिक्त होगी फिर भी मैं समझता हूं कि योजना आयोग कुछ अधिक आशावादी है। हमें निर्यात व्यापार में वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयत्न करना चाहिये।

माननीय मंत्री ने मंत्रालय में 8 या 9 विभाग बनाये हैं। यह अच्छी बात है, विशेषकर योजना सम्बन्धी नीति प्रभाग बनाये जाने का मैं स्वागत करता हूं। एक बहुत कुशल आर्थिक विशेषज्ञ

मंत्री महोदय को सहायक के रूप में प्राप्त हो गया है जिन्हें "अन्कटाड" का भी अनुभव है, मैं इस के लिए उन्हें बधाई देता हू ।

मेरे विचार में नीति आयोजन विभाग से मंत्री महोदय को बहुत सहायता मिलेगी और यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमें प्राथमिक सम्बन्धी साधारणीकृत योजना से सर्वाधिक लाभ मिल सके ।

बड़ी खुशी की बात है कि व्यापार विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है । यदि हमने उचित ढंग से काम किया तो यह निर्यात व्यापार बढ़ाने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है ।

कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है । नई निर्मित वस्तुओं की ओर इतना अधिक ध्यान देना उचित नहीं होगा । निर्यात बढ़ाने के लिये हमें स्वाभाविक लाभ सम्बन्धी सिध्दान्त पुनः अपनाना चाहिये । विदेश व्यापार में प्रवेश करने से पूर्व हमें यह देखना चाहिये कि किस क्षेत्र में हमें अधिक लाभ हो सकता है ।

मंत्री महोदय जानते हैं कि कुछ समय से मैं यह कह रहा हूं कि हमें केले जैसे फलों का निर्यात करना चाहिये। चार या पांच वर्ष पहले मैंने फूलों का निर्यात करने के लिये कहा था। मुझे खुशी है कि मंत्रालय इस सुझाव पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है और वह गुलाब के फूलों का निर्यात करने की कोशीश कर रहा है । विश्व के पश्चिमी देशों को यदि एक बार चमेली के फूल के महत्व का पता चल जाये और हम इसके निर्यात की तकनीकी समस्या को हल कर ले तो हमें लाखों डालर की आय हो सकती है। इज्राइल लाखों डालर मूल्य के नीबूं का निर्यात करता है। हमें भी नीबूं का निर्यात करना चाहिये । हम केले का निर्यात भी इतना नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिये। हम अभी तक सभी तकनीकी समस्याओं को भी हल नहीं कर सके हैं ।

सब्जियों के निर्यात के बारे में भी मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । पश्चिमी देशों में लोगों की रूचि अपनी वस्तुओं में कम होती जा रही है । पश्चिमी देशों में सब्जिया बहुत ही कम किस्म की होती है और हमारे यहां संसार के कीसी भी देश से अधिक प्रकार की सब्जियां होती हैं। हमें विभिन्न प्रकार की भारतीय सब्जियों का निर्यात करना चाहिये ।

हमें विश्व की मुख्य मुख्य राजधानियों में बहुत संख्या में भारतीय भोजनालय खोल देने चाहिये और वहां भारत भवन स्थापित करने चाहिये जहां भारतीय माल की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाये और एक ऐसा भोजनालय खोला जाये जहां आधुनिक पश्चिमी लोगों को हमारी विभिन्न प्रकार की सब्जियों, गरम मसालों आदि का प्रयोग करने की शिक्षा दी जाये। मंत्री महोदय को न्यूयार्क, टोकियो, लन्दन जैसे बड़े बड़े शहरों में विशाल भारत भवन खोलने के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

हम प्रायः विदेशी निर्माताओं के साथ सहयोग करते हैं । अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने के लिये हमें विदेशी वितरकों का सहयोग प्राप्त करना चाहिये । कुछ देशों में वितरण पर एकाधिकरण अथवा अर्ध एकाधिकार है । जब तक हम अपने निर्यात के लिये विदेश वितरण व्यवस्था पर अपना प्रभाव नहीं जमायेंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे । अतः हमें सुप्रसिद्ध वितरकों के साथ सहयोग करना चाहिये । हम विश्व के बड़े बड़े वितरकों के कुछ प्रतिनिधि मंण्डलों को आमंत्रित कर सकते हैं । हम ब्रिटेन, फ्रांस, सयुंक्त राज्य अमरीका, जर्मनी आदि देशों की बड़ी बड़ी वितरण फर्मों को आमंत्रित कर सकते हैं ।

निर्यात व्यापार के मामले में मित्र देशों से सहयोग करने की बात काफी वर्षों से चल रही है। हमें विदेशों की बड़ी बड़ी सस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिये। हम अपने यहां के कार्य-कौशल और माल को उनके कार्य-कौशल और माल के साथ मिला सकते हैं। इस प्रकार हम अपने निर्यात व्यापार को बढ़ा सकते हैं।

लेटिन अमरिका के साथ हमारा व्यापार बहुत ही कम होता है। हमें लेटिन अमरीकी बाजार और उन देशों की मांग का अध्ययन करने, के लिये अपने विशेषज्ञों का एक छोटा व्यापार शिष्टमण्डल वहां भेजना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं मत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

Shrimati Subhadra Joshi (Chandni Chowk) : It is gratifying to note that there has been an overall improvement in our foreign trade. Foreign trade is of considerable importance for the growth of our economy.

It is right that progress achieved by us in foreign trade so far is a matter of attributable to our agreement with Great Britain. But Great Britain's proposal to terminate the agreement should not worry us. It will prove good for us in the long run. It has afforded us an opportunity to quit Commonwealth, break off our ties of slavery.

I wish to congratulate, the Hon'ble Minister for his success in boasting our trade with East European countries. We should strengthen our ties with G. D. R. It will help us in our trade. We should give recognition to that country.

It is essential to make a study of foreign markets. Our diplomatic missions should study the condition of foreign markets and send their reports so that we may take steps to promote our foreign trade.

Our public sector agencies engaged in trade like the State Trading Corporation should keep the small entrepreneurs to get proper price for their products. A large number of small entrepreneurs are engaged in the manufacture of leather shoes in Delhi. Shoes prepared by them are purchased by traders at a very low price and sold at much higher price. STC should help such people in getting proper price for their products.

The Government should take over sick mills permanently. It is not proper to spend money on modernising the sick mills and then return these mills to the owners.

The Jan Sangh has recently passed a resolution suggesting that import licences should be auctioned. It is a very dangerous policy. The Minister should be aware of such slogans.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : यह सही है कि मेनचेस्टर, लिबरपूल और अन्य स्थानों में कपड़ा उद्योग में घाटा हो रहा है और लोग बेरोजगारी के शिकार होते जा रहे हैं और इसी कारण वहां पर भारी संकट है। किन्तु हमारे देश के संकट की तुलना में वहां पर संकट कुछ भी नहीं है। इस स्थिति का सामना करना ब्रिटेन का काम है, हमारा नहीं उन्हें ही हल निकालना पड़ेगा। माननीय मंत्री ने व्यापार समझौते को समाप्त करने के बारे में ब्रिटेन के प्रस्ताव के बारे में बहुत सही और निर्भीक कदम उठाया है।

खादी के मामले में हम कपड़ा उद्योग की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे खादी देखने में सुन्दर और रंग और डिजाइन आदि में बढ़िया लगे। यूरोप के बाजारों में महीन कपड़े को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। वहां पर मोटे कपड़े का अधिक महत्व है। कपड़ा मोटा होना चाहिये और अच्छा होना चाहिये। ऐसा माल वहां जल्दी बिकता है। इस बात को ध्यान में रखना होगा।

निर्यात संवर्धन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माल किस किस्म का है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निर्यात किये जाने वाले माल का गुण प्रकार स्वीकृत नमूने के अनुरूप होना चाहिये।

पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति में हम लाभ नहीं उठाना चाहते। किन्तु चाय और पटसन के मामले में दक्षिण अमरीका और श्रीलंका पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति का लाभ उठायेंगे। हमें आवश्यक उपाय करना चाहिये ताकि हम इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा सकें।

मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया (नन्दयाल) : हमारे विदेश व्यापार को नई परिस्थितियों के अनुसार एक नई दिशा देकर मंत्री महोदय ने एक सराहनीय कार्य किया है। इस प्रतिवेदन को देखने से हमें पता चला है कि गत वर्ष की तुलना 8 हमारे निर्यात में 10.5 प्रतिशत वृध्दि हुई है और आयात में 6 प्रतिशत कमी हुई है। खाद्यान्नों के आयात में लगभग 22.7 प्रतिशत कमी हुई है और रसायनिक खाद के बारे में कमी 42.1 प्रतिशत हुई है। इससे स्पष्ट है कि आयात को कम करने में हमें काफी सफलता नहीं मिली है। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में हमारा देश आत्म निर्भर होने का प्रयत्न कर रहा है।

तम्बाकू का निर्यात गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है जिसके कारण न केवल सरकार की अपितु कृषकों को भी भारी हानि हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और एक तम्बाकू निगम अथवा तम्बाकू बोर्ड स्थापित करना चाहिये।

हमें अपने कृषि-उत्पादों का निर्यात भी करना चाहिये। अब कृषि का कार्य केवल देश की अर्थ-व्यवस्था को जीवित रखना ही नहीं है। हमारी 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। हमें इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये कृषि-उत्पादों का निर्यात भी आरम्भ करना चाहिये।

हमारे देश में विशेष रूप से गुजरात और केरल में बहुत सुन्दर समुद्र तट है जहां पर कई प्रकार की मछलियां उपलब्ध हैं। जिनका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। परिष्करण उद्योग को भी इस उद्योग के साथ प्रगति करनी होगी। हम परिष्करण और विपणन की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से समुचित विकास नहीं हो रहा है। उत्पादन, परिष्करण और विपणन सभी एक साथ होना चाहिये। विश्व की मंडियों में होड़ लगी हुई है। सौविज्ञता, दक्षता, कार्य-कुशलता, विपणन तथा परिष्करण अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में हमारा विशेष स्थान बनाने में अत्यधिक सहायक सिध्द होंगे।

खादी की ओर हम अपनी स्वाधीनता की लड़ाई के दौरान बहुत ध्यान दिया करते थे। खादी उद्योग से ग्रामों में पददलित वर्ग के लोगों को रोजगार मिलता है। इस उद्योग के उत्पादों को निर्यात

करने की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। विदेशी मंडियों में खादी उत्पादों की बहुत मांग है। हमें इस स्थिति से लाभ उठाकर अपने डिजाइनों में निरन्तर सुधार करते रहना चाहिये ताकि हम इन मंडियों में अपना प्रभाव जमाये रखें।

खुशी की बात यह है कि हमारे यहां एक रुई निगम स्थापित किया गया है। इस निगम को अधिक से अधिक लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये ताकि हम सूडान और मिश्र पर निर्भर न रहें। इस कार्य के लिये विदेश व्यापार मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के बीच तालमेल होना जरूरी है।

इसके अतिरिक्त प्याज और मिर्च जैसी वस्तुओं के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिये। इस व्यवसाय में हजारों लोग लगे हुए हैं। किसी समय मिर्च की श्रीलंका में काफी मांग थी। हम अन्य देशों को भी इसका निर्यात करते हैं। अब इस व्यापार की स्थिति डांवाडोल सी हो गई है और छोटे किसान इन वस्तुओं की उपज करने में कुछ खतरे का अनुभव करते हैं। इसका मूल्य निश्चित किया जाना चाहिये ताकि और अधिक किसान इस व्यवसाय को अपना सकें।

हमें फलों और फल-उत्पादकों के विकास के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। उदाहरणार्थ, टमाटर बहुत बड़ी मात्रा में उगाये जाते हैं। हम मुरब्बों तथा जैली का अधिक उत्पादन कर सकते हैं। चूंकि ये खराब होने वाली वस्तुयें हैं, इसलिये यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन्हें किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जा सकता है, अनुसंधान करना होगा।

हम विभिन्न देशों को लौह अयस्क भारी मात्रा में निर्यात करते हैं। कुछ दिन पूर्व इस्पात मंत्री ने कहा था कि देश में प्राय: प्रति वर्ष एक इस्पात कारखाना खोला जायेगा। अत: हमें इस बहुमूल्य अयस्क का अन्धाधुन्ध निर्यात नहीं करना चाहिये।

चाय और पटसन जैसी परम्परागत वस्तुओं के सम्बन्ध में श्रीलंका के साथ चल रही हमारी प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे सामने बहुतसी कठिनाइयां उपस्थित हो गई हैं। अत: हमें श्रीलंका के साथ कोई समझौता कर लेना चाहिये जिससे हमारी परम्परागत वस्तुओं को बाजार मिल सके। जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, पटसन की वस्तुओं के स्थान पर अब संश्लिष्ट वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ हो गया है। इसका पटसन बाजार पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अत: पटसन बाजार की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अनुसंधान तथा डिजाइन विभागों को अभी से काम शुरू कर देना चाहिये। मंत्रालय को और अधिक पटसन मिल स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करते समय इस पहलू पर भी विचार करना चाहिये।

श्री वरके जार्ज (कोट्टायम): देश के विदेश व्यापार का 10 प्रतिशत व्यापार केरल द्वारा होता है। यह सफलता हमने केरल के स्वयं के कतिपय उत्पादों द्वारा ही प्राप्त की है। परन्तु सरकार इन उत्पादों की ओर उचित ध्यान नहीं दे रही है। आज केरल का रबड़ उत्पादन उद्योग संकटग्रस्त हो चला है। गत कुछ वर्षों से रबड़ का प्रति एकड़ उत्पादन 400 पौंड से बढ़कर 800 पौंड तक हो गया है। वर्ष 1970-71 के उत्पादन और खपत के आंकड़े इस प्रकार हैं: उत्पादन 92171 मीटरी टन तथा खपत 87227 मीटरी टन।

{ श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare *in the Chair* }

इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्पादन में प्रगति की दर बनाये रखने से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन की स्थिति में प्रतिवर्ष सुधार होता रहेगा ।

रबड़ बोर्ड द्वारा दिये गये आंकड़ों के बारे में कुछ सन्देह है । मेरा सुझाव है कि छोटे उत्पादकों के उत्पादन के बारे में एक स्वतन्त्र सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये । कुल सप्लाई में इनका योगदान उससे कहीं अधिक हो सकता है जितना कि बताया गया है ।

वर्ष 1970 में सांविधिक रूप से रबड़ के मूल्य अधिसूचित किये गये थे तथा आर. एम. ए. I प्रकार की 100 किलोग्राम रबड़ के लिए 520 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया था। कोट्टायम में गैर-सरकारी बाजार मूल्य अधिसूचित मूल्य से कहीं कम था । मूल्य कम होने का कारण यह बताया गया था कि निर्माताओं की मांग से स्टाक कहीं अधिक था तथा उत्पादक अपनी उपज को अपने पास रखने में समर्थ नहीं थे । मूल्यों में तब तक सुधार नहीं किया जा सकता, जब तक कि स्टाक को चालू मांग के बराबर न लाया जाये । सरकार ने राजकीय व्यापार निगम को आदेश दिया था कि वह सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे उत्पादकों से माल खरीदे तथा स्टाक जमा न होने दे । निगम के पास पहले ही काफी मात्रा में स्टाक है और यदि वह निर्माताओं को इस समय स्टॉक बेच देता है तो इसका अर्थ यह होगा कि उसका कार्य एक व्यापारी जैसा है और उससे केवल निर्माताओं का ही हित सिद्ध होगा ।

अत: राजकीय व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई रबड़ निर्माताओं को नहीं दी जानी चाहिये । वर्तमान स्थिति में सरकार को 10,000 मीटरी टन रबड़ का निर्यात करने का विचार करना चाहिये । यदि आन्तरिक मूल्यों तथा निर्यात मूल्यों के बीच अन्तर को राज सहायता द्वारा पूरा किया जाता है, तो भी स्टाक को जमा रखने, स्टाक के खराब होने तथा एक बड़ी क्रय संस्था स्थापित करने पर फिज़ूल धन खर्च करने से जिससे रबड़ की लागत में वृद्धि होगी, यह कहीं बेहतर होगा ।

1970 के दौरान भारत में चाय का कुछ उत्पादन 4210 लाख किलोग्राम था जो कि एक रिकार्ड है । चालू वर्ष में 1970 के रिकार्ड उत्पादन से भी अधिक उत्पादन होने की आशा है । चाय हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने वाली सबसे बड़ी वस्तुओं में से एक वस्तु है । हमारे देश की चाय के साथ लेटिन अमरीका तथा अफ्रीका में उत्पादित चाय की भारी प्रतियोगिता चल रही है । इन देशों में चाय का उत्पादन बहुत कम लागत में होता है। फिर भी यह सन्तोषजनक है कि गत वर्ष और चालू वर्ष में चाय के निर्यात में वृद्धि हुई है । इसका कारण यह है कि मारिशस समझौते के अनुसार हमने 1970 में 2100 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया है । प्रश्न अब यह है कि यह वृद्धि किस प्रकार जारी रखी जा सकती है अथवा बनाई रखी जा सकती है ।

भारतीय चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क लगता है । चाय पर छूट देने की योजना से साधारण किस्मों की चाय को, जो कि हमारे कुल उत्पादन का 65 प्रतिशत है, कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि यह छूट तभी दी जायेगी जब जहाज के खर्च को मिलाकर चाय का मूल्य 5.25 रुपये

प्रति किलोग्राम अथवा इससे अधिक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि घटिया किस्म की चाय पर, जिसका निर्यात होगा, पूरा उत्पादन-शुल्क देना होगा। इसके साथ-साथ इस छूट को 75 पैसे प्रति किलोग्राम तक सीमित कर दिया गया है तथा इससे चाय की उन किस्मों के निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिनके लिए प्रति किलोग्राम 7.25 रुपये से अधिक मूल्य प्राप्त होता है ।

अत: मेरा सुझाव है कि इस छूट को व्यापक बनाया जाये तथा चाय की उन किस्मों पर भी छूट दी जाये जिनका मूल्य 5.25 रुपये प्रति किलो से कम तथा 7.35 रुपये प्रति किलो से अधिक हैं। इससे एक ओर तो साधारण चाय उत्पादकों को राहत मिलेगी और दूसरी ओर बढ़िया चाय पैदा करने वालों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर एक बहुत बड़ा आन्तरिक बाजार है और जिसके स्थायी निर्यात बाजार हैं। यदि हमें बढ़ती हुई घरेलू मांग की पूर्ति करनी है और निर्यात भी करना है तो हमें उत्पादन में कम से कम 3 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि करनी होगी। मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए हमें अगले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष 145 लाख किलोग्राम अतिरिक्त उत्पादन करना होगा।

उत्पादकों को पुनर्रोपण राज सहायता के रूप में इस समय जो प्रोत्साहन उपलब्ध हैं, वे सर्वथा अपर्याप्त हैं। बहुत से उत्पादक उन क्षेत्रों से बागान उखाड़ कर, जिनमें उत्पादन हो रहा है, चाहे उपज कितनी ही कम क्यों न हो, वहां पुनर्रोपण करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि कई अन्य उपाय हैं, जिनके द्वारा सन्तोष जनक ढंग से विकास किया जा सकता है । ये इस प्रकार हैं:—

(1) आयकर अधिनियम की धारा 33 क के अन्तर्गत पुनर्रोपण विकास छूट, जो गत वर्ष भूल-चूक के कारण व्यपगत हो गई थी, पुन: आरम्भ की जानी चाहिये।

(2) चाय की बागान आस्तियों पर उसी सिद्धांत पर मूल्यह्रास छूट दी जानी चाहिये, जिस सिद्धांत पर रबड़ पर दी जाती है।

(3) पुनर्रोपण पर राज सहायता को बढ़ाकर कम से कम उतनी किया जाना चाहिये जितनी श्रीलंका में दी जाती है। ताकि उद्योग संसाधनों की कमी को शीघ्र दूर कर सके।

(4) चाय बागान के लिए उपयुक्त भूमि तथा वर्तमान सम्पदाओं के साथ मिली हुई भूमि का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये तथा उसे विस्तार अथवा पुनर्रोपण की योजनाओं के अन्तर्गत लाना चाहिये ।

इन उपायों को अविलम्ब अपनाया जाना चाहिये अन्यथा भारत एक महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता देश नहीं रहेगा।

समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि केरल के समुद्र तटीय जल का, जिसमें विश्व के कुछ सुप्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र भी हैं, विकास करने से मत्स्य उद्योग के अत्यधिक विकास की गुंजाइश है । तट से दूर के पानी से वाणिज्यिक लाभ उठाया जा सकता । इन संसाधनों को जुटाने से काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, भारी आय होगी और विदेशी मुद्रा कमाई जा सकेगी। देश में मत्स्य निर्यात में केरल का तीसरा स्थान है । परन्तु वहां पर वर्तमान परिस्थितियों में उद्योग अधिक

प्रगति नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर गहरे संमुद्र में मछली पकड़ने के लिए जालपोतों की कमी है और पर्याप्त क्षमता वाले समुद्री डीजल इंजन नहीं हैं। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उसे मशीनरी तथा मछली पकड़ने के लिए जालपोत आयात करने के लिए लाइसेन्स देने सम्बन्धी नीति को उदार बनाना चाहिये। इस उद्योग पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये।

कोचीन बन्दरगाह के बारे में मेरा यह सुझाव है कि एक निर्बाध बनाया जाना चाहिये। सरकार को इस प्रस्ताव की व्यावहारिकता के बारे में अध्ययन कराना चाहिये।

Shri Shrikishan Modi (Sikar) : Mr. Speaker. Sir, the demand for sand stone in foreign countries is increasing day by day. It is a raw material for many industries. India is the second largest producer of sand stone. 95 per cent of our sand stone is produced in Rajasthan.

The Government give incentive on the export of superior quality sand stone, for which there is a great demand in the foreign market. As regards inferior quality sand stone, the Government has imposed an export duty. This adversely affects the export of this sand stone, because after paying this duty it is difficult to compete with other countries in the international market. The Government should look into the matter and take suitable steps to step up export of sand stone.

Export of iron ore produced in Rajasthan has been held up for the last eight years. Czechoslovakia and Yugoslavia used to purchase this iron ore. But on account of the closure of Suez canal they have to pay more on the transport of this iron ore which does not suit countries. M. M. T. C. can help in this matter by giving necessary concessions. The export of this iron ore will earn valuable foreign exchange for the country.

Sileminite of good quality is found in Assam. But its export has been banned. Sileminite for domestic consumption is available in Rajasthan and Madhya Pradesh. The Government should allow export of siliminite found in Assam. In this way we can earn a lot of foreign exchange.

There are a number of minerals, like glass-stone, dolomite and lime stone fund in Rajasthan, but they cannot be exported. Lakhs of tonnes of silica sand can be exported to Japan. It was in great demand in Japan during past years. These minerals must be cheap. The Government should make a proper study in this regard and take suitable measures to help in the export of these minerals.

†**श्री के० सूर्यनारायण** (एलूरू) : अध्यक्ष महोदय, मुझसे से पहले कुछ सदस्य सरकार से यह मांग कर रहे थे कि चाय बोर्ड, कहवा बोर्ड, की तरह एक तम्बाकू बोर्ड भी स्थापित किया जाये। ऐसा बोर्ड स्थापित न करने के कारण नहीं बताए गये हैं। जब हम इस सम्बन्ध में कृषि विभाग से बात करते हैं तो वे हमें विदेश व्यापार मंत्रालय से बात-चीत करने के लिए कहते हैं।

†तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

† Summarized translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उद्योग से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है और इससे बहुत से कृषकों तथा श्रमिकों को आजीविका प्रदान हो रही है। यद्यपि सर्वसम्मति से एक राय यह है कि वहां पर एक तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की जाये, तथापि सरकार इस बोर्ड की स्थापना नहीं कर रही है। यह आश्चर्यजनक है। हमारे यहां कहवा बोर्ड और चाय बोर्ड हैं। इनका गठन अंग्रेजों ने किया था। इस सम्बन्ध में सरकार के रवैये पर मुझे आश्चर्य है। सरकार देश में तम्बाकू उत्पादकों के कल्याण, लाभ और प्रगति के लिए नई संस्थाएं स्थापित नहीं कर रही है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सरकार तम्बाकू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देती है, परन्तु उसके बाद किसानों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती।

किसानों को इस फसल के लिए बाजार ढूंढने में कठिनाई हो रही है। अंग्रेजों ने हमारे देश में तम्बाकू का उत्पादन शुरू किया था क्योंकि यहां का तम्बाकू सस्ता पड़ता था। अब प्रतियोगिता काफी अधिक है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार नये बाजार तैयार करे।

तम्बाकू उद्योग में आज दो बड़े उत्पादकों के बीच आन्तरिक विरोध चल रहा है। दोनों ही कम्पनियाँ देशी कम्पनियां होने का दावा कर रही हैं। बेहतर होता यदि सरकार इस पारस्परिक विरोध का समाप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र में अपना ही एक कारखाने की स्थापना के लिए अपेक्षित पूंजी का 50 प्रतिशत स्वयं लगा दे तो शेष 50 प्रतिशत तम्बाकू उत्पादक लगा देंगे। सरकारी क्षेत्र का यह कारखाना देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा कमायेगा और इस प्रकार तम्बाकू उत्पादकों की भी सहायता करेगा।

हमारे देश में लाखों लोग हथकरघा उद्योग पर निर्भर करते हैं। अब विद्युतचालित करघा उद्योग चालू होने से उन पर भारी कुप्रभाव पड़ा है। प्रत्येक विद्युतचालित करघे के पीछे कम से कम 20 व्यक्तियों को अपनी जीविका से हाथ धोना पड़ा है। इस उद्योग को समुचित प्रोत्साहन न देने के कारण बुनकरों में जो अत्यधिक बेरोजगारी फैल गई है। इसके बारे में सम्भवतः सरकार को पता नहीं है। स्थिति इतनी गम्भीर है कि यदि उनकी समस्याओं का तुरन्त समाधान नहीं किया जाता तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे। हथकरघा बुनकरों की सहायता हेतु कदम उठाये जाने चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश में जिन चार पटसन मिलों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, उनमें से एक एलूरू नामक स्थान पर स्थापित की जानी चाहिये, जहां इस प्रकार के कारखाने की स्थापना के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उललब्ध हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकातम्मा (खम्मम) : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें अपने माल के निर्यात को काफी बढाना है। हमारे दूतावासों को भी चाहिये कि इस सम्बन्ध में सहयोग दें और विदेशों में हमारे दूतावासों के आर्थिक अनुभागों में योग्य व्यापार-प्रबन्धक होने चाहिये। हमारे विदेश व्यापार में सरकारी क्षेत्र को भी अधिकाधिक भाग लेना चाहिये। हमें यह भी देखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के उत्पादन के कुछ भाग का निर्यात भी किया जाये ताकि इन उपक्रमों की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी हो जायें।

पटसन, सूती कपड़ा, मैंगनीज अयस्क, अभ्रक आदि वस्तुओं पर निर्यात-शुल्क लगाने के कारण वे विश्व बाजार में प्रतियोगिता में नहीं रह पा रही हैं। घटिया किस्म के मैंगनीज अयस्क का आन्ध्र प्रदेश से निर्यात किया जा रहा है क्योंकि यह आन्ध्र प्रदेश के इस्पात संयंत्रों के लिए उपयोगी नहीं रहा है। चूंकि इस पर 13 प्रतिशत निर्यात-शुल्क लगाया गया है, इसलिए हम अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिक नहीं पा रहे हैं और धीरे-धीरे हमारा निर्यात कम होता जा रहा है। मेरे विचार में निर्यात को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये।

आन्ध्र प्रदेश तम्बाकू के सबसे बड़े उत्पादक प्रदेशों में से एक है। देश में जितना तम्बाकू पैदा होता है उसका 95 प्रतिशत तम्बाकू आन्ध्र प्रदेश में पैदा होता है और इसका 85 प्रतिशत तम्बाकू निर्यात किया जाता है। अगस्त, 1970 में आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से एक तम्बाकू बोर्ड स्थापित करने का अनुरोध किया था जिसका मुख्य-कार्यालय हैदराबाद में होना चाहिये। नवम्बर 1970 में भारत सरकार इस अनुरोध पर विचार करने के लिए सहमत हो गई थी। परन्तु इस संबंध में हमेशा की तरह मतभेद था। कृषि मंत्रालय ने यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया और इस मंत्रालय ने भी यही निर्णय किया कि यह प्रस्ताव रद्द कर दिया जाये। इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा तम्बाकू बोर्ड आवश्यक है।

श्रीकाकुलम और विशाखापटनम में मस्था पटसन का बहुत उत्पादन होता है। चूंकि वर्तमान मिलों की प्रतिस्थापित क्षमता पर्याप्त नहीं है, इसलिए तीन या चार मिलों के खोलने की आवश्यकता है। एक समिति ने मामले पर विचार किया है और सरकार के पास ये सभी आंकड़े मौजूद हैं।

श्रीकाकुलम में पटसन की लगभग 3 लाख गांठों का उत्पादन होता है। यहाँ पर पैदा किया जा रहा कच्चा माल दूसरे प्रदेशों को भेजा जा सकता है। राज्य सरकार इस बात का अनुरोध करती आ रही है कि वहां पर पटसन की कुछ और मिलें स्थापित की जायें।

पूर्वी जर्मनी से लगभग दो हजार ट्रैक्टरों का आयात किया गया था। लगभग 400 ट्रैक्टर आन्ध्र प्रदेश को दिये गये थे। ये ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे हैं। पूर्वी जर्मनी की सरकार से इन ट्रैक्टरों को वापस लेने और उनमें सुधार करके वापस भेजने के लिए कहा गया था, किन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ है। किसान अब यह कह रहे हैं कि इन ट्रैक्टरों को वापस लेकर उनका रुपया उन्हें लौटाया जाये। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना चाहिये और पूर्वी जर्मनी की सरकार से इन ट्रैक्टरों को वापस लेने के लिए आग्रह करना चाहिये ताकि किसानों को उनका रुपया लौटाया जा सके।

रूई के उत्पादन के बारे में माननीय मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास कुछ योजनाएं हैं और कुछ जिलों में रुई का अधिक उत्पादन करने के लिए कुछ प्रोत्साहन भी दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश में जहां किसान रुई का उत्पादन करना चाहते हैं वहां उन्हें अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

सरकार को देश में अश्लील और गन्दी पुस्तकों पर रोक लगानी चाहिये क्योंकि ये पुस्तकें लोगों को भ्रष्ट कर रही हैं और उन्हें हानि भी पहुंचा रही हैं।

एक और दिलचस्प बात मूर्तियों की चोरी के बारे में है। कुछ राज्यों में, विशेषकर मद्रास में मैंने बहुत से अच्छे वास्तुकार देखे हैं। मूर्तियों से उनकी बढ़िया कारीगरी का पता चलता है। मैं मूर्तियों की चोरी करने वालों और उन्हें विदेश भेजने वालों के विरुद्ध हूं। जो वास्तुकार बेकार हैं हमें उनका लाभ उठाना चाहिये। उनकी कला समाप्त होती प्रतीत हो रही है। हमें बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करके उन लोगों को रोजगार दिलाना चाहिये और उनसे मूर्तियां बनवाकर उनका निर्यात करना चाहिये।

श्री लीलीधर कटकी (नवगांव) : अध्यक्ष महोदय, मैं विदेश व्यापार मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। यह एक दिलचस्प बात है कि 1966–67 में हमारा व्यापारान्तर 921.8 करोड़ रुपये था और 1970–71 में यह कम होकर 97.6 करोड़ रुपये रह गया है।

इसमें काफी सुधार हुआ है और अच्छी उपलब्धियों के लिए यह मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है। हमें इस बात की प्रशंसा करनी चाहिये कि सरकार द्वारा उठाये गये सही उपायों का यह परिणाम है। 30 जुलाई, 1970 को इस सभा में निर्यात नीति सम्बन्धी एक संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार सरकार ने विभिन्न कदम उठाये और जिनके परिणाम स्वरूप यह सुधार हुआ। मुझे आशा है कि चालू वर्ष में यह घाटा दूर किया जा सकेगा और निकट भविष्य में हम अपने व्यापारान्तर में और सुधार कर सकेंगे।

परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में हम उतनी मात्रा में तथा उतने ही मूल्य के माल का निर्यात नहीं कर पाये हैं। यद्यपि यह सन्तोषजनक बात है कि हमने गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के लिए नये साधन ढूंढ निकाले हैं और उन्हें विदेशी बाजारों में बेचा जा रहा है, फिर भी हमें परम्परागत वस्तुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। इन उद्योगों में काफी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। यदि उनकी रक्षा न की गई तो उन्हें भीषण बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

चाय उद्योग में चालू वर्ष में कुछ सुधार दिखाई पड़ा है। परन्तु जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, स्थिति बहुत खराब है। अतः मैं मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि उसे हमारी परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में विशेष उपाय करने चाहिये।

इंजीनियरिंग माल के निर्यात से धन कमाने के लिए कई नये मार्ग खुल गये हैं। और भी कई क्षेत्रों में इन विदेशी मंडियों में और अधिक निर्यात कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार ने जो विभिन्न निगम स्थापित किये हैं वे निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए मार्गोंपाय खोज निकालेंगे।

हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि हमारी विदेश व्यापार नीति और औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति ने मिलकर हमारे विदेश व्यापार को काफी बढ़ाया है। अतः इन दोनों नीतियों का अधिक उत्साह से पालन किया जाना चाहिये ताकि इनमें कोई त्रुटि न रहने पाये और हम अधिक से अधिक बचत कर सकें और विदेश व्यापार के क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकें।

जैसा कि सभा को मालुम है कि चाय अधिक पैदा करने वाले राज्यों में आसाम भी एक है। दुर्भाग्यवश, इस पर जो उत्पादन-शुल्क लगाया गया है वह इतना अनुचित है कि आसाम में चाय उद्योग को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस समस्या की ओर ध्यान देंगे और आसाम के चाय उद्योग को कुछ राहत देंगे।

रेशम उद्योग को हाथ से बनाये जाने वाले धागों के साथ प्रतिस्पर्धा में कठिनाई अनुभव हो रही है। सरकार को इस उद्योग की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये की हाथ से बनाये गये धागे की रेशम के साथ कोई अनुचित प्रतिस्पर्धा न हो। प्राकृतिक रेशम के साथ रुई, ऊन तथा रेशम को मिलाकर हम आसानी से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा और इसके साथ-साथ इस क्षेत्र में कपड़ा उद्योग भी विकसित होगा।

जहां तक हाथों से बनाये जाने वाले कपड़े का सम्बन्ध है, इसके उत्पादन कार्य में अनुचित तरीकों को अपनाया जाता है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विदेशों से हम जो सीमित मात्रा में कच्चे माल का आयात करते हैं, उसका दुरुपयोग न हो। अब समय आ गया है कि हम अपने ही देश में कोयली, बरौनी और गोहाटी के तेल शोधक कारखानों के निकट पोलिएस्टर उद्योग समूह को विकसित करने की सम्भावनाओं का पता लगायें। आसाम में सरकारी क्षेत्र के दूसरे तेल शोधक कारखाने के साथ डी० एम० टी० पोलिएस्टर धागे वाले पेट्रो—रसायन उद्योग की स्थापना का प्रस्ताव है। मैं मंत्रालय से अनुरोध करूँगा कि वह यह सुनिश्चित करे की आसाम में इस उद्योग समूह की शीघ्र स्थापना की जाये।

हमारे राज्य में पटसन बहुत अधिक मात्रा में होता है। आज तक हमारे यहां कोई पटसन मिल नहीं थी और काफी संघर्ष के बाद हमने गोहाटी में मिलघाट में सहकारी क्षेत्र में एक छोटी-सी पटसन मिल स्थापित की है। इसकी क्षमता केवल 150 करोड़ की है और यह लाभदायक नहीं हो सकती। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह इस ओर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि सहकारी क्षेत्र की इस पटसन मिल की क्षमता बढ़ाकर 600 करघों तक की जाये।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सभापति महोदय, गत 20 वर्षों में औद्योगिक और आर्थिक विकास होने के बावजूद दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में प्रतिकूल व्यापारान्तर अभी भी बना हुआ है। हम नहीं जानते कि इसमें सुधार होगा अथवा नहीं। अतः हमें मुख्य वस्तुओं की स्थिति को देखना चाहियें। जहां तक पटसन का सम्बन्ध है, वर्ष 1970 में इसका निर्यात 15 प्रतिशत गिरा है। अमरीकी बाजार में हमारे देश में इसके निर्यात में संभवतः 29 से 30 प्रतिशत तक भारी कमी हुई है। जबकि पाकिस्तान पटसन उद्योग को लगभग 30 प्रतिशत तक लाभ हुआ है।

अब दूसरी वस्तु चाय को लीजिये। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसके निर्यात में भी कमी हो रही है जबकि श्रीलंका को लाभ हो रहा है तथा भारतीय चाय को श्रीलंका के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा

करनी पड़ रही है। विश्व के चाय के निर्यात में हमारा हिस्सा 56 प्रतिशत से घटकर लगभग 47 प्रतिशत रह गया है। इसके साथ साथ श्रीलंका के हिस्से में वृद्धि हुई है।

अब मैं सूती कपड़े को लेता हूं। निस्सन्देह इसमें लगभग 6 प्रतिशत की थोड़ी वृद्धि हुई है, किन्तु व्यापार का समूचा ढांचा बदल गया है। यूरोपीय साझा बाजार बन जाने से उस क्षेत्र में भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि होने की कोई आशा नहीं है। यह बड़ी दयनीय स्थिति है। हम नहीं जानते की क्या हमारे विदेश व्यापार मंत्री वहां सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास में सफल हो सकेंगे। उन क्षेत्रों में निर्यात में जो कुछ वृद्धि हुई है, वह नये फैशन के वस्त्रों के निर्यात में हुई है न कि धागे आथवा सूती कपड़े के निर्यात में। अतः इन तीनों वस्तुओं के बारे में उन क्षेत्रों से काफी आशा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत हम क्या देखते हैं कि अधिकाधिक आयात के लिये दबाव पड़ रहा है। विदेश मंत्री ने भी बताया है कि राष्ट्रीय विकास के हित में अधिकाधिक आयात आवश्यक है।

हमारे कुछ उद्योग निर्यात प्रधान उद्योग हैं। किन्तु यह नहीं बताया गया है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो आयात प्रधान हैं। हम अपने देश के कुछ उद्योगों में जितना अधिक उत्पादन करते हैं उतना ही अधिक हम आयात करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अधिक इस्पात का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु साथ साथ हम अधिक इस्पात का आयात भी कर रहे हैं। हम कच्चे तेल का अधिक उत्पादन कर रहे हैं, परन्तु साथ साथ हम अधिक कच्चे तेल का आयात भी कर रहे हैं। इसी तरह हम अधिक रसायनों का उत्पादन कर रहे हैं परन्तु साथ साथ हम अधिक रसायनों का आयात भी कर रहे हैं। यह परस्पर विरोधी स्थिति है। इससे प्रतीत होता है कि आयात में अधिकाधिक वृद्धि होगी। निर्यात तथा आयात की ऐसी स्थिति होने के कारण व्यापार का प्रतिकूल संतुलन बना ही रहेगा।

मंत्रालय ने यह बताया है कि संस्थागत इन्फ्रा-स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। गत अनेक वर्षों से बिभिन्न प्रकार के वस्तु बोर्ड और निगम कार्य कर रहे हैं परन्तु वास्तव में हम क्या देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र को उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य गैर सरकारी क्षेत्र का स्थान लेना है। हम देखते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अन्तत: गैर सरकारी व्यापारियों और गैर सरकारी कम्पनियों को विभिन्न प्रकार के उपायों से सुदृढ़ बना रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र प्रगति कर रहा है। उदाहरण के तौर पर बम्बई में मटन टैलो के आयात में घोटाला हुआ है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि लगभग 643 मीटरी टन मटन टैलो काले बाजार में बेचा गया। इससे राजकीय व्यापार निगम को लगभग 40 लाख रुपये की हानि हुई है। हर बात राजकीय व्यापार निगम के रिकार्ड में है। परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी मुनाफाखोरों जो सरकारी क्षेत्र की कीमत पर पनप रहे हैं, के इन अनुचित कार्यों को रोकने के लिए न तो राजकीय व्यापार निगम द्वारा और न ही मंत्रालय द्वारा कोई कारगर कदम उठाये गये हैं। इसी तरह और भी उदाहरण हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ले लीजिये। इस प्रतिवेदन में बन्द पड़ी मिलों की जो संख्या बतायी गई है, वह अद्यतन नहीं है। इस समय लगभग 80 मिलें बन्द पड़ी हैं और लगभग 84,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं। अब इन 80 मिलों में से 7 मिलों को समाप्त कर दिया गया है। मुश्किल से 57 मिलें बन्द पड़ी हैं। इन 57 मिलों में से कपड़ा निगम और राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा मुश्किल

से 24 मिलों को अपने हाथ में लिया गया है, जिनमें प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किये गये हैं। कुछ मिलें ऐसी हैं जिनमें ऐसे नियंत्रकों को नियुक्त न करके उनकी सिफारिश की गई है। 57 मिलों में से आधी मिलों के बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया है। इनमें श्रमिक बेकार हैं। बंद पड़ी मिलों के श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय बेरोजगारी अधिक पैदा की गई है और इन मिलों का आधुनिकीकरण करने के बाद इन मिलों को पुनः गैर सरकारी क्षेत्र को सौंप दिया जायेगा।

यही बात पटसन उद्योग के बारे में भी है। मंत्रालय द्वारा निर्यात को बढ़ाने के प्रयास तो किये गये हैं, परन्तु ये प्रयास श्रमिकों की कीमत पर किये गये हैं। आधुनिकीकरण तथा स्वचालित मशीनों को लगाने की विभिन्न योजनायें हैं। विदेश व्यापार मंत्रालय ने आधुनिकतम तथा स्वचालित करघों और शटल रहित करघों के आयात की अनुमति दे दी है। गैर-सरकारी नियोजकों को लाइसेंस दिये गये हैं। गैर-सरकारी उद्योग आधुनिकीकरण के लिये सरकार से भी सहायता ले रहा है तथा ऐसा उद्योग में लगे श्रमिकों की कीमत पर किया जा रहा है। मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार जूट के निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण यह है.........

सभापति महोदय : कृपया, अब समाप्त कीजिये।

श्री राजा कुलकर्णी : जूट के निर्यात में गिरावट का मुख्य कारण प्रतिवेदन में 'हड़ताल' बताया गया है। परन्तु इसके निर्यात में गिरावट का कारण अमरीकी बाजार में इसकी मांग में कमी है और कलकत्ता के जूट श्रमिकों की हड़ताल नहीं। इन टिप्पणियों के साथ मैं इसकी अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय।

विदेश व्यापार मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने इस मंत्रालय के कार्य की प्रशंसा की है। अब मैं अपने मंत्रालय की नीति और कार्यक्रम के बारे में मोटी-मोटी बातों का उल्लेख करूंगा।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

अब सभा द्वारा आधे घंटे की चर्चा को लिया जायेगा।

---

*नारियल जटा के निर्यात में कमी

DECLINE IN COIR EXPORTS

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट): केरल में नारियल-जटा उद्योग एक परंपरागत राष्ट्रीय उद्योग है। इसके दो क्षेत्र हैं—कताई क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र। कताई क्षेत्र में 6 लाख श्रमिक हैं। उनका जीवन अत्यंत ही दयनीय है। उन्हें 50 पैसे से एक रुपये पचास पैसे तक दैनिक मजदूरी मिलती है परन्तु उन्हें

---

*आधे घंटे की चर्चा

*Half An Hour Discussion

काम 10 से 15 घंटे तक करना पड़ता है। अधिकांश श्रमिक महिलायें और बच्चे होते हैं। इस क्षेत्र में अत्याधिक बेरोजगारी है।

दूसरा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 50,000 श्रमिक काम करते हैं। यह क्षेत्र नारियल जटा सम्बन्धी उत्पाद का निर्यात करता है। नारियल जटा के निर्यात में इन निर्यातकों का एकाधिकार है। यही कारण है कि नारियल जटा उद्योग आज समाप्त-प्राय: हो गया है। निर्यात की जानेवाली वस्तुओं के अधिकांश भाग का उत्पादन इन निर्यातकों द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ लघु उत्पादक हैं और यह माल लघु उत्पादकों से खरीदा जाता है। 5,000 लघु उत्पादक हैं। किन्तु ये निर्यातक इन लघु उत्पादकों को वह मूल्य नहीं देते जो नारियल जटा बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। इसी कारण 100 कारखानों की तालाबन्दी हुई है और लगभग 4,000 श्रमिक बेरोजगार हैं। ऐसा समाचार है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि समस्त विदेश व्यापार को राजकीय व्यापार निगम अपने अधीन ले ले और सरकार स्वयं वस्तुओं को खरीदे तथा निर्यात करे तो इससे उद्योग के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किन्तु ऐसी बात नहीं है। अन्य देश इन वस्तुओं को चाहते हैं और यदि सरकार वस्तुओं के क्रय और निर्यात सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करे तो निश्चय ही वह विदेशों में कुछ एजेन्सियां स्थापित कर सकती है। इससे न केवल उद्योग का विकास होगा, अपितु बिचौलियों द्वारा किया जा रहा शोषण भी समाप्त होगा। इस उद्योग को पुनः सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिये। सरकार को नारियल के छिलके का उचित मूल्य निर्धारित करना चाहिये और इसे लागू करना चाहिये। केरल सरकार ने इसका मूल्य निर्धारित किया है और इसने भारत सरकार को इसे अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिये भी कहा है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसे ऐसा करने में कठिनाई क्या है।

मेरा अन्य सुझाव नारियल के छिलके को इकट्ठा करने और इसे पानी में भिगोकर नरम करने के बारे में है। सरकार को इस कार्य के लिये पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। कई नारियल सहकारी समितियाँ हैं। ये समितियां किसानों से नारियल प्राप्त कर सकती हैं और नारियल का छिलका हमें दे सकती हैं। सरकार उनसे नारियल का छिलका प्राप्त कर उसे पानी में भिगोकर नरम करने की व्यवस्था कर सकती है।

इसके अतिक्ति कताई केन्द्रों पर डिपुओं की स्थापना की जानी चाहिये। सरकार इनमें नारियल जल को इकट्ठा करने और जमा करने का काम कर सकती है तथा न्यूनतम मूल्य को घ्यान में रखकर सरकार को नारियल जटा के धागे का मूल्य निर्धारित करना चाहिये।

श्रमिकों को उचित वेतन और पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने के लिये अपेक्षित व्यवस्था की जानी चाहिये। एक नारियल जटा निगम स्थापित किया जाना चाहिये और निगम द्वारा वस्तुयें खरीदी और निर्यात की जानी चाहिये। निगम के कार्य-संचालन के लिये केन्द्रीय सरकार को पर्याप्त धनराशि देनी चाहिये।

फैक्ट्री अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिये ताकि श्रमिकों को वे सभी सुविधायें मिल सकें जिनके वे हकदार हैं और उन्हें सेवा की सुरक्षा तथा सेवा की अन्य शर्तें मिलनी चाहिये।

राज्य सरकार ने नारियल जटा उद्योग के विकास के लिये एक व्यापक योजना प्रस्तुत की है। राज्य सरकार ने नारियल जटा योजना को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से 15 करोड़ रुपये की राशि की मांग की है। केरल में यह एक छोटे पैमाने का उद्योग है। हम इससे प्रति वर्ष 13-15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। अतः राष्ट्रीय हित में इस उद्योग को बचाना आवश्यक है। राज्य सरकार की यह योजना, योजना आयोग के पास भेजी गई थी। योजना आयोग ने इस पर विचार करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ती की थी। इस दल ने सिफारिश की कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता अवश्य दी जानी चाहिये। किन्तु सरकार ने अभी तक यह सहायता नहीं दी है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह बताया है कि रोजगार के नये अवसरों के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। अत: राष्ट्र के हित में इस उद्योग को बचाने और इस उद्योग में उत्पन्न संकट के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिये 15 करोड़ रुपये की राशि क्यों नहीं दी जाती ?

जहां तक रिजर्व बैंक का सम्बन्ध है, इससे केवल उत्पादन व विक्रय समितियों को ही ऋण मिलता है और केरल की समितियां इस श्रेणी में नहीं आती हैं। अतः इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिये, ताकि भारतीय रिजर्व बैंक केरल की समितियों की सहायता कर सके। समितियों को बैंकों से अग्रिम धन लेने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु राज सहायता के लिये एक योजना स्वीकृत की जानी चाहिये।

इस मामले पर राज्य में आन्दोलन किये गये हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है। यदि सरकार कुछ नहीं करेगी तो 'गरीबी हटाओ' का नारा एक नारा मात्र ही रहेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : श्री गोपालन ने अपने भाषण में केरल के उद्योग के संकट के बारे में बताया है। उद्योग का पुनर्गठन करने और इसके लिये संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता है। मुझे बताया जाये कि क्या सरकार एक उच्च स्तरीय सम्मेलन शीघ्र बुलाने के प्रस्ताव पर विचार करेगी जिसमें श्रमिकों, नियोक्ताओं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि भाग लें और समस्या पर पूर्णरूप से चर्चा करके कोई निर्णय लें।

विदेश-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : नारियल जटा उद्योग तथा इसके माल के निर्यात की सम्भावनाओं और साथ ही इसकी समस्याओं के सम्बन्ध में सदस्यों ने जो गहरी चिन्ता व्यक्त की है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूं। यह सही है कि यह उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा है और नारियल जटा धागे का निर्यात घटता जा रहा है। निर्यात के घटने का तथा उद्योग में मंदी आने का मुख्य कारण यह है कि इसको उन देशों में, जहां हम इसका निर्यात करते हैं, कृत्रिम धागे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। योरूप के अनेक कारखानों में नारियल जटा के धागे का प्रयोग धीरे-धीरे समाप्त किया जा रहा है अथवा इसमें भारी कमी की जा रही है। अतः इन परिस्थितियों में इसकी किस्म में सुधार करके तथा इसकी सप्लाई को नियमित करके

वैकल्पिक माल के साथ प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगे तो इस उद्योग को भविष्य में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

कताई क्षेत्र तथा निर्माण क्षेत्र की कठिनाइयों के बारे में उल्लेख किया गया है । यह सही है कि हाल में इस क्षेत्र में बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगारी बढ़ी है । नारियल के छिलके के मूल्य पर नियंत्रण रखने के बारे में हमने केरल सरकार से विचार विमर्श किया है और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर पहुंच जायेंगे ।

श्री गोपालन ने निर्यात क्षेत्र में राजकीय व्यापार निगम द्वारा भाग लिये जाने के बारे में एक बात कही है । परन्तु निर्यात क्षेत्र में केरल सरकार द्वारा अब भी प्रयास किये जा रहे हैं। हम उनके कार्यों का भलीभांति अध्ययन कर रहे हैं तथा इससे पहले कि राजकीय व्यापार निगम स्वयं निर्यात क्षेत्र में कार्य शुरू करे हम उनके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं ।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मंत्रालय नारियल जटा उद्योग की समस्याओं के प्रति पूर्णतया जागरूक है । मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अभी हाल में इस उद्योग की समस्याओं का पूरी तरह अध्ययन किया है और अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिये सुझाव दिये हैं । उनके प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जा रही है । प्रतिवेदन में दिये गये कुछ आधारभूत सुझाव इस प्रकार हैं : नारियल जटा के उत्पादों के लिये निवेश की पर्याप्त व्यवस्था करना, विपणन के लिये आधारभूत ढांचे में सुधार करना और योरुप के नारियल जटा उद्योग की सहायता से नारियल जटा उत्पादों के निर्यात में सहायता करने के लिये सहयोग की संभावनायें बढ़ाना ।

इस उद्योग के विकास तथा इसे बनाये रखने के लिये विभिन्न अन्य उपाय भी अपनाये जा रहे हैं। हम संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम से एक नारियल जटा विशेषज्ञ बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे उत्पाद योरुप की मंडियों में पहुंच सकें इसके लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ बातचीत चल रही है । हमें आशा है कि इसके शीघ्र ही अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

केरल में सहकारी समितियों के सम्बन्ध में भी अध्ययन किया जा रहा है । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि केरल सरकार को किस रूप में सहायता दी जाये ताकि वह सरकार नारियल जटा सहकारी समितियों को सुदृढ़ बना सके ।

केरल सरकार की 15.59 करोड़ रुपये की सहायता की मांग के बारे में योजना आयोग के अध्ययन दल ने इस योजना को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है । योजना आयोग के अध्ययन दल के अनुसार इसके लिये 15.59 करोड़ रुपये की आवश्यकता नहीं है । इसकी राय में कुल व्यय लगभग 6.99 करोड़ रुपये हो सकता है । इसमें संस्था सम्बन्धी वित्त व्यवस्था के लिये भी एक उचित धनराशि का सुझाव दिया गया है ।

नारियल जटा उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है और इसमें 4 लाख से अधिक श्रमिक रोजगार में लगे हैं । अतः एक ओर तो हमारी बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी ओर योरुप के यंत्रीकृत

उद्योगों से भारी प्रतिस्पर्धा की समस्या है । यदि हम अपने उत्पाद की किस्म में सुधार नहीं करेंगे, जिसके लिये कुछ मामलों में अर्ध-यंत्रीकृत की व्यवस्था भी करनी पड़ सकती है, तो हमें खतरा है, कि निर्यात बाजार भी हाथ से न निकल जाये । इस समस्या का हल ही प्रधान उद्योग को ध्यान में रखते हुए करना होगा । इस महीने की 1 तारीख को एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी जा रही है । इस सम्बन्ध में एक बार निर्णय लेने पर इन्हें निश्चय ही लागू किया जायेगा ।

श्री मनोरंजन हाजरा (आराम बाग) : आप कब तक निर्णय ले लेंगे ? **(अन्तर्बाधा)**

सभापति महोदय : आपको किसी और प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री ए० सी० जार्ज : मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम 1 तारीख को कोई निर्णय ले सकेंगे और इसे कार्यान्वित कर सकेंगे ।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 6 जुलाई, 1971/15 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July, 6th 1971/Asadha 15, 1893 (Saka).

NAI DUNIA PRESS, INDORE 490—10-71

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English tanslation of speeches etc. in English/Hindi.]

11 LSS/71—1